




सत्यमेव जयते

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या 1

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

झारखण्ड सरकार
वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या 1

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	-	vii
कार्यकारी सारांश	-	ix
अध्याय 1 : राज्य सरकार के वित्त		
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)	1.1	1
2017-18 में राजकोषीय लेन-देनों का सारांश	1.1.1	2
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.1.2	3
बजट अनुमान एवं वास्तविक	1.1.3	6
राज्य के संसाधन	1.2	7
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	8
राज्य के स्वयं के संसाधन	1.3.1	9
भारत सरकार से सहायता-अनुदान	1.3.2	13
केन्द्रीय कर हस्तांतरण	1.3.3	13
त्यक्त राजस्व	1.3.4	15
श्रम सेस	1.3.5	16
पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	17
ऋणों एवं अग्रिमों से वसूलियाँ	1.4.1	18
आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ	1.4.2	18
लोक लेखा प्राप्तियाँ	1.5	19
संसाधनों के अनुप्रयोग	1.6	19
पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.)	1.6.1	20
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	1.6.2	20
प्रतिबद्ध व्यय	1.6.3	21
वृहत कार्यक्रम	1.6.4	23
वित्तीय सहायता	1.6.5	24
व्यय की गुणवत्ता	1.7	26
लोक व्यय की पर्याप्तता	1.7.1	26
व्यय के उपयोग की दक्षता	1.7.2	27
चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय	1.7.3	28
सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	28
सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	1.8.1	28
अपूर्ण परियोजनाएँ	1.8.2	29
निवेश एवं प्रतिफल	1.8.3	30

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम	1.8.4	31
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	1.8.5	32
परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व	1.9	33
परिसंपत्तियों एवं दायित्वों की वृद्धि एवं संयोजन	1.9.1	33
राजकोषीय दायित्व	1.9.2	34
हास निधि	1.9.3	35
राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.)	1.9.4	35
प्रत्याभूतियों की स्थिति - आकस्मिक दायित्व	1.9.5	36
ऋण प्रबंधन	10.1	36
ऋण की रूपरेखा	1.10.1	36
ऋण वहनीयता	1.10.2	36
राजकोषीय असंतुलन	1.11	38
घाटे की प्रवृत्तियाँ	1.11.1	38
अध्याय 2 : वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
परिचय	2.1	41
बजट प्रबंधन की प्रक्रिया	2.2	41
विनियोग लेखे के सारांश	2.3	41
वित्तीय दायित्व तथा बजट प्रबंधन	2.4	43
आवंटित प्राथमिकताओं के सापेक्ष विनियोग	2.4.1	43
प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण नहीं करना	2.4.2	45
सतत बचत	2.4.3	46
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.4.4	48
विगत वर्षों में प्रावधानों से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता	2.4.5	50
परिहार्य/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान	2.4.6	51
निधियों का अत्यधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.4.7	51
निधियों का वृहद अभ्यर्पण	2.4.8	51
व्यय का वेग	2.5	52
विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन	2.6	52
अनुदान संख्या 42 - ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) की बजटीय प्रक्रिया	2.7	53
प्रस्तावना	2.7.1	53
बजट अनुमानों के प्रस्तुतीकरण में विलंब	2.7.2	54

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
अपेक्षित आवश्यकताओं की प्राप्ति के बिना तैयार किया गया बजट आकलन	2.7.3	54
परिहार्य अनुपूरक प्रावधान	2.7.4	54
वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण	2.7.5	55
कुल बजट प्रावधान की अनुपयोगिता	2.7.6	55
व्यय का वेग	2.7.7	56
विभागीय व्यय के आँकड़ों का असमाशोधन	2.7.8	56
अनुदान संख्या 45-सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की बजटीय प्रक्रिया	2.8	57
प्रस्तावना	2.8.1	57
परिहार्य अनुपूरक प्रावधान	2.8.2	58
अनुपयोगित निधि का गैर-अभ्यर्पण	2.8.3	58
संपूर्ण बजट प्रावधान का अनुपयोग	2.8.4	59

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
अध्याय 3 : वित्तीय प्रतिवेदन		
अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	3.1	61
स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों तथा अनुदानग्राही संस्थानों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण और लेखापरीक्षा	3.2	63
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा	3.2.1	63
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 एवं 20 के अंतर्गत लेखापरीक्षा	3.2.2	63
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब	3.2.3	64
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लाभांश घोषित नहीं किये गये	3.2.4	65
संक्षिप्त आकस्मिक (सं.आ.) विपत्रों पर आहरित निधियों की लेखापरीक्षा	3.3	65
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.) तथा आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस के अंतर्गत संक्षिप्त आकस्मिक/विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की लेखापरीक्षा	3.4	67
विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के समर्पण में विलंब	3.4.1	67
पूँजीगत कार्यों के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र पर निधियों का अनियमित आहरण	3.4.2	68
वित्तीय वर्ष के अंत में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के विरुद्ध आहरण	3.4.3	68
बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	3.4.4	69
दुर्विनियोजन, हानि इत्यादि संबंधी मामले का प्रतिवेदन	3.5	70
निधियों का आहरण और व्यक्तिगत बही खातों में रखा जाना	3.6	70
लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत दर्ज किया जाना	3.7	72
लेखाओं की शुद्धता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण अवयव	3.8	73
राज्य के पुनर्गठन पर शेषों का संविभाजन	3.9	74
राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन	3.10	74
राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	3.11	74

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 1.1 भाग क	झारखण्ड का परिचय	77
परिशिष्ट 1.1 भाग ख	सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	78
परिशिष्ट 1.1 भाग ग	वित्त लेखे का अभिन्यास	78
परिशिष्ट 1.2	वर्ष 2017-18 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	79
परिशिष्ट 1.3	राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े	83
परिशिष्ट 1.4 भाग क	74 ^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार स्थानीय नगर निकायों के कार्यों का विवरण	87
परिशिष्ट 1.4 भाग ख	73 ^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार पंचायती राज संस्थानों के कार्यकलापों का विवरण	88
परिशिष्ट 1.5	31 मार्च 2018 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	89
परिशिष्ट 1.6	राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत कार्यप्रणाली	91
परिशिष्ट 2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहाँ प्रत्येक मामले में बचत ₹ 10 करोड़ और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत या उससे अधिक रहा	92
परिशिष्ट 2.2	उपशीर्षवार विवरण जहाँ वर्ष 2017-18 के दौरान ठोस बचत (₹ 20 करोड़ व अधिक) हुआ	94
परिशिष्ट 2.3	₹ 1.00 करोड़ व अधिक की बचत जो प्रत्यर्पित नहीं किये गये का विवरण	97
परिशिष्ट 2.4	मार्च 2018 में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के प्रत्यर्पण के मामले	99
परिशिष्ट 2.5	पूर्व के वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित	104
परिशिष्ट 2.6	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	105
परिशिष्ट 2.7	निधि का आधिक्य/अपर्याप्त पुनर्विनियोग	107
परिशिष्ट 2.8	वर्ष के दौरान किये गये 100 प्रतिशत ठोस प्रत्यर्पण की समीक्षा के परिणाम	108
परिशिष्ट 2.9	वर्ष के अंत में व्यय का वेग	113
परिशिष्ट 2.10	नियंत्रक अधिकारियों की सूची जहाँ वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय असमाशोधित रह गया	114
परिशिष्ट 2.11	व्यय का वेग	115
परिशिष्ट 3.1	31 मार्च 2018 को बकाये उपयोगिता प्रमाण पत्र	116

विषय सूची

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 3.2	नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची	117
परिशिष्ट 3.3	बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का विवरण	120
परिशिष्ट 3.4	लघु-शीर्ष '800-अन्य व्यय' (10 प्रतिशत व अधिक) का परिचालन	120
परिशिष्ट 3.5	लघु-शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' (40 प्रतिशत व अधिक) का परिचालन	121
परिशिष्ट 4.1	प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची, गणनाओं का आधार और परिवर्णी शब्द	122

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

झारखण्ड सरकार (झा.स.) के वित्त पर प्रस्तुत इस प्रतिवेदन का प्रयोजन 2017-18 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन करने और राज्य विधानसभा को वित्तीय आँकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित जानकारी प्रदान करना है। यह प्रतिवेदन झारखण्ड राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, चौदहवें वित्त आयोग (14^{वें} वि.आ.) प्रतिवेदन तथा वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों के विरुद्ध वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण करने का प्रयास है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय-1 वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2018 को झारखण्ड सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी, ऋणों के पुनर्भुगतान पर व्यय और लिये गये उधार के स्वरूप की प्रवृत्तियों की अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है।

अध्याय-2 विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोजनों एवं रीति, जिसके अनुसार आवंटित संसाधनों का सेवा प्रदाता विभागों द्वारा प्रबंधन किया गया, का अनुदानवार व्याख्या प्रस्तुत करता है।

अध्याय-3 विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमावलियों के झारखण्ड सरकार के अनुपालन की सूची है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संचालित किया गया है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

राज्य की राजकोषीय स्थिति

मुद्रास्फीति के लेखांकन के बावजूद सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय 2013-14 से 2017-18 तक वृद्धि हुई हैं। तथापि, पिछले वर्ष की तुलना में इसकी वृद्धि दर कम हुई।

कंडिका 1.1.1

राज्य ने बजट अनुमान 2017-18 और राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के राजस्व आधिक्य, राजकोषीय घाटा और स.रा.घ.उ. से बकाया ऋण के अनुपात के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया।

राजकोषीय घाटा (₹ 11,933 करोड़) वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. का 4.67 प्रतिशत था जो 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 3.25 प्रतिशत की सीमा से बहुत अधिक था। अग्रतर, वर्ष के लिए राजस्व घाटा-स.रा.घ.उ. अनुपात मध्यावधि राजकोषीय नीति (एम.टी.एफ.पी.) और इसके बजट अनुमान के लक्ष्य से लगभग दोगुना था।

कंडिका 1.1.2

झारखण्ड सरकार का 2013-14 में ₹ 358 करोड़ का प्राथमिक आधिक्य 2017-18 के दौरान ₹ 7,271 करोड़ के प्राथमिक घाटे में बदल गया।

कंडिका 1.1.2.2

संसाधनों का जुटाव एवं अनुप्रयोग

राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 52,756 करोड़) पिछले वर्ष (₹ 47,054 करोड़) से ₹5,702 करोड़ (12.12 प्रतिशत) बढ़ीं जो बजट अनुमान (₹ 65,978 करोड़) से कम था।

राजस्व व्यय (₹ 50,952 करोड़) 2016-17 (₹ 45,089 करोड़) से ₹ 5,863 करोड़ (13 प्रतिशत) बढ़ा जो बजट अनुमान (₹ 58,222 करोड़) से कम था।

पूँजीगत व्यय (₹ 11,953 करोड़) 2016-17 (₹ 10,861 करोड़) से ₹1,092 करोड़ (10.10 प्रतिशत) बढ़ा जो बजट अनुमान (₹ 12,742 करोड़) से कम था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को बजट तैयार करने के उपक्रम को तर्कसंगत बनाना चाहिए ताकि बजट अनुमान और वास्तविक के बीच की खाई को पाटा जाए।

कंडिका 1.1.3, 1.2 एवं 1.6

राज्य के स्वयं के संसाधन

झारखण्ड के स.रा.घ.उ. से स्वयं के कर राजस्व (ओ.टी.आर.) का अनुपात 4.84 प्रतिशत था, जो पड़ोसी राज्यों जैसे ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ (क्रमशः 6.71, 5.16 और 6.82 प्रतिशत) के अनुपात से काफी कम था, जबकि, यह 2017-18 के दौरान बिहार के अनुपात (4.74 प्रतिशत) की तुलना में थोड़ा अधिक था।

कंडिका 1.3.1

श्रम सेस

वित्त लेखे के अनुसार 2017-18 तक सरकारी परियोजनाएँ कार्यान्वित करने वाले संवेदकों से श्रम सेस के रूप में ₹ 393.67 करोड़ संग्रहित किया गया। उक्त संग्रहित सेस को श्रमिक कल्याण बोर्ड को अंतरित नहीं किया गया (मार्च 2018) जिससे संबद्ध वर्षों के दौरान राज्य के राजस्व आधिक्य में वृद्धि और राजकोषीय घाटे में कमी दर्ज हुई तथा यह राज्य के अलेखांकित देनदारियों को दर्शाता है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को श्रम सेस का श्रमिक कल्याण बोर्ड को यथाशीघ्र अंतरण सुनिश्चित करना चाहिए।

कंडिका 1.3.5

पूँजीगत व्यय

झारखण्ड के स.रा.घ.उ. (4.68) से पूँजीगत व्यय का अनुपात पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ (क्रमशः 1.90 और 3.43) की तुलना में काफी अधिक था। तथापि, यह बिहार और ओडिशा के अनुपात (क्रमशः 5.93 और 5.07) से कम था।

कंडिका 1.6.1

लोक व्यय की पर्याप्तता

2017-18 के दौरान कुल व्यय (कु.व्य.) से विकास व्यय, आर्थिक सेवा व्यय एवं पूँजीगत व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से काफी अधिक था। तथापि वर्ष के दौरान शिक्षा क्षेत्र व्यय एवं स्वास्थ्य क्षेत्र व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत व्यय से कम था।

कंडिका 1.7.1

सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम

तेरहवें और चौदहवें वित्त आयोगों ने सिंचाई परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यावहारिकता का मूल्यांकन करने हेतु इनपर लागत वसूली दर निर्धारित किया था। तथापि, किसी भी सिंचाई योजना को झारखण्ड सरकार द्वारा वाणिज्यिक घोषित नहीं किया गया।

झारखण्ड में 42 सिंचाई परियोजनाएँ हैं जिसमें 2017-18 के अंत तक कुल पूँजीगत परिव्यय ₹ 1,982.10 करोड़ था, जिनमें से ₹ 1,720.06 करोड़ का खर्च कार्य व्यय और रखरखाव शुल्क पर किया गया। 2017-18 के दौरान, इन परियोजनाओं से ₹ 48.78 करोड़ विविध राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ।

अनुशंसा: राज्य सरकार को वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार लागत वसूली हेतु सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यिक घोषित करने हेतु उपाय शुरू करनी चाहिये।

कंडिका 1.8.1

अपूर्ण परियोजनाएँ

लोक निर्माण विभागों की 113 अपूर्ण परियोजनाएँ थीं जिन्हें मार्च 2018 तक पूर्ण किया जाना था। 31 मार्च 2018 तक इन परियोजनाओं पर ₹ 1,402.66 करोड़ का व्यय किया गया। अपूर्ण कार्यों पर निधियों का अवरोध व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। परियोजनाओं/कार्यों को पूरा करने में विलंब न केवल लागत में वृद्धि के जोखिम को आमंत्रित करता है, बल्कि राज्य को अपेक्षित लाभ से भी वंचित करता है।

अनुशंसा: राज्य के लोक निर्माण विभाग को परियोजनाओं को समय से पूरा किया जाना सुनिश्चित करने हेतु एक क्रियाविधि विकसित करनी चाहिए। सभी अपूर्ण परियोजनाओं का संशोधित अनुमान प्राथमिकता के आधार पर तैयार एवं अनुशंसित किया जाना चाहिये जिससे कि इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक निधियों का वास्तविक अनुमान लगाया जा सके।

कंडिका 1.8.2

निवेश पर प्रतिफल

2013-18 के दौरान राज्य सरकार को लिये गये उधार लागत और कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर के कारण ₹ 83.52 करोड़ का अनुमानित नुकसान हुआ।

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जे.एस.ई.बी.) को ₹ 7,222 करोड़ की राशि का ऋण सरकारी लेखाओं में बोर्ड से प्राप्य के रूप में दर्शाया जाना जारी है, यद्यपि बोर्ड जनवरी 2014 में अलग-अलग कंपनियों में विभाजित कर दिया गया था। इस प्रकार, राज्य की संपत्ति ₹ 7,222 करोड़ की सीमा तक बढ़ गई थी।

अनुशंसा: राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं में अपने निवेशों और ऋणों को तर्कसंगत बनाना चाहिए, ताकि निवेश और ऋणों पर प्रतिफल कम से कम सरकार की उधार लागत के बराबर हो।

कंडिका 1.8.3 व 1.8.4

राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.)

31 मार्च 2018 तक एस.डी.आर.एफ. में ₹ 1,551.04 करोड़ का अंत शेष था। तथापि निधि की शेष राशि राज्य सरकार द्वारा एस.डी.आर.एफ. दिशानिर्देश 2010 के अनुसार निवेश नहीं की गई थी।

अग्रतर, दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार को निवेश नहीं किये गये शेष पर ओवरड्राफ्ट पर भुगतये ब्याज (8.08 प्रतिशत) की दर से ब्याज का भुगतान करना था जिसे निधि के कोष में डाला जाना था। तथापि, झारखण्ड सरकार ने एस.डी.आर.एफ. गठन के बाद से इसपर कोई ब्याज नहीं दिया फलस्वरूप 2010-18 की अवधि के लिए ब्याज की लागू दरों के आधार पर यह राशि ₹ 505.37 करोड़ हो गयी। इसमें से, अकेले 2017-18 हेतु भुगतान न किये गये ब्याज की राशि ₹ 101.74 करोड़ थी, जिससे उस वर्ष में राजस्व आधिक्य की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई। परिणामस्वरूप, निधि में शेष केवल बुक एंटीज हैं और यह वास्तविक रोकड़ शेष नहीं दर्शाता है। निधि के प्रचालन के बाद से इस तरह का भुगतान न किया गया ब्याज राज्य की अलेखांकित देनदारियों को दर्शाता है।

अनुशंसा: राज्य को एस.डी.आर.एफ. के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस निधि में पड़ी राशियों का निवेश करना चाहिए।

कंडिका 1.9.4

बचत

21 अनुदानों से संबंधित 24 मामलों में ₹ 11,501 करोड़ (80 प्रतिशत) का बचत हुआ। इन मामलों में, बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक और अनुदान का 20 प्रतिशत या उससे अधिक था।

विगत पाँच वर्षों के दौरान 11 मामलों में (10 विभागों) कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या उससे अधिक सतत बचत हुआ।

अनुशंसा: वित्त विभाग को क्षेत्रीय इकाइयों से वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर बजट तैयार करना चाहिए और आवंटित राशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। सभी प्रत्याशित बचतों को समय पर अभ्यर्पित किया जाना चाहिये ताकि निधियों को अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जा सके।

कंडिका 2.4.1 व 2.4.3

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

2017-18 के दौरान 49 अवसरों पर आकस्मिकता निधि से ₹ 337.55 करोड़ की अग्रिम राशि आहरित की गयी जिसमें से, 24 अवसरों पर, ₹ 226.71 करोड़ की राशि ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये आहरित किये गये जो न तो अप्रत्याशित थे और न ही आकस्मिक प्रकृति के थे।

इस प्रकार, राज्य द्वारा आकस्मिक निधि का उपयोग गैर-आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए एक अग्रिम खाते के रूप में किया गया था।

अनुशंसा: राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि आकस्मिकता निधि से आपातकालीन एवं अप्रत्याशित प्रकृति के व्यय की पूर्ति के अतिरिक्त कोई अग्रिम आहरित नहीं हो।

कंडिका 2.4.4

प्रावधानों से अधिक व्यय के विनियमन की आवश्यकता

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत वर्ष 2001-02 से 2016-17 तक के प्रावधानों से ₹ 2,749.87 करोड़ के अधिक व्यय को राज्य विधानसभा द्वारा विनियमित करना अब भी लंबित था। अग्रतर, 2017-18 के दौरान भी ₹ 265.50 करोड़ का प्रावधानों से अधिक व्यय हुआ।

अनुशंसा: वित्त विभाग को ₹ 3,015.37 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को विनियमित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

कंडिका 2.4.5

व्यय का वेग

13 अनुदानों में ₹ 10,083.23 करोड़ के कुल व्यय के विरुद्ध वर्ष की अंतिम तिमाही में ₹ 5,956.80 करोड़ (59.08 प्रतिशत) का व्यय किया गया। इसमें से, ₹ 3,913.00 करोड़ (कुल व्यय का 38.81 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2018 में किया गया। अग्रतर, मार्च में आहरित कुल राशि से, ₹ 9.30 करोड़ संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के द्वारा आहरित किया गया।

अनुशंसा: राज्य सरकार को बजट नियमावली के प्रावधानों का कठोरता से अनुपालन करना चाहिये।

कंडिका 2.5

अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

विभिन्न विभागों द्वारा 2016-17 तक आहरित सहायता-अनुदान विपत्रों के विरुद्ध ₹ 38,911.59 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) 31 मार्च 2018 तक बकाया थे जो अभीष्ट उद्देश्य हेतु अनुदानों की समयबद्ध उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु नियमावलियों व प्रक्रियाओं का अनुपालन करने में विभागीय अधिकारियों की विफलता का सूचक था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिये जिसके अंदर अनुदान विमुक्त करने वाले प्रशासनिक विभाग अनुदान आदेशों में निर्धारित से अधिक समय तक लंबित उ.प्र.प. प्राप्त करें और ये भी सुनिश्चित करें कि उस समय तक, प्रशासनिक विभाग चूककर्ता अनुदानग्राहियों को कोई अगला अनुदान विमुक्त न

करें। सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध जो समय पर उ.प्र.प. प्रस्तुत करने में विफल रहे उचित कार्रवाई शुरू कर सकती है।

कंडिका 3.1

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) के लेखाओं के समर्पण में विलंब

20 कार्यशील सा.क्षे.उ. (55 लेखे) और 01 अकार्यशील सा.क्षे.उ./निगमों (05 लेखे) के लेखे एक से नौ वर्षों तक बकाया हैं। अग्रतर, यह देखा गया कि राज्य सरकार ने 2008-09 और 2016-17 के बीच चार सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर पूँजी में ₹ 64.97 करोड़ का निवेश किया था, जिन्होंने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध अपने लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सभी सा.क्षे.उ. जिनके लेखे बकाया हैं के मामलों की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि लेखे एक तर्कसंगत अवधि के भीतर अद्यतन किये जाते हैं और उन सभी मामलों में वित्तीय सहायता को रोक देना चाहिए जहाँ लेखे लगातार बकाया हैं।

कंडिका 3.2.3

बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्र

2001-18 के दौरान आहरित 18,406 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध अक्टूबर 2018 के अंत में ₹ 5,216 करोड़ की राशि के विस्तृत आकस्मिक विपत्र बकाया थे।

अग्रतर, 2017-18 में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 1,209 करोड़ में से, मार्च 2018 में ₹ 233 करोड़ (19.27 प्रतिशत) की राशि के संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र आहरित किए गए और इसमें से ₹ 40 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन आहरित किए गए।

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा.वि.वि) द्वारा 2000-18 की अवधि के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित की गई निधि के लेखापरीक्षा से उद्घटित हुआ कि इस अवधि के दौरान 5,963 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर ₹ 4,965 करोड़ आहरित किए गए थे, जिसके विरुद्ध जुलाई 2018 तक ₹ 1,293.34 करोड़ के 2,854 विस्तृत आकस्मिक विपत्र बकाया थे।

अनुशंसा: वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सारे नियंत्रक अधिकारी निर्धारित अवधि के बाद सभी लंबित सं.आ. विपत्रों को, समयबद्ध रूप से, समायोजित करें और यह भी सुनिश्चित करे कि केवल बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए सं.आ. विपत्र आहरित नहीं किये जाते हैं।

कंडिका 3.3 व 3.4

व्यक्तिगत बही खाते (पी.एल.ए.)

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 के अनुसार, यदि यह तत्काल भुगतान हेतु आवश्यक न हो तो कोषागार से धनराशि का आहरण नहीं किया जाना चाहिए।

2017-18 के दौरान, ₹ 9,488.40 करोड़ के आरंभिक शेष में ₹ 12,694.02 करोड़ जोड़ा गया, फलस्वरूप व्यक्तिगत बही खातों में ₹ 22,182.42 करोड़ का संचय हुआ। अग्रतर, वर्ष के दौरान ₹ 8,979.76 करोड़ व्यय किया गया जिससे 2017-18 के अंत में व्यक्तिगत बही खातों में ₹ 13,202.66 करोड़ का शेष बचा रहा।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सभी व्यक्तिगत बही खातों की समीक्षा तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन व्यक्तिगत बही खातों में पड़ी सभी अनावश्यक राशियाँ तत्काल समेकित निधि में जमा करायी जाती हैं। अग्रतर, वित्त विभाग को वित्तीय नियमावलियों में सन्निहित निर्देशों को दुहराने और सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विभागीय अधिकारियों जो नियमावलियों के अनुसरण में विफल रहते हैं के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है।

कंडिका 3.6

लघु शीर्ष '800' के अधीन प्रविष्टि

झारखण्ड सरकार के विभागों ने लघु शीर्ष 800 को नियमित रूप से परिचालित किया जिसे सिर्फ असाधारण मामलों में परिचालित किया जाना है। 2017-18 के दौरान, प्राप्तियों के अधीन ₹ 1,107.08 करोड़ और व्यय के अधीन ₹ 2,006.67 करोड़ लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्रविष्टि किये गये परिणामस्वरूप लेन-देनों में अस्पष्टता रही।

अनुशंसा: वित्त विभाग को महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के परामर्श से वर्तमान में लघुशीर्ष 800 में दर्ज सभी मदों की विस्तृत समीक्षा करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी सभी प्राप्तियाँ व व्यय उचित लेखा-शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किये जाते हैं।

कंडिका 3.7

राज्य के पुनर्गठन पर शेष राशियों का संविभाजन

पूँजीगत खंड के अंतर्गत ₹ 11,935.23 करोड़ तथा ऋण व अग्रिम के अंतर्गत ₹ 6,583.36 करोड़ सहित लोक लेखा शीर्ष के अंतर्गत ₹ 7,443.90 करोड़ की शेष राशि उत्तरवर्ती बिहार और झारखण्ड राज्यों के बीच, नवंबर 2000 से तत्कालीन बिहार राज्य के पुनर्गठन के लगभग दो दशकों के बाद भी संविभाजन किया जाना बाकी है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जमा एवं अग्रिमों के अंतर्गत शेषों के संविभाजन को शीघ्र निबटाने की आवश्यकता है।

कंडिका 3.9

राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटा पर प्रभाव

व्यय और राजस्व के गलत लेखांकन के परिणामस्वरूप ₹ 831.08 करोड़ के राजस्व आधिक्य की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई। राज्य की बकाया देनदारियों में भी ₹ 831.08 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।

कंडिका 3.11

अध्याय-1
राज्य सरकार के वित्त

अध्याय - 1

राज्य सरकार के वित्त

यह अध्याय वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2016-17 के सापेक्ष मुख्य राजकोषीय संचय में परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

यह विश्लेषण झारखण्ड सरकार (झा.स.) के वित्त लेखे में दिये गये विवरणों पर आधारित है

1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद¹ (स.रा.घ.उ.)

वर्तमान मूल्यों तथा स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष: 2011-12) पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) तथा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.1 में दिये गये हैं।

तालिका 1.1: भारत का स.घ.उ. तथा राज्य का स.रा.घ.उ.

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वर्तमान मूल्यों पर भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,12,33,522	1,24,67,959	1,37,64,037	1,52,53,714	1,67,73,145
वर्तमान मूल्यों पर भारत के स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.88	10.99	10.40	10.82	9.96
वर्तमान मूल्यों पर राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,88,567	2,18,525	2,06,613	2,35,560	2,55,271
वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.92	15.89	(-) 5.45	14.01	8.37
स्थिर मूल्यों पर राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,65,816	1,86,534	1,74,881	1,94,475	2,03,358
स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	1.57	12.49	(-) 6.25	11.20	4.57
चालू मूल्य पर भारत का प्रति व्यक्ति स.घ.उ (₹ में)	लागू नहीं	99,728	1,14,424	1,19,375	1,29,800
चालू मूल्य पर राज्य का प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ (₹ में)	लागू नहीं	66,220	61,676	69,487	74,390

स्रोत: भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दिनांक 28.08.2018 को जारी स.घ.उ./स.रा.घ.उ. के आँकड़े।

¹ स.घ.उ. एवं स.रा.घ.उ. क्रमशः देश एवं राज्य के भीतर एक तय समय में उत्पादित सभी अधिकृत मान्यता प्राप्त पूर्ण सामग्रियों एवं सेवाओं के बाजार मूल्य हैं और देश एवं राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

राज्य की रूपरेखा परिशिष्ट 1.1-भाग क में दिया गया है। सरकारी लेखाओं के संरचना की व्याख्या भाग 'ख' में तथा वित्त लेखाओं का अभिन्यास भाग 'ग' में है।

1.1.1 2017-18 में राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

तालिका 1.2 2016-17 के सम्मुख 2017-18 के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का तुलनात्मक सारांश प्रस्तुत करता है। परिशिष्ट 1.2 2017-18 के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के सार के साथ-साथ समग्र राजकोषीय स्थिति दर्शाता है।

तालिका 1.2: वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में राजकोषीय संचालनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2016-17	2017-18	संवितरण	2016-17		2017-18	
				स्थापना	राज्य और केंद्र योजना	कुल	कुल
खण्ड क : राजस्व							
राजस्व प्राप्तियाँ	47,053.93	52,756.03	राजस्व व्यय	45,089.04	27,952.98	22,999.09	50,952.07
स्वयं का कर राजस्व	13,299.25	12,353.44	सामान्य सेवायें	13,023.76	16,105.92	452.41	16,558.33
कर-भिन्न राजस्व	5,351.42	7,846.67	सामाजिक सेवायें	18,557.37	6,834.83	12,740.14	19,574.97
संघीय कर एवं शुल्क	19,141.92	21,143.63	आर्थिक सेवायें	13,507.91	5,012.23	9,806.54	14,818.77
भारत सरकार से अनुदान	9,261.35	11,412.29	सहायता-अनुदान अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00
खण्ड ख : पूँजीगत							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	25.09	पूँजीगत परिव्यय	10,860.68	69.14	11,883.57	11,952.71
ऋणों व अग्रिमों की वसूलियाँ	38.46	42.41	संवितरित ऋण व अग्रिम	1,335.06	88.80	1,762.87	1,851.67
अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	0.00	0.00
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	7,081.42	8,136.85	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	2,077.88	2,949.50	0.00	2,949.50
आकस्मिकता निधि में अंतरण	0.00	0.00	आकस्मिक निधि से व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
लोक लेखा प्राप्तियाँ ^{##}	22,051.80	27,833.30	लोक लेखा संवितरण [#]	16,819.82	22,885.14	0.00	22,885.14
रोकड़ का आरंभिक शेष	1,904.72	1,947.85	रोकड़ का अंत शेष	1,947.85	150.44	0.00	150.44
कुल	78,130.33	90,741.53	कुल	78,130.33	54,096.00	36,645.53	90,741.53

स्रोत: वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

* अर्थापय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अधीन निवल लेन-देन को छोड़कर

आँकड़ों में 'अन्य लेखे' यथा विभागीय रोकड़ शेष, स्थायी अग्रदाय एवं रोकड़ शेष निवेश के अंतर्गत लेन-देन सम्मिलित नहीं हैं।

वर्तमान तथा स्थिर मूल्यों पर स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.), राजस्व व्यय (रा.व्य.) और पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.) की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.3 में नीचे प्रस्तुत किये गये हैं।

तालिका 1.3: स.रा.घ.उ. के सापेक्ष रा.प्रा./रा.व्य./पूँ.व्य. की प्रवृत्तियाँ

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ					
वर्तमान मूल्यों पर रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	26,137	31,565	40,638	47,054	52,756
वर्तमान मूल्यों पर रा.प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.52	20.77	28.74	15.79	12.12
स्थिर मूल्यों पर रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	22,984	26,944	34,397	38,847	42,027
स्थिर मूल्यों पर रा.प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)0.69	17.23	27.66	12.94	8.19
रा.प्रा./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	13.86	14.44	19.67	19.98	20.67
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व व्यय					
वर्तमान मूल्यों पर रा.व्य. (₹ करोड़ में)	23,472	31,795	36,553	45,089	50,952
वर्तमान मूल्यों पर रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	0.31	35.46	14.96	23.35	13.00
स्थिर मूल्यों पर रा.व्य. (₹ करोड़ में)	20,640	27,140	30,939	37,225	40,590
स्थिर मूल्यों पर रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)5.60	31.49	14.00	20.32	9.04
रा.व्य./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में)	12.45	14.55	17.69	19.14	19.96
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष पूँजीगत व्यय					
वर्तमान मूल्यों पर पूँ.व्य. (₹ करोड़ में)	4,722	5,543	8,159	10,861	11,952
वर्तमान मूल्यों पर पूँ.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.95	17.39	47.19	33.12	10.05
स्थिर मूल्यों पर पूँ.व्य. (₹ करोड़ में)	4,152	4,732	6,906	8,967	9,522
स्थिर मूल्यों पर पूँ.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.36	13.95	45.96	29.84	6.19
पूँ.व्य./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	2.50	2.54	3.95	4.61	4.68

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, मुद्रास्फीति हेतु लेखांकित करने के पश्चात भी स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में 2013-14 से 2017-18 तक राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय में वृद्धि हुई है। पूर्व के वर्षों की तुलना में 2017-18 में पूँजी निर्माण में वृद्धि की दर काफी कम थी।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) की अनुशंसाओं के आधार पर बजट में उपबंधित और राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम के अधीन विधानसभा में प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय नीति (एम.टी.एफ.पी.) विवरणी में लक्षित मुख्य अवयवों के अंतर्गत 2017-18 के दौरान राज्य का प्रदर्शन तालिका 1.4 में दिया गया है। झारखण्ड सरकार ने 2015-16 के दौरान उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम अशयोरेंस योजना) बॉण्ड पर बाज़ार से ₹ 5,553 करोड़ उधार लेकर और समेकित निधि से ₹ 583 करोड़ झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डिस्कॉम) को प्रदान किया। इसके बाद, उदय बॉण्ड पर कोई उधार नहीं लिया गया और परिणामस्वरूप, 2017-18 के दौरान राज्य के राजकोषीय घाटे पर उदय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

तालिका 1.4 : मुख्य राजकोषीय अवयव

(प्रतिशत में)

राजकोषीय अवयव	2017-18			वास्तविक
	राज्य के लिए 14 ^{वें} वि. आ. का लक्ष्य	एम.टी.एफ.पी. विवरणों में निर्धारित लक्ष्य	बजट के अनुसार लक्ष्य	
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व घाटा(-)/राजस्व आधिक्य (+)	शून्य	(+)2.77	(+)3.04	(+)0.71
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजकोषीय घाटा	3.25	2.49	2.72	4.67
वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. से सरकार के कुल बकाया ऋण का अनुपात	25.77	26.65	26.65	30.20

वर्ष 2006-07 में राज्य ने राजस्व घाटा को समाप्त कर एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में दिये गये लक्ष्यों को प्राप्त कर राजस्व घाटे को, वर्ष 2014-15² के अलावा, राजस्व आधिक्य में परिवर्तित कर लिया। 2017-18 में ₹ 1,804 करोड़ का राजस्व आधिक्य, स.रा.घ.उ. (0.71 प्रतिशत) के प्रतिशत के रूप में, एम.टी.एफ.पी. अनुमान (2.77 प्रतिशत) और बजट अनुमान (3.04 प्रतिशत) की तुलना में काफी कम था।

वर्ष 2017-18 के दौरान, राजकोषीय घाटा (₹ 11,933 करोड़) वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. का 4.67 प्रतिशत था, जो चौ.वि.आ. द्वारा 3.25 प्रतिशत की अनुशंसित सीमा से बहुत अधिक था। इसके अलावा, राज.घा.-स.रा.घ.उ. अनुपात एम.टी.एफ.पी. के अंतर्गत लक्ष्य और वर्ष के बजट अनुमान का लगभग दोगुना था।

2017-18 के दौरान, राज्य का ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात 30.20 प्रतिशत था जो एम.टी.एफ.पी. अनुमान (26.65 प्रतिशत) और चौ.वि.आ. अनुशंसा (25.77 प्रतिशत) से काफी अधिक था। उच्च ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात वर्ष के दौरान राज्य पर ऋण के बोझ में वृद्धि का संकेत था।

अनुशंसा : राज्य को अपनी राजकोषीय स्थिति मजबूत करने हेतु चौ.वि.आ. के मानक अनुमानों और एम.टी.एफ.पी. में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।

1.1.2.1 राजकोषीय घाटा एवं इसके वित्तपोषण स्वरूप का संयोजन

राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्वरूप को तालिका 1.5 में दर्शाया गया है:

² ₹ 230 करोड़ का राजस्व घाटा

तालिका 1.5: राजकोषीय घाटे के अवयव एवं वित्तपोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-08		
राजकोषीय घाटे का संयोजन		2,256	6,564	11,523	10,192	11,933		
1	राजस्व घाटा(-)/आधिक्य(+)	2,665	(-)230	4,085	1,965	1,804		
2	निवल पूँजीगत व्यय	4,722	5,543	8,159	10,861	11,928		
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	199	791	7,449	1,296	1,809		
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप*						प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
1	बाजार से लिये गये उधार	2,535	4,488	4,755	4,725	5,999	1,192	4,807
2	भारत सरकार से ऋण	(-)33	(-)5	(-)2	77	232	161	71
3	एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूति	129	335	573	(-)733	0	746	(-)746
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	455	(-)8	5,673	934	1,905	851	1,054
5	अल्प बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	9	(-)202	(-)159	(-)121	1,016	950	66
6	आरक्षित निधि	271	275	10	383	401	109	292
7	जमा एवं अग्रिम	(-)254	1,093	2,111	5,031	15,651	10,929	4,722
8	उचंत एवं विविध	(-)1	(-)13	17	(-)30	(-)163	61	(-)224
9	प्रेषण	157	(-)238	1	(-)30	10,559	10,466	93
10	अन्तर्राज्यीय समायोजन	(-)50	-	-	-	-	-	-
11	रोकड़ शेष वृद्धि(+)/घाटा(-)	580	841	(-)1,461	(-)43	1948	150	1,798

* ये सभी आँकड़े वर्ष के दौरान, 2017-18 को छोड़कर, निवल संवितरण/बहिर्गमन हैं।

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वर्ष 2017-18 के दौरान, ₹ 11,933 करोड़ के राजकोषीय घाटे की प्रतिपूर्ति मुख्यतः बाजार उधार (₹ 4,807 करोड़) और जमा एवं अग्रिम (₹ 4,722 करोड़) से किया गया।

1.1.2.2 घाटा/आधिक्य की गुणवत्ता

आदर्श रूप में, राज्य का राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान सहित) राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया जाना चाहिए। जहाँ राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक में जमा से उधार लेकर तथा निकासी से किया जाता है, वहीं राजस्व आधिक्य को पूँजीगत व्यय हेतु उपयोग में लाया जा सकता है ताकि रिजर्व बैंक जमा (रि.बैं.ज.) से उधार लेने व निकासी की आवश्यकता कम हो। अग्रतर, यदि गैर-ऋण प्राप्तियों से प्राथमिक व्यय³ पूरा हो सके तो उधार लेकर वित्तपोषित करने हेतु कोई भी प्राथमिक घाटा नहीं होगा। अतः, राज्य के वित्त की स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि वृद्धिशील प्राथमिक व्यय और वृद्धिशील ब्याज भुगतान को पूरा करने के लिए गैर-ऋण प्राप्तियाँ पर्याप्त होनी चाहिए।

³ राजस्व, पूँजीगत और ऋण व अग्रिम पर व्यय लेकिन ब्याज भुगतान नहीं

तालिका 1.6: राज्य में प्राथमिक घाटा/आधिक्य के अवयव

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा(-)/आधिक्य(+)	प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य(+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2013-14	26,160	20,858	4,722	222	25,802	(+)5,302	(+)358
2014-15	31,598	28,866	5,543	824	35,233	(+)2,732	(-)3,635
2015-16	40,669	33,233	8,159	7,480	48,872	(+)7,436	(-)8,203
2016-17	47,093	40,917	10,861	1,335	53,113	(+)6,176	(-)6,020
2017-18	52,824	46,290	11,953	1,852	60,095	(+)6,534	(-)7,271


स्रोत: संबंधित वर्षों का झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

तालिका 1.6 में प्राथमिक घाटों का अवयव घाटे के उस परिमाण को इंगित करता है जो पूँजीगत व्यय में वृद्धि के कारण है जो कि राज्य के अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता के उन्नयन हेतु वांछनीय हो सकता है।

1.1.3 बजट अनुमान एवं वास्तविक

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट दस्तावेज किसी विशेष राजकोषीय वर्ष हेतु राजस्व एवं व्यय के अनुमानों या आकलनों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। राजस्व एवं व्यय के आकलन में शुद्धता के महत्व को समग्र आर्थिक प्रबंधन हेतु राजकोषीय नीतियों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के संदर्भ में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। बजट अनुमानों से विचलन, कई कारणों से जो सरकार के नियंत्रणाधीन व नियंत्रण से बाहर दोनों प्रकार के हैं, अपेक्षित राजकोषीय लक्ष्यों की अप्राप्ति और गैर-अनुकूलन के सूचक हैं।

चार्ट 1.1 2017-18 के लिए कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदंड हेतु बजट अनुमान तथा वास्तविक आँकड़ों का एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।



स्रोत: झारखण्ड सरकार की वार्षिक वित्तीय विवरणी और वित्त लेखे 2017-18

टिप्पणी: कर राजस्व में संघीय करों में राज्य का हिस्सा सम्मिलित है।

उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय दोनों, वर्ष 2017-18 हेतु राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये बजट अनुमानों से काफी कम था। वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ अपने बजट अनुमान से ₹ 13,222 करोड़ से कम थी, जो मुख्य रूप से कर राजस्व में ₹ 7,615 करोड़ और कर भिन्न राजस्व से बजट अनुमान के विरुद्ध ₹ 3,411 करोड़ कम संग्रहण के कारण था।

2017-18 के दौरान राजस्व व्यय (₹ 7,270 करोड़ से) में कमी मुख्यतः बजट अनुमानों की तुलना में सामाजिक सेवाओं (₹ 3,603 करोड़ से) और आर्थिक सेवाओं (₹ 3,265 करोड़ से) पर कम खर्च के कारण हुई।


वर्ष के दौरान, राज्य का पूँजीगत व्यय बजट अनुमानों से ₹ 789 करोड़ कम था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को बजट तैयार करने के उपक्रम को तर्कसंगत बनाना चाहिए ताकि बजट अनुमान और वास्तविक के बीच की खाई को पाटा जाए।



1.2 राज्य के संसाधन

उपर पृष्ठ 2 में तालिका 1.2 और चार्ट 1.2 से चार्ट 1.4 राज्य के आर्थिक संसाधनों के विभिन्न स्वरूप प्रस्तुत करते हैं जैसा कि वित्तीय लेखाओं में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2 : संसाधनों के घटक तथा उप-घटक



स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2017-18




स्रोत : झारखण्ड सरकार के वर्ष 2016-17 व 2017-18 के वित्त लेखे

2017-18 में कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा (रा.प्रा./कु.प्रा.) एक प्रतिशत बढ़ा, जबकि कुल प्राप्तियों में लोक लेखा प्राप्तियों का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में एक प्रतिशत कम रहा। कुल प्राप्तियों में पूँजीगत प्राप्तियों का हिस्सा 2016-18 के दौरान समान रहा।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वर्ष 2013-18 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और संयोजन परिशिष्ट 1.3 एवं चार्ट 1.5 में प्रस्तुत किए गए हैं।



स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

राज्य का अपना राजस्व भारत सरकार से प्राप्त राजस्व (सी.टी.टी. तथा जी.आई.ए.) से कम था। 2017-18 के दौरान, सहा.अनु. और करों का केंद्रीय हिस्सा उल्लेखनीय रूप से बढ़ा (क्रमशः 23.20 प्रतिशत और 10.50 प्रतिशत), जबकि राज्य राजस्व की वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में केवल 8.30 प्रतिशत थी।

स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.7 में प्रस्तुत की गयी है।

तालिका 1.7 : स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.) (₹ करोड़ में)	26,137	31,565	40,638	47,054	52,756
रा.प्रा. के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	5.52	20.77	28.74	15.79	12.12
रा.प्रा./स.रा.घ.उ. वर्तमान मूल्य पर (प्रतिशत)	13.86	14.44	19.67	19.98	20.67
रा.प्रा./स.रा.घ.उ. स्थिर मूल्य पर (प्रतिशत)	15.76	16.92	23.24	24.20	25.94
राज्य का स्वयं का कर/स.रा.घ.उ. वर्तमान मूल्य पर	4.97	4.74	5.56	5.65	4.84
राज्य का स्वयं का कर/स.रा.घ.उ. स्थिर मूल्य पर	5.66	5.55	6.56	6.84	6.07
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर	7.92	15.89	-5.45	14.01	8.37
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर	1.57	12.49	-6.25	11.20	4.57

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

14वें वित्त आयोग के आकलन एवं बजट अनुमान की तुलना में 2017-18 हेतु राज्य के वास्तविक स्वयं का कर और कर-भिन्न राजस्व तालिका 1.8 में दिया गया है।

तालिका 1.8: कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	14 ^{वें} वि.आ. के अनुमान	बजट अनुमान	वास्तविक
स्वयं का कर राजस्व	18,867	18,401	12,353
कर-भिन्न राजस्व	5,357	11,257	7,847
स्व कर राजस्व से स.रा.घ.उ	7.39	7.21	4.84

स्रोत: 14^{वें} वि.आ. प्रतिवेदन, बजट दस्तावेज़ तथा 2017-18 का वित्त लेखा

आकलन एवं अनुमान के विरुद्ध स्वयं के कर राजस्व की कम प्राप्ति मुख्यतः अनुमानों से वस्तु एवं सेवा कर (₹ 2,442 करोड़ से), राज्य उत्पाद (₹ 759 करोड़ से) के कम संग्रहण के कारण थी, जबकि कर-भिन्न राजस्व में यह अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों से राजस्व के कम संग्रह (₹ 2,567 करोड़ से) के कारण था।

पड़ोसी राज्यों की तुलना में पिछले पाँच वर्षों के दौरान झारखण्ड के स.रा.घ.उ. से स्वयं के कर राजस्व (ओ.टी.आर.) का अनुपात तालिका 1.9 में दिखाया गया है।

तालिका 1.9: स.रा.घ.उ. से ओ.टी.आर. अनुपात और पड़ोसी राज्यों के साथ तुलना

राज्यों के नाम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
झारखण्ड	4.97	4.74	5.56	5.65	4.84
बिहार	6.29	6.05	6.89	5.57	4.74
ओडिशा	5.70	6.31	6.81	6.06	6.71
पश्चिम बंगाल	5.29	5.49	5.33	5.17	5.16
छत्तीसगढ़	6.93	7.10	7.29	7.22	6.82

जैसा कि ऊपर तालिका में दिखाया गया है, झारखण्ड का स.रा.घ.उ. से ओ.टी.आर. अनुपात (4.84 प्रतिशत) पड़ोसी राज्यों जैसे ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ (क्रमशः 6.71, 5.16 और 6.82 प्रतिशत) के अनुपात से काफी कम था, जबकि यह वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार के अनुपात (4.74 प्रतिशत) की तुलना में थोड़ा अधिक था।

1.3.1.1 कर-राजस्व

प्रमुख करों और शुल्कों के सकल संग्रहण तालिका 1.10 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.10: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	सी.ए.जी. आर.*	2017-18 में संग्रहण पर व्यय (प्रतिशत)	संग्रहण पर व्यय (2016-17) (प्रतिशत)	2016-17 में संग्रहण पर व्यय का अखिल भारतीय औसत 2016-17
बिक्री, व्यापार पर कर,एस.जी.एस.टी.** इत्यादि	7,305	8,070	8,999	10,549	9,839	7.73	0.64	0.47	0.69
राज्य उत्पाद	628	740	912	962	841	7.57	2.35	1.74	2.01
वाहनों पर कर	495	660	633	682	778	11.97	0.82	0.91	2.61
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	502	531	532	607	469	(-1.69)	3.63	2.85	2.99
भू राजस्व	230	84	164	240	156	(-9.25)	-	-	-
सामागियों तथा यात्रियों पर कर	1	1	0	0	0	-	-	-	-
अन्य कर	219	264	239	259	270	5.37	-	0.82	-
कुल कर राजस्व	9,380	10,350	11,479	13,299	12,353	-	-	-	-

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

* सी.ए.जी.आर.: चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर

** एस.जी.एस.टी.: राज्य वस्तु एवं सेवा कर

पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान राज्य की स्वयं की कर प्राप्तियाँ 7 प्रतिशत तक घटीं। बिक्री व्यापार पर कर और एस.जी.एस.टी. में कमी की भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में क्षतिपूर्ति (₹1,265 करोड़) की गयी जैसा कि कंडिका 1.3.3. में वर्णित है। 2017-18 के दौरान राज्य उत्पाद के अंतर्गत प्राप्तियाँ ₹ 121 करोड़ तक कम हो गयीं क्योंकि राज्य सरकार ने मदिरा की बिक्री को अगस्त 2017 से अपने हाथ में ले लिया था और परिणामस्वरूप दुकानों की संख्या कम हो गयी। ₹ 50 लाख तक के मूल्य वाले भूखंड/घर के प्रथम निबंधन पर महिलाओं को दिये गये छूट के परिणामस्वरूप मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क से प्राप्तियों में भी कमी आयी (₹ 138 करोड़)। सरकारी भूमि के बंदोबस्ती की नीति में संशोधन के कारण 2017-18 के दौरान राज्य का भू राजस्व (₹ 84 लाख तक) घटा।

स्वयं के कर संग्रहण पर व्यय

जैसा कि तालिका 1.10 में दर्शाया गया है, 2017-18 के दौरान राज्य में करों के संग्रह की लागत राज्य उत्पाद शुल्क और मुद्रांक व निबंधन शुल्क के संबंध में अखिल भारतीय औसत से काफी अधिक थी। अग्रतर, 2017-18 में, वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) लागू होने के बाद इन शीर्षों के अंतर्गत करों के कम संग्रह के कारण राज्य में करों के संग्रह पर व्यय पिछले साल की तुलना में सभी करों के मामले में, वाहनों पर करों को छोड़कर, अधिक थी, जबकि संग्रह पर व्यय समान था।

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व (एन.टी.आर.)

वर्ष 2017-18 के दौरान संग्रह किए गए कर-भिन्न राजस्व 14वें वित्त आयोग द्वारा उस वर्ष हेतु ₹ 5,357 करोड़ के मानक अनुमान के विरुद्ध ₹ 7,847 करोड़ थे।

2013-18 के दौरान संग्रह किए गए घटक-वार कर-भिन्न राजस्व तालिका 1.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11: घटक-वार कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)					
राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
ब्याज प्राप्तियाँ	69.48	143.04	122.44	121.34	168.88
लाभांश एवं लाभ	18.00	0.00	0.47	0.00	0.00
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ	3,665.23	4,192.02	5,730.11	5,230.07	7,677.79
कुल	3,752.71	4,335.06	5,853.02	5,351.41	7,846.67

स्रोत : संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

राजस्व प्राप्तियों में एन.टी.आर. का हिस्सा वर्ष 2016-17 में 11.37 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 14.87 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2016-17 के दौरान नौ प्रतिशत कमी की तुलना में, पिछले वर्षों के सापेक्ष 2017-18 में कर भिन्न राजस्व मुख्यतः अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों (₹ 1,847 करोड़), अन्य सामाजिक सेवाओं (₹ 168 करोड़) तथा फसल कृषि व्यवस्था (₹ 160 करोड़) में अधिक प्राप्तियों के कारण 46.64 प्रतिशत तक बढ़ा।

अनुशंसा: सरकार को बजट दस्तावेज में दी गई प्राप्तियों के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

1.3.2 भारत सरकार से सहायता-अनुदान

भारत सरकार द्वारा सहायता-अनुदानों के विमुक्ति की प्रवृत्ति तालिका 1.12 में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.12: भारत सरकार द्वारा विमुक्त घटक-वार अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
गैर-योजना अनुदान	1,319.91	1,780.26	1,685.82	1,875.29	-
राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान	1,565.83	4,914.69	4,950.18	6,792.89	-
केंद्रीय योजना स्कीम के लिए अनुदान	28.28	83.56	50.90	78.01	-
केंद्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान	1,150.96	614.17	650.74	515.16	-
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	-	-	-	-	7,985.24
वित्त आयोग अनुदान	-	-	-	-	1,583.03
अन्य अनुदान	-	-	-	-	1,844.02
कुल	4,064.98	7,392.68	7,337.64	9,261.35	11,412.29
पिछले वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	(-)16.00	82.00	(-)0.74	26.21	23.22
राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष कुल अनुदान की प्रतिशतता	15.55	23.42	18.06	19.68	21.63

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2017-18

टिप्पणी: वर्ष 2017-18 व उसके बाद से भारत सरकार के अनुदानों के उप-मुख्य शीर्ष और नामपद्धति बदल दिए गये हैं। इसलिये इसे तालिका में पृथक दर्शाया गया है।

भारत सरकार से अनुदान 2016-17 के ₹ 9,261.35 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 11,412.29 करोड़ हो गया जिसका मुख्य कारण जी.एस.टी. के कार्यान्वयन से हुई राजस्व हानि हेतु राज्य को प्राप्त (₹ 1,539.90 करोड़⁴) क्षतिपूर्ति था।

1.3.3 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

विगत पाँच वर्षों के केन्द्रीय कर हस्तांतरण (सी.टी.टी.) की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.13 में दर्शायी गयी हैं।

तालिका 1.13 : केन्द्रीय कर हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	सी.ए.जी.आर.
केन्द्रीय कर हस्तांतरण (सी.टी.टी.)	8,939	9,487	15,969	19,142	21,144	24.02
राजस्व प्राप्तियों में सी.टी.टी. का अंश	34.20	30.06	39.30	40.68	40.08	-

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

⁴ सी.एस.टी. की चरणबद्ध समाप्ति के कारण हुई राजस्व हानि के लिए भारत सरकार से 2012-13 से संबंधित क्षतिपूर्ति के रूप में 2017-18 के दौरान प्राप्त ₹ 274.90 करोड़ सम्मिलित।

पिछले वर्ष के सापेक्ष 2017-18 में सी.टी.टी. में वृद्धि मुख्यतः केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (₹ 299 करोड़) तथा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (₹ 2,134.44 करोड़) के अंतरण के कारण था। 2017-18 के दौरान सी.टी.टी. राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 40.08 प्रतिशत था ।

वस्तु एवं सेवा कर

राज्य सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) अधिनियम लागू किया जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 के अनुसार, केंद्र सरकार पाँच वर्ष के लिए राज्यों में वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए राज्यों को मुआवजा देगी। राज्यों के देय मुआवजे की गणना भारत के सीएजी द्वारा अंकेक्षित अंतिम राजस्व आँकड़ों की प्राप्ति के बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए की जाएगी। जी.एस.टी. में आत्मसात करों का एक आधार वर्ष (2015-16) राजस्व आँकड़ा जी.एस.टी. अधिनियम के तहत तय किया गया। झारखण्ड के मामले में, आधार वर्ष (2015-16) के दौरान राजस्व ₹ 6,410.51 करोड़ था। किसी भी वर्ष हेतु एक राज्य में अनुमानित राजस्व उस राज्य के आधार वर्ष राजस्व पर अनुमानित विकास दर (14 प्रतिशत प्रति वर्ष) को लागू कर निकाला जाएगा।

वर्ष 2017-18 का अनुमानित राजस्व आधार वर्ष के आँकड़े के अनुरूप ₹ 8,331.10 करोड़ था और वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 की धारा 7 के अनुसार झारखण्ड के अनुमानित द्विमासिक राजस्व आँकड़ा ₹ 1,388.52 करोड़ था जो 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक कुल ₹ 6,248.34 करोड़ था। जी.एस.टी. के अंतर्गत वर्ष 2017-18 का राजस्व आँकड़ा वित्त लेखाओं में उनकी प्राप्तियों की प्रकृति अर्थात् राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.), एस.जी.एस.टी और आइ.जी.एस.टी (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर) में इनपुट टैक्स क्रेडिट तिर्यक उपयोग, कर घटक के आइ.जी.एस.टी.-ट्रांसफर-इन का एस.जी.एस.टी. में संविभाजन और आइ.जी.एस.टी. से अग्रिम संविभाजन के अनुसार दर्शाया गया है। ₹ 6,248.34 करोड़ के अनुमानित राजस्व के विरुद्ध, जी.एस.टी. के अंतर्गत राज्य सरकार की जुलाई 2017 से मार्च 2018 के दौरान राजस्व प्राप्ति तालिका 1.14 में दी गई है।

तालिका 1.14: अनुमानित राजस्व और जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक
एस.जी.एस.टी./आई.जी.एस.टी. संग्रह

माह	रक्षित राजस्व	जी.एस.टी. पूर्व संग्रहित कर*	संग्रहित एस.जी.एस.टी.	आई.जी.एस.टी. अनंतिम संविभाजन	कुल प्राप्त राशि**	प्राप्त मुआवजा ***	कम प्राप्ति (-)/अधिक प्राप्ति (+)
	1	2	3	4	5=(2+3+4)	6	7= {(5+6)-1}
जुलाई एवं अगस्त 2017	1,388.52	1110.27	326.43	0	1,436.70	313.00	361.18
सितम्बर एवं अक्टूबर 2017	1,388.52	571.59	648.82	0	1,220.41	489.00	320.89
नवम्बर एवं दिसम्बर 2017	1,388.52	619.45	954.64	0	1,574.09	94.00	279.57
जनवरी एवं फरवरी 2018	1,388.52	663.64	1,112.42	0	1,776.06	369.00	756.54
मार्च 2018	694.26	1037.75	800.57	281	2,119.32	0.00	1,425.06
कुल	6,248.34	4,002.70	3,842.88	281.00	8,126.58	1,265.00	3,143.24

*वैट व सी.एस.टी. (शुद्ध वापसी) और पेट्रोलियम उत्पादों तथा मदिरा पर वैट व सी.एस.टी. को छोड़कर जी.एस.टी. में आत्मसात करों से प्राप्त राजस्व सम्मिलित है।

** आँकड़े लेखापरीक्षित हैं।

*** क्षतिपूर्ति के आँकड़े औपबंधिक हैं।

आई.जी.एस.टी. का अग्रिम संविभाजन और जी.एस.टी. मुआवजे के विरुद्ध इसका समायोजन

एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 के अंतर्गत राज्य सरकारों के बीच एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर का संविभाजन भारत सरकार को करना है। राज्य कर प्रभाग, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (भारत सरकार) ने ₹ 281 करोड़ के संविभाजन का अनंतिम/अग्रिम भुगतान इस शर्त पर संस्वीकृत किया (मार्च 2018) कि यह राशि अप्रैल 2018 से प्रारंभ दस समान किस्तों के मासिक वापसी के आधार पर आई.जी.एस.टी. के नियमित भुगतान से वर्ष 2018-19 में समायोजित होगी।

1.3.4 त्यक्त राजस्व

1.3.4.1 करों का अल्प-निर्धारण, आरोपण न किया जाना, अल्प आरोपण

2017-18 के दौरान, व्यापार इत्यादि पर कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क और खनन प्राप्तियों से संबंधित 57 इकाइयों के अभिलेखों के नमूना जाँच ने 8,136 मामलों में कुल ₹ 1,255.35 करोड़ राजस्व के अल्प-निर्धारण/अल्प आरोपण/हानि उद्घाटित किया। 2017-18 के दौरान, संबंधित विभागों ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 7,159 मामलों में ₹ 39.28 करोड़ के अल्प निर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया। तथापि, इस संबंध में की गयी वसूली अभी तक लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया है।

1.3.4.2 बकाया राजस्व

31 मार्च 2018 तक, राजस्व के संग्रह में ₹ 6,355.57 करोड़ (वाणिज्य कर विभाग) बकाया था, जिसमें से ₹ 1,646.43 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थी। अग्रतर, ₹ 1,580.03 करोड़ न्यायालय तथा अन्य अपीलीय प्राधिकरियों द्वारा रोक दिया गया था। अन्य विभागों से राजस्व बकाया संबंधी सूचना प्रस्तुत नहीं की गई (मार्च 2019)। 31 मार्च 2018 को कुल राजस्व बकाया 2016-17 के दौरान 23 प्रतिशत के विरुद्ध राज्य के अपने संसाधनों का 31 प्रतिशत था।

1.3.5 श्रम सेस

भवन और अन्य निर्माण कर्मी कल्याण सेस नियमावली 1998 की धारा 5 के अनुसार, संवेदकों से श्रम सेस के रूप में संग्रहित राशि को श्रमिक कल्याण बोर्ड को अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

वित्त लेखे के अनुसार, 2017-18 तक सरकारी परियोजनाएँ कार्यान्वित करने वाले संवेदकों से सेस के रूप में ₹ 393.67 करोड़ संग्रहित किया गया था। संग्रहित किए गए सेस को श्रमिक कल्याण बोर्ड (मार्च 2019) को अंतरित नहीं किया गया जिससे संबंधित वर्षों के दौरान राज्य के राजस्व आधिक्य में वृद्धि और राजकोषीय घाटे में कमी दर्ज हुई तथा यह राज्य के अलेखांकित देनदारियों को दर्शाता है जैसा कि कंडिका 3.11 में चर्चा किया गया है।

1.3.5.1 श्रम सेस का लेखांकन एवं उपयोगिता

यह देखा गया कि श्रमिक कल्याण बोर्ड ने शुरूआत से ही लेखाओं का अंतिम रूप नहीं दिया है (जुलाई 2008)। तथापि, सेस की प्राप्तियाँ एवं उपयोगिता जैसा कि बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया तालिका 1.15 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.15: बोर्ड द्वारा प्राप्त की गई राशि एवं उसकी उपयोगिता का विवरण
(₹ करोड़ में)

वर्ष	सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की गई राशि	बोर्ड के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई राशि	कुल प्राप्तियाँ	बोर्ड द्वारा योजनाओं पर खर्च की गई राशि	स्थापना पर खर्च की गई राशि	कुल व्यय	उपयोग में नहीं लाई गई शेष राशि
(1)	(2)	(3)	{{(2+3)=4}}	(5)	(6)	{{(5+6)=7}}	{{(4-7)=8}}
2015-16 तक	5.08	252.16	257.24	104.08	1.66	105.74	151.50
2016-17	0	70.26	70.26	48.33	1.29	49.62	20.64
2017-18	0	31.40	31.40	41.64	0.90	42.54	-11.14
कुल	5.08	353.82	358.90	194.05	3.85	197.90	161.00

वर्ष 2009-10 से 2017-18 की अवधि के दौरान, बाईस कल्याणकारी योजनाओं पर ₹ 194.05 करोड़ खर्च किए गए, जबकि ₹ 3.85 करोड़ स्थापना पर खर्च किए गए।

अनुशंसा: झारखण्ड भवन और अन्य निर्माण कर्मी (भ.व.अ.नि.क.) कल्याण बोर्ड को वार्षिक लेखाओं की समयबद्ध तैयारी और लेखापरीक्षा के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को इसकी प्रस्तुति हेतु कदम उठाना चाहिए।

झारखण्ड सरकार को यथाशीघ्र श्रम सेस का श्रमिक कल्याण बोर्ड में अंतरण सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि भ.व.अ.नि.क. कल्याण बोर्ड भवन व अन्य निर्माण कर्मियों के काम करने की परिस्थितियों को बेहतर बनाने व उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके।

1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों के अतिरिक्त, राज्य ने पूँजीगत प्राप्तियाँ भी प्राप्त किया, जिसमें विनिवेश से प्राप्तियाँ, सरकार द्वारा दिए गए ऋणों व अग्रिमों की वसूली, वित्तीय संस्थानों से सरकार के आंतरिक उधार तथा भारत सरकार से ऋण व अग्रिम सम्मिलित हैं। 2013-18 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों के विवरण तालिका 1.16 में दिये गये हैं।

तालिका 1.16 : वृद्धि की प्रवृत्तियाँ और प्राप्तियों का संयोजन

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पूँजीगत प्राप्तियाँ (पूँ.प्रा.)	4,726.00	6,723.00	13,276.00	7,120.00	8,204.00
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00 ⁵
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	23.00	33.00	31.00	38.00	42.00
लोक ऋण प्राप्तियाँ	4,703.00	6,690.00	13,245.00	7,081.00	8,137.00
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	(-)9.50	42.30	98.00	(-)47.00	15.00
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	(-)46.51	43.48	(-)6.06	22.58	76.32
वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ. के वृद्धि की दर	7.92	15.89	-5.45	14.01	8.37
पूँ.प्रा. के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	(-)9.54	42.25	97.98	(-)46.54	14.90

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

पिछले की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य की पूँजीगत प्राप्तियाँ 15 प्रतिशत तक बढ़ीं। उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना (उदय) बॉण्ड के अंतर्गत ₹ 5,553.37 करोड़ एकमुश्त उधार लेने के कारण 2015-16 में ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ काफी अधिक थीं। 2016-18 के दौरान उदय बॉण्ड पर कोई उधार नहीं लिया गया था।

⁵ 2017-18 के दौरान परिसंपत्तियों के विनिवेश के कारण ₹ 25 करोड़ की विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ थी।

1.4.1 ऋणों एवं अग्रिमों से वसूलियाँ

विगत पाँच वर्षों के दौरान दिए गए ऋणों एवं की गयी वसूलियों के विवरण नीचे तालिका में दिये गये हैं :

तालिका 1.17: ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
ऋणों का आरंभिक शेष	7,748	7,947	8,738	16,187	17,482 [#]
दिये गये ऋण	222	824	7,480	1,335	1,852
की गई वसूली	23	33	31	39	42
ऋणों का अंतिम शेष	7,947	8,738	16,187	17,483	19,292

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

पूर्णांक किए के कारण समायोजित

प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले ऋणों और अग्रिमों का प्रमुख प्राप्तकर्ता डिस्कॉम था, लेकिन उसके विरुद्ध कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया, जिससे 31 मार्च 2018 के अंत में ₹ 18,444 करोड़ का बकाया हो गया। डिस्कॉम के कुल बकाया ऋण में ₹ 7,222.18 करोड़ की राशि भी शामिल था, जो झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड का जनवरी 2014 में इसके विभाजन से पूर्व का बकाया ऋण था और अंतिम निष्पादन हेतु सरकारी खाते में रखा गया था। 2017-18 के दौरान, डिस्कॉम को ₹ 1,761 करोड़ का नया ऋण दिया गया। उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए ₹ 42 करोड़ की वसूली मुख्य रूप से सरकारी सेवकों को दिए गए ऋण व अग्रिमों से थी।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

राज्य सरकार का आंतरिक ऋण 2013-14 में ₹ 4,597 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 7,905 करोड़ हो गया। हालाँकि, 2015-16 के दौरान, यह उदय बॉण्ड पर लिये गये उधार के कारण ₹ 13,080 करोड़ था।

तालिका 1.18: आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सरकार का आंतरिक ऋण	4,597	6,537	13,080	6,847	7,905
कुल लोक ऋण एवं अन्य दायित्व	12,841	19,809	33,843	19,193	25,205
कुल लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के प्रतिशत के रूप में	35.80	33.00	38.65	35.67	31.36

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

राज्य द्वारा निवेशों पर प्रतिफल की तुलना में उच्चतर ब्याज दर पर लिये गये उधार के प्रभाव की चर्चा कंडिका 1.8.3 में की गई है।

1.4.2.1 डिस्काॅम्स हेतु उदय बॉण्ड पर उधार

राज्य डिस्काॅम्स के संचालन तथा वित्तीय क्षमता सुधार हेतु, राज्य सरकार ने 2015-16 के दौरान ₹ 6,136 करोड़ का ऋण जे.बी.वी.एन.एल. को दिया जिसमें से ₹ 5,553 करोड़ उदय बॉण्ड पर उधार के रूप में जुटाए गए और ₹ 583.00 करोड़ राज्य के समेकित कोष से दिए गए। उदय बॉण्ड पर उधार 8 से 8.99 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर से उठाया गया है, जो कि वर्ष 2021-22 से 2030-31 के बीच चुकाया जाना था, जबकि जे.बी.वी.एन.एल. को दिए गए ऋण की ब्याज दर प्रति वर्ष 13 प्रतिशत थी।

2016-17 और 2017-18 के दौरान उदय बॉण्ड पर राज्य द्वारा कोई उधार नहीं लिया गया था।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ

लोक लेखाओं के लेन-देन राज्य विधानसभा के वोट का विषय नहीं होते हैं। संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य के लोक लेखाओं का शेष तालिका 1.19 में दिया गया है।

तालिका 1.16: लोक लेखा प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
लोक लेखा प्राप्तियाँ	14,275	20,189	29,037	22,052	27,833
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	760	843	830	873	1,016
आरक्षित निधि	293	308	522	453	401
जमा व अग्रिम	7,204	12,182	19,499	11,145	16,020
उच्यंत तथा विविध	-59	18	161	300	-163
प्रेषण	6,077	6,838	8,025	9,281	10,559


स्रोत झारखण्ड :सरकार के संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान जमा और अग्रिम में वृद्धि मुख्य रूप से डिस्काॅम्स कंपनियों के व्यक्तिगत बही खातों में क्रेडिट में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण राज्य बिजली बोर्ड कार्यकारी निधि (₹ 1,370 करोड़ से) और 'अन्य निधि' (₹ 2,160 करोड़ से) के रूप में दर्ज की गई थी।

1.6 संसाधनों के अनुप्रयोग

व्यय के संयोजन एवं वृद्धि

चार्ट 1.6 विगत पाँच वर्षों (2013-18) में कुल व्यय की प्रवृत्तियाँ तथा इसके संयोजन को दर्शाता है।



स्रोत: झारखण्ड सरकार के संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

1.6.1 पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.)

2017-18 के दौरान, पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.) वर्ष 2016-17 के ₹ 10,861 करोड़ के विरुद्ध ₹ 11,953 करोड़ बढ़ा। वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ से पूँ.व्य. का प्रतिशत 2016-17 के 4.61 प्रतिशत के विरुद्ध 2017-18 के दौरान 4.68 प्रतिशत था। 2014-18 के दौरान पूँजीगत व्यय में निरंतर वृद्धि हुआ।

पूँजीगत व्यय का वृहत हिस्सा आर्थिक सेवाओं (₹ 9,618 करोड़) पर था। परिवहन (₹ 5,142 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 2,093 करोड़) और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण (₹ 1,689 करोड़) पर व्यय को प्राथमिकता दी गई।

झारखण्ड के स.रा.घ.उ से पूँजीगत व्यय का अनुपात (4.68) पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ (क्रमशः 1.90 और 3.43) की तुलना में अधिक था। तथापि, यह बिहार और ओडिशा (क्रमशः 5.93 और 5.07) के अनुपात से कम था। पड़ोसी राज्यों की तुलना में पिछले पाँच वर्षों के दौरान झारखण्ड के स.रा.घ.उ से पूँ.व्य. के अनुपात की प्रवृत्ति नीचे तालिका 1.20 में दिखायी गयी है।

तालिका 1.20: स.रा.घ.उ से पूँजीगत व्यय का अनुपात और पड़ोसी राज्यों के साथ तुलना

राज्य	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
झारखण्ड	2.50	2.54	3.95	4.61	4.68
बिहार	4.42	5.29	6.49	6.39	5.93
ओडिशा	2.62	3.52	5.17	4.90	5.07
प.बंगाल	1.02	1.38	1.56	1.29	1.90
छत्तीसगढ़	2.21	2.96	3.39	3.61	3.43

1.6.2 राजस्व व्यय (रा.व्य.)

2017-18 के दौरान राजस्व व्यय (रा.व्य.) 2016-17 के प्रतिशत लगभग एक समान ही रहा, जो सकारात्मक रुझान था। 2013-14 और 2015-16 (83 प्रतिशत) में

राजस्व व्यय कुल व्यय से अधिक था। 2017-18 के दौरान राजस्व व्यय स.रा.घ.उ. का मौजूदा मूल्यों पर 20 प्रतिशत था।

2017-18 के दौरान ₹ 50,952 करोड़ के कुल राजस्व व्यय में से, ₹ 27,953 करोड़ स्थापना पर खर्च किए गए और ₹ 22,999 करोड़ राज्य और केंद्र की योजनाओं पर खर्च किए गए।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः वेतन एवं मजदूरी, सब्सिडी, पेंशन एवं ब्याज भुगतान पर व्यय सम्मिलित है। तालिका 1.21 और चार्ट 1.7, 2013-18 के दौरान इन अवयवों पर व्यय की प्रवृत्ति प्रस्तुत करते हैं।

तालिका 1.21: वेतन एवं मजदूरी, सब्सिडी, पेंशन तथा ब्याज भुगतानों पर व्यय के अवयव


(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के अवयव	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वेतन* और मजदूरी, जिसमें	6,934(27)	7,417(24)	8,218(20)	8,927 (19)	11,221(21)
गैर योजना शीर्ष	6,766(26)	7,193(23)	7,943(19)	8,649 (18)	10,790(20)
योजना शीर्ष	168(1)	224(1)	275(1)	278(1)	431(1)
ब्याज भुगतान	2,614(10)	2,929(9)	3,320(8)	4,172(9)	4,662(9)
पेंशन	3,484(13)	3,463(11)	3,990(10)	4,135(9)	5,913(11)
सब्सिडी	187(1)	246(1)	522(1)	1,859(4)	1,440(3)
कुल	13,219(51)	14,055(45)	16,050(39)	19,093(41)	23,236 (44)

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

कोष्ठक के आँकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

* इसमें सहायता-अनुदान से भुगतान किया गया वेतन भी सम्मिलित है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वेतन

वर्ष 2017-18 के दौरान वेतन एवं मजदूरी (₹ 11,221 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 4,662 करोड़) और पेंशन (₹ 5,913 करोड़) सम्मिलित रूप से राजस्व व्यय का 42.78 प्रतिशत लेखापित किया गया और यह राजस्व प्राप्तियों का 41.31 प्रतिशत था।

पेंशन

1 दिसम्बर 2004 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी नवीन पेंशन योजना (न.पें.यो.) के अंतर्गत आते हैं जो एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। योजना की शर्तों के अनुसार, कर्मचारी मूल वेतन एवं मँहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करते हैं जिसके समतुल्य राशि राज्य सरकार द्वारा भी दी जाती है और सम्पूर्ण राशि राष्ट्रीय सुरक्षा भंडार लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को अंतरित की जाती है।

2017-18 के दौरान, कर्मचारी अंशदान के रूप में ₹ 383.16 करोड़ एन.एस.डी.एल में अंतरित किया गया। राज्य सरकार ने 2017-18 के दौरान एन.एस.डी.एल. में कर्मचारियों के योगदान के रूप में ₹ 386.29 करोड़ की कुल प्राप्ति में से ₹ 382.47 करोड़ हस्तांतरित किए और 2017-18 के अंत में सार्वजनिक खाते में ₹ 13.52 करोड़⁶ का संतुलन छोड़ दिया (मुख्य शीर्ष 8342-117-परिभाषित योगदान पेंशन योजना) कर्मचारियों के योगदान के कम हस्तांतरण के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों को रा.पे.यो. के तहत एनएसडीएल द्वारा निवेशित शेष राशि उनके हक से वंचित कर दी गई है।

ब्याज भुगतान

पिछले वर्ष के सापेक्ष ब्याज भुगतान की वृद्धि दर मुख्यतः बाजार ऋण पर ब्याज में ₹ 199 करोड़ (8 प्रतिशत) की तीव्र वृद्धि के कारण 12 प्रतिशत था। और पिछले वर्ष की तुलना में अन्य आंतरिक ऋण पर ₹ 287 करोड़ (75 प्रतिशत) ब्याज था। 2017-18 के दौरान ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का नौ प्रतिशत था।

2016-17 तथा 2017-18 के दौरान ब्याज भुगतान के मुख्य घटक तालिका 1.22 में दिये गये हैं:

⁶ ₹ 9.70 करोड़ के आरंभिक शेष सहित

तालिका 1.22: ब्याज भुगतान के मुख्य घटक

(₹ करोड़ में)

ऋण के घटक	1 अप्रैल 2017 को बकाया दायित्व	2016-17		31 मार्च 2018 को बकाया दायित्व	2017-18	
		भुगतान किया गया ब्याज	भुगतान किया गया ब्याज बकाया शेष के प्रतिशत में		भुगतान किया गया ब्याज	भुगतान किया गया ब्याज बकाया शेष के प्रतिशत में
आंतरिक ऋण	43,755.57	3,817.29	8.72	48,682.31	4,330.05	8.89
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	2,085.49	118.50	5.68	2,162.28	116.18	5.37
लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	1,197.17	229.21	19.15	1,075.67	213.68	19.86
अन्य	9,492.00	7.25	0.08	14,906.70	1.77	0.01
कुल	56,530.23	4,172.25	7.38	66,826.96	4,661.68	6.98

स्रोत : संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

सब्सिडी

2017-18 के दौरान, झारखण्ड सरकार ने मुख्य रूप से मुख्य शीर्ष 3456-सिविल आपूर्ति (₹ 827 करोड़), 2401-फसल उत्पादन (₹ 398 करोड़), 2852-उद्योग (₹ 62 करोड़), के अंतर्गत ₹ 1,440 करोड़⁷ सब्सिडी के रूप में भुगतान किया। सब्सिडी 2013-14 में ₹ 187 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 1,859 करोड़ हो गया जो 2017-18 में घटकर ₹ 1440 करोड़ हो गया। 2017-18 में ₹ 419 करोड़ की कमी मुख्यतः चीनी/नमक (₹ 208 करोड़), प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (₹ 24 करोड़), अंत्योदय अन्न योजना (₹ 2 करोड़) और धान खरीद पर बोनस (₹ 2 करोड़) का वितरण शीर्ष 3456-सिविल आपूर्ति के तहत कम सब्सिडी के कारण हुआ। बिजली और सिंचाई के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी गई।

1.6.4 वृहत कार्यक्रम

2017-18 के दौरान, राज्य योजना (रा.यो.) अंतर्गत 35 मुख्य विशेष कार्यक्रमों के लिए ₹ 16,709 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया जिसके विरुद्ध ₹ 15,408 करोड़ का उपयोग किया गया। केंद्रीय योजना (कें.यो.) के अंतर्गत, वर्ष हेतु किये गये ₹ 8,575 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 10,461 करोड़ का उपयोग किया गया। वर्ष 2017-18 के दौरान रा.यो. तथा कें.यो. के अंतर्गत कुछ वृहत कार्यक्रमों पर हुए बजट प्रावधानों एवं वास्तविक व्यय तालिका 1.23 में दर्शाये गये हैं:

⁷ वित्त लेखा 2017-18 का परिशिष्ट II

तालिका 1.23 वृहत कार्यक्रमों पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यक्रमों के नाम	बजट प्रावधान	व्यय
राज्य योजना			
1	मुख्य सड़कें	3,978.52	3,812.46
2	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम -ग्रामीण सड़कों का निर्माण	1,107.09	1,082.18
3	संचरण हेतु झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड को ऋण	1,079.03	1,079.03
4	इंदिरा आवास योजना - सामान्य वर्ग के लिए योजना (प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण)	883.75	883.75
5	सर्व शिक्षा अभियान	620.00	400.00
6	मुख्य शहरी परिवहन परियोजना व नगरीय आधारभूत संरचना	555.00	555.00
7	ग्रामीण स्वच्छता	542.05	480.72
8	प्राथमिकता घरेलू योजनाएँ	497.45	497.86
केन्द्रीय योजना			
1	प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	546.21	546.21
2	स्वच्छ भारत अभियान (सी.एस.एस.)	116.53	116.53
3	स्मार्ट सिटी (सी.एस.एस.)	204.00	204.00
4	शहरी कायाकल्प मिशन (सी.एस.एस.)	123.59	123.59

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखा 2017-18 का परिशिष्ट-V

1.6.5 वित्तीय सहायता

2013-18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अनुदान के विवरण तालिका 1.24 में प्रस्तुत किये गये हैं।

तालिका 1.24: स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पंचायती राज्य संस्थाएँ (पं.रा.सं.)	910.68	3,378.42	3,407.48	2,533.77	1,270.13
शहरी स्थानीय निकाय (श.स्था.नि.)	88.38	1,619.77	1,830.77	2,961.14	1,155.11
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	1,528.89	3,643.86	3,987.54	0.00	0.00
स्वायत्त निकाय	2,451.34	2,512.95	5,480.60	7,942.59	11,431.05
गैर-सरकारी संस्थाएँ	106.65	684.99	0.00	0.00	0.00
अन्य	1,335.91	564.03	184.53	6,894.52	6,857.70
कुल	6,421.85	12,404.02	14,890.92	20,332.02	20,713.99
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में	27.36	39.01	40.74	45.09	40.65

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे का विवरणी-10

श.स्था.नि. एवं पं.रा.सं. को वित्तीय सहायता इस उद्देश्य हेतु विनिर्दिष्ट '3604-श.स्था.नि. एवं पं.रा.सं. को वित्तीय सहायता' शीर्ष के बजाय शहरी विकास विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के नियमित सेवा शीर्षों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया।

1.6.5.1 शहरी स्थानीय निकाय (श.स्था.नि.)

राज्य में 48 श.स्था.नि. (नगर निगम-9, नगर परिषद-20, नगर पंचायत-18, तथा अधिसूचित क्षेत्र समिति-1) हैं।

श.स्था.नि. को उपलब्ध करायी गयी निधियों के विवरण निम्न तालिका 1.25 में दिये गये हैं:

तालिका 1.25: स्थानीय शहरी निकायों को उपलब्ध करायी गयी निधियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	कुल
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)	26,137	31,565	40,638	47,054	52,756	198,150
राज्य का राजस्व व्यय (रा.व्य.)	23,472	31,795	36,553	45,089	50,952	187,861
स्थानीय शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	88	1,620	1,831	2,961	1,155.11	7,655.11
वित्तीय सहायता राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत में	0.34	5.13	4.51	6.29	2.19	3.86
वित्तीय सहायता राजस्व व्यय के प्रतिशत में	0.37	5.10	5.01	6.57	2.27	4.07
स्वयं का संग्रह ⁸	45.54	8.96	14.99	60.09	184.55 ⁹	314.13

स्रोत :संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

द्वितीय राज्य वित्त आयोग (दिसम्बर 2009 से दिसम्बर 2014) ने शहरी स्थानीय निकायों को निधि हस्तांतरण करने के संबंध में कोई अनुशंसा नहीं किया था। तृतीय राज्य वित्त आयोग (जनवरी 2014 से जनवरी 2019) ने इस संबंध में कोई अंतरिम अनुशंसा नहीं किया है। शहरी विकास विभाग ने झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 (परिशिष्ट 1.4 भाग-क) के अंतर्गत दिये गये 18 कार्यों तथा शक्तियों के हस्तांतरण पर किये गये कई लेखापरीक्षा पृच्छाछ पर प्रतिक्रिया नहीं दिया है।

राज्य सरकार ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को स्थानीय निकायों (स्थानीय शहरी निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं) के लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण (टी.जी.एस.) का दायित्व सौंपा है (अक्टूबर 2011)। तदनुसार, बिहार एवं उड़ीसा स्थानीय निधि लेखापरीक्षा अधिनियम, 1925 को मार्च, 2012 में संशोधित कर स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के निदेशक (डी.एल.एफ.ए.) द्वारा लेखापरीक्षा करने का प्रावधान किया गया जिन्हें भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा टी.जी.एस. उपलब्ध कराना अपेक्षित था। डी.एल.एफ.ए. को कार्यशील बनाने के लिए राज्य सरकार ने 22 पद सृजित (मार्च 2013) किया एवं नवम्बर 2014 में डी.एल.एफ.ए. नियुक्त किया। अगस्त 2016 में डी.एल.एफ.ए. ने सूचित किया कि तीन उप लेखानियंत्रक और 14 लेखापरीक्षा पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। डी.एल.एफ.ए. ने पुनः सितम्बर 2016 में यह भी सूचित किया कि वे शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा संचालित कर रहे हैं। तथापि, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) नमूना जाँच के आधार पर स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा कर रहे हैं।

⁸ नगर विकास विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों की अपने स्रोतों से संग्रहित निधियों से संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी। तथापि, विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के दौरान सूचना प्राप्त की गयी।

⁹ 39 शहरी स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त स्वयं का कर संग्रहण। 2017-18 के दौरान दो नगर परिषदों (चिरकुंडा एवं फुसरो), छः नगर पंचायतों (बचरा, बड़की सरैया, बड़हरवा, छत्तरपुर, डोमचांच एवं धनवार) और जुगसलाई अधिसूचित क्षेत्र समिति का लेखापरीक्षा नहीं हुआ।

1.6.5.2 पंचायती राज संस्थाएँ

राज्य में 4,689 पंचायती राज संस्थाएँ¹⁰ हैं। 2013-18 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को जारी निधियों के विवरण नीचे तालिका 1.26 में दिये गये हैं।

तालिका 1.26 पंचायती राज संस्थानों को जारी निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	कुल
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)	26,137	31,565	40,638	47,054	52,756	1,98,150
राज्य का राजस्व व्यय (रा.व्य.)	23,472	31,795	36,553	45,089	50,952	1,87,861
पं.रा.सं. को वित्तीय सहायता	911	3,378	3,407	2,534	1,270	11,500
वित्तीय सहायता रा.प्रा. के प्रतिशत में	3.49	10.70	8.38	5.39	2.41	5.80
वित्तीय सहायता रा.व्य. के प्रतिशत में	3.88	10.62	9.32	5.62	2.49	6.12

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

राज्य सरकार ने अक्टूबर 2012 में पंचायतों को निधियों के अंतरण का आदेश जारी किया। जैसा कि परिशिष्ट 1.4 भाग-ख में दर्शाया गया है। कुल नियत 29 कार्यों में से 16 कार्यों को अगस्त 2015 तक या तो सम्पूर्ण या अंशतः पं.रा.सं. को हस्तांतरित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने 'झारखण्ड पंचायती राज (बजट एवं लेखा) विनियमन 2010' अधिसूचित किया (मार्च 2011) तथा पं.रा.सं. में तदनुसार लेखांकन किया जाता है।

पं.रा.सं. का लेखापरीक्षा डी.एल.एफ.ए और महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा उसी तरह से किया जाता है जिस तरह कंडिका 1.6.5.1 के तहत चर्चा की गई है।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

2017-18 में विकासात्मक व्यय (सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय) कुल व्यय का 73 प्रतिशत था जबकि यह वर्ष 2016-17 में 76 प्रतिशत था।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

2013-14 को आधार वर्ष मानते हुए 2017-18 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक प्रक्षेत्र व्यय और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को तालिका 1.27 विश्लेषित करता है।

¹⁰ 24 जिला परिषद, 263 पंचायत समितियाँ और 4,402 ग्राम पंचायतें

तालिका 1.27: 2013-14 और 2017-18 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता*	कु.व्य./ स.रा.घ.उ.	वि.व्य./ कु.व्य.	आ.से.व्य./ कु.व्य.	सा.प्र.व्य./ कु.व्य.	पूँ.व्य./ कु.व्य.	शिक्षा/ कु.व्य.	स्वास्थ्य/ कु.व्य.
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (अनुपात) 2013- 2014	14.7	66.5	28.9	37.6	13.6	17.2	4.5
झारखण्ड राज्य का औसत (अनुपात) 2013- 2014	15.1	64.3	32.1	32.2	14.8	14.3	4.0
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2017-18	16.1	67.9	29.6	36.7	14.4	15.5	4.9
झारखण्ड राज्य का औसत (अनुपात) 2017-18	25.4	73.1	40.5	32.6	18.5	12.9	4.4

*वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता के रूप में

कु.व्य.: समग्र व्यय (कुल व्यय), वि.व्य.: विकास व्यय, सा.प्र.व्य.: सामाजिक प्रक्षेत्र व्यय, आ.से.व्य.: आर्थिक सेवा व्यय पूँ.व्य.: पूँजीगत व्यय

विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय एवं संवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं।

स्रोत: स.रा.घ.उ. जैसा कि सी.एस.ओ. के वेबसाइट पर 28 अगस्त 2018 को उपलब्ध।

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है 2017-18 में कुल व्यय से विकास व्यय एवं आर्थिक व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से ज्यादा था। तथापि, शिक्षा प्रक्षेत्र व्यय एवं स्वास्थ्य प्रक्षेत्र व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों के इन पर किये गये व्यय से कम थे।

अनुशंसा: सरकार को शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रक्षेत्र पर बल देते हुए सामाजिक प्रक्षेत्र व्यय को प्राथमिकता देनी चाहिए।

1.7.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

तालिका 1.28 पिछले वर्षों के दौरान बजट की राशि और व्यय के सम्मुख वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य के कुल व्यय के सापेक्ष विकास व्यय की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.28: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
					बजट आकलन*	वास्तविक
विकास व्यय						
विकास राजस्व व्यय	13,512(48)	21,171(55)	24,551(47)	32,065(56)	41,262	34,535(53)
विकास पूँजीगत व्यय	4,554(16)	5,217(14)	7,588(15)	10,271(18)	11,926	11,148(17)
विकास ऋण एवं अग्रिम	209(1)	807(2)	7,431 ¹¹ (14)	1,283(2)	1,923	1,796(3)
कुल	18,275	27,195	39,570	43,619	55,111	47,479
विकास व्यय की वृद्धि	(-)5.4	48.8	45.5	10.2	-	8.8

कोष्ठक में दिये गये आँकड़े कुल व्यय (रा.व्य + पूँ.व्य. + ऋण एवं अग्रिम) के प्रतिशत को इंगित करते हैं।

*बजट अनुमान और वास्तविक दोनों सकल आँकड़े हैं।

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे तथा बजट प्रकाशन 2017-18

¹¹ उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेस योजना के अंतर्गत डिस्कॉम को ₹ 5,553 करोड़ का ऋण.

1.7.3 चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय

तालिका 1.29 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय की दक्षता की प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.29: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता
(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक ढाँचा	2016-17			2017-18		
	कु.व्य. से पूँ.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में हिस्सा वे. एवं म.	सं. व र.*	कु. व्य. से पूँ.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में हिस्सा वे. एवं म.	सं. व र.
सामाजिक सेवायें (सा.से.)						
सामान्य शिक्षा	0.39	37.51	0.00	0.01	49.72	0.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	21.42	38.13	0.00	10.83	32.17	0.00
जलापूर्ति, स्वच्छता तथा आवास व शहरी विकास	7.96	3.29	0.27	10.14	3.33	0.10
कुल (सा.से.)	7.61	21.72	0.11	7.23	25.94	0.25
आर्थिक सेवायें (आ.से.)						
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	20.47	18.13	0.09	23.15	18.50	0.05
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	82.39	95.98	2.17	80.92	95.85	1.5
विद्युत और ऊर्जा	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	1.47
परिवहन	90.99	24.22	26.01	90.64	25.52	27.53
कुल (आ.से.)	37.21	9.84	3.21	36.71	10.68	2.84
कुल (सा.से.+आ.से.)	23.55	16.72	1.42	23.55	19.36	1.37
कु.व्य.: उस प्रक्षेत्र का कुल व्यय; पूँ.व्य.: पूँजीगत व्यय; रा.व्य.: राजस्व व्यय; वे.एवं म.: वेतन एवं मजदूरी; सं.व.र.: संचालन व रख-रखाव; वित्त लेखे के अनुसार यह विस्तृत शीर्ष 05- रखरखाव एवं मरम्मत के अंतर्गत दर्ज वास्तविक व्यय को प्रस्तुत करता है।						

स्रोत: झारखण्ड सरकार का वित्त लेखा 2017-18

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, सामान्य शिक्षा में राजस्व व्यय से वेतन का अनुपात 2016-17 में 37.51 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 49.72 प्रतिशत हो गया, जबकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में राजस्व व्यय से वेतन 2016-17 में 38.13 प्रतिशत से घट कर 2017-18 में 32.17 प्रतिशत हो गया।

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

यह भाग सरकार के निवेशों और अन्य पूँजीगत व्यय का व्यापक वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम

तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग ने सिंचाई परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यावहारिकता का मूल्यांकन करने हेतु इन पर लागत वसूली दर निर्धारित किया था। तथापि, झारखण्ड सरकार द्वारा किसी भी सिंचाई योजना को वाणिज्यिक घोषित नहीं किया गया।

वित्त लेखे के परिशिष्ट-VIII (i) के अनुसार 2017-18 के अंत तक झारखण्ड में ₹ 1,982.10 करोड़ के कुल पूँजीगत परिव्यय के साथ 42 सिंचाई परियोजनाएँ हैं, जिसमें से ₹ 1,720.06 करोड़ इन परियोजनाओं पर कार्यचालन व्यय एवं रखरखाव

शुल्कों पर खर्च किया गया। 2017-18 के दौरान, इन परियोजनाओं से राजस्व के रूप में ₹ 48.78 करोड़¹² प्राप्त हुए।

अनुशंसा : राज्य सरकार को वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार लागत वसूली हेतु सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यिक घोषित करने हेतु उपाय शुरू करनी चाहिये।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएँ

अपूर्ण परियोजनाएँ जिन्हें 31 मार्च 2018 या इससे पूर्व पूर्ण करना था से संबंधित विभाग-वार सूचना तालिका 1.30 में दी गयी है।

तालिका 1.30: अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार रूप रेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की अनुमानित लागत	31.3.2017 तक संचयी व्यय
भवन निर्माण	4	413.67	244.10
पेय जल एवं स्वच्छता	4	55.16	22.49
पथ निर्माण	48	1,789.44	1,032.61
ग्रामीण कार्य	4	34.69	17.36
जल संसाधन	53	179.61	86.10
कुल	113	2,472.57	1,402.66

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2017-18 का परिशिष्ट IX

अपूर्ण कार्य पर निधियों का अवरोध व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। परियोजनाओं/कार्यों को पूरा किये जाने में विलंब न केवल लागत वृद्धि के जोखिम को आमंत्रित करता है बल्कि राज्य को इच्छित लाभ से वंचित भी करता है।

उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये 113 परियोजनाओं में से, केवल छः¹³ परियोजनाओं का संशोधित लागत उपलब्ध कराया गया जिसके अनुसार इन छः परियोजनाओं का ₹ 231.10 करोड़ का अनुमानित लागत परियोजनाओं के समय पर पूर्ण नहीं होने के कारण बढ़कर ₹ 1,074.16 करोड़ हो गया। चूँकि विभागों द्वारा शेष 125 परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए वित्त लेखे में इनकी संशोधित लागत नहीं दर्शाया गया और सुनिश्चित करने योग्य नहीं था।

जल संसाधन विभाग के तहत पुनासी बाँध के निर्माण के विश्लेषण से पता चला कि यह परियोजना जनवरी 1982 में ₹ 26.09 करोड़ के अनुमानित लागत से शुरू हुई थी और मार्च 1990 तक पूरी की जानी थी। अनुमानों के अनुसार, परियोजना के पूर्ण होने पर, 15,384 हेक्ट. खरीफ भूमि और 8,907 हेक्ट. रबी भूमि की सिंचाई की जा सकती थी। हालाँकि, मई 2019 तक, काम पूरा नहीं हुआ था और अनुमान की तीसरे संशोधन में परियोजना की लागत ₹ 797.72 करोड़ तक बढ़ा दी गई। परियोजना को समय पर पूरा न करने के कारण लागत वृद्धि मूल अनुमान का 2,958 प्रतिशत थी।

¹² विविध राजस्व

¹³ पुनासी जलाशय, कोनार मुख्य नहर, स्वर्णरेखा नहर प्रमण्डल, जमशेदपुर, हरिणचारा से बरहेट रोड का चौड़ीकरण व सुदृढीकरण, मिर्जाचौकी-बोआरीजोर-सिमरा रोड का चौड़ीकरण व सुदृढीकरण, शोभनपुर भट्टा से राजगाँव रोड का चौड़ीकरण व सुदृढीकरण

मई 2019 के अंत में, बाँध कार्य, उबड़-खाबड़ मार्ग, नहर और वितरिका की भौतिक प्रगति क्रमशः 80 प्रतिशत, 40 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 10 प्रतिशत थी।

यह भी देखा गया कि धन की कमी, भूमि अधिग्रहण में देरी, वन मंजूरी आदि के कारण 1990 से 1998 और 2001 से 2012 की अवधि के दौरान लंबे समय तक काम बंद रहा।

इस प्रकार, परियोजना को समय पर पूरा नहीं करने के परिणामस्वरूप न केवल लागत में भारी वृद्धि हुई, बल्कि भूमि की सिंचाई का अपेक्षित लाभ भी प्राप्त नहीं हुआ (मई 2019)।

अनुशंसा: राज्य के लोक निर्माण विभाग को परियोजनाओं को समय से पूरा किया जाना सुनिश्चित करने हेतु एक क्रियाविधि विकसित करनी चाहिए। सभी अपूर्ण परियोजनाओं का संशोधित अनुमान प्राथमिकता पर तैयार व अनुमोदित किया जाना चाहिये ताकि इन परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु आवश्यक निधियों का यथार्थवादी आकलन हो।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिफल

राज्य के 31 मार्च 2018 को समाप्त वार्षिक लेखे के अनुसार नवम्बर 2000 में राज्य की स्थापना के बाद से सरकार ने ₹ 376.87 करोड़ का निवेश एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (₹ 45.73 करोड़), 15 सरकारी कम्पनियों (₹ 170.80 करोड़) एवं 19 को-ऑपरेटिव, निगमों एवं समितियों (₹ 160.34 करोड़) में किया (तालिका 1.31)। तथापि, 2016-17 के दौरान सा.क्षे.उ. लेखाओं और राज्य के संस्वीकृति आदेशों के सत्यापन के दौरान उद्घटित हुआ कि गलत बजटीय वर्गीकरण अर्थात् उपयुक्त लघुशीर्ष के अंतर्गत निवेश नहीं किये जाने तथा शेयर पूंजी में निवेश को सहायता अनुदान के रूप में दिखाये जाने के कारण 2000-2016 के दौरान सरकारी लेखाओं में निवेश को ₹ 124.54 करोड़ कम दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद राज्य के वित्त विभाग ने 2017-18 के दौरान तीन कंपनियों से संबंधित ₹ 50 करोड़¹⁴ की निवेश राशि को समाशोधित और ठीक किया जिसने चालू वित्त वर्ष के अंत में पाँच संस्थाओं के विरुद्ध ₹ 74.54 करोड़¹⁵ के बिना असमायोजित निवेश को घटा दिया।

¹⁴ झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वहन सिंचाई निगम ₹ 5 करोड़; झारखण्ड शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम ₹ 35 करोड़ और झारखण्ड सिल्क टेक्स्टाइल व हस्तशिल्प विकास निगम ₹ 10 करोड़

¹⁵ ग्रेटर राँची विकास प्राधिकार ₹ 39.14 करोड़; झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड ₹ 15 करोड़; झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड ₹ 2 करोड़; झारखण्ड मेडिकल एवं स्वास्थ्य आधारभूत संरचना विकास और क्रय निगम लिमिटेड ₹ 5 करोड़; झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड - ₹ 8.40 करोड़ और झारखण्ड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ₹ 5 करोड़।

तालिका 1.31: निवेशों पर लाभांश

निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	226.22	241.25	261.70	320.83 ¹⁶	376.87
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	18.00	शून्य	0.47	शून्य	शून्य
प्रतिफल (प्रतिशत में)	7.76	शून्य	0.18	शून्य	शून्य
सरकार के लिये गये उधार पर ब्याज का औसत दर (प्रतिशत में)	7.22	7.22	6.63	6.76	6.98
ब्याज दर और प्रतिफल में अन्तर (प्रतिशत में)	0.54	7.22	6.45	6.76	6.98
बाजार से लिये गये उधार के ब्याज दर और प्रतिफल पर प्राप्त ब्याज के बीच अंतर के कारण अनुमानित हानि	1.22	17.42	16.88	21.69	26.31

स्रोत : 2017-18 के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे - विवरण 19

विगत पाँच वर्षों में राज्य सरकार ने सरकार के लिये गये उधार पर ब्याज और निवेश पर प्रतिफल के अंतर के रूप में ₹ 83.52 करोड़ का अनुमानित नुकसान वहन किया, जिसमें केवल 2017-18 में ₹ 26.31 करोड़ का अनुमानित नुकसान था। इस कारण राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल नकारात्मक है। अपने निवेशों पर कोई प्रतिफल नहीं मिलने के बावजूद, राज्य सरकार ने 2017-18 के दौरान इक्विटी के रूप में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 23.50 करोड़ का निवेश किया।

लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकित किया कि पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा 14 नवम्बर 2000 तक सरकारी कंपनियों, को-ऑपरेटिव संस्थाओं व स्थानीय निकायों, वैधानिक निगमों और संयुक्त स्टॉक कंपनियों में किये गये निवेश (₹ 2,389.55 करोड़) को उत्तरवर्ती बिहार तथा झारखण्ड राज्यों के बीच संविभाजित नहीं किया गया है।

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम

उपरोक्त संस्थाओं में शेयर निवेशों के अतिरिक्त, राज्य सरकार इन संस्थाओं में से अधिकांश को और उनके कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम भी प्रदान करती रही है। तालिका 1.32 31 मार्च 2018 को बकाया ऋण व अग्रिमों तथा ब्याज प्राप्तियाँ के साथ-साथ पिछले पाँच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.32: राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण व अग्रिम

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्ति/ली गयी उधारों की लागत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
ऋणों का आरंभिक शेष (₹ करोड़ में)	7,748	7,947	8,738	16,187	17,482*
वर्ष के दौरान दिये गये अग्रिम की राशि (₹ करोड़ में)	222	824	7,480	1,335	1,852
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि (₹ करोड़ में)	23	33	31	39	42
वसूली, बकाया ऋण व अग्रिम के प्रतिशत में	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2
अंतशेष	7,947	8,738	16,187	17,483	19,292
निवल योग (₹ करोड़ में)	199	791	7,449	1,297	1,809
कुल ब्याज प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	2.74	15.72	4.33	3.88	87.66
ब्याज प्राप्तियाँ, बकाया ऋण व अग्रिम के प्रतिशत में	0.03	0.20	0.05	0.02	0.50
सरकार के लिये गये उधार पर औसत ब्याज दर	7.22	7.22	6.63	6.76	6.98
बकाया ब्याज	797.72	875.44	903.98	1,009.20	1,044.09
बकाया ऋण और अग्रिम के प्रतिशत के रूप में बकाया	10.30	11.01	10.35	6.23	5.97

स्रोत : संबंधित वर्ष के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

*लगभग होने के कारण समायोजित किया गया।

¹⁶ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के साथ समाशोधन के बाद संशोधित राशि

मार्च 2018 के अंत तक कुल बकाया ऋणों (₹ 19,292 करोड़) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा डिस्कॉम्स को (₹ 18,444 करोड़) और शहरी स्थानीय निकाय (₹ 706 करोड़) को ऋणों से संबंधित है।

मार्च 2018 के अंत तक ऋणदाता संस्थाओं का ऋण बकाया ₹ 2,378 करोड़ (मूलधन-₹ 1,334 करोड़ तथा ब्याज-₹ 1,044 करोड़) हो गया हालाँकि, 2015-16 के दौरान उदय के तहत डिस्कॉम कंपनियों को ऋण के कारण, राज्य सरकार द्वारा दिए गए बकाया ऋणों और अग्रिमों के संबंध में ब्याज का प्रतिशत 2016-17 और 2017-18 के वर्षों में कम था।

2011-12 में झारखण्ड राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 44 करोड़) को दिया गया ऋण पूँजीगत क्षेत्र के बजाय राजस्व क्षेत्र के तहत गलत बजटीय वर्गीकरण के कारण सरकारी लेखाओं में कम बताया गया। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (झा.रा.वि.बो.) को ₹ 7,222 करोड़ की राशि का ऋण सरकारी लेखाओं में बोर्ड से प्राप्य के रूप में दर्शाया जाना जारी है, यद्यपि बोर्ड जनवरी 2014 में अलग-अलग कंपनियों में विभाजित कर दिया गया था। इस प्रकार, राज्य की संपत्ति ₹ 7,222 करोड़ की सीमा तक बढ़ गई थी।

अनुशंसा: राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं में अपने निवेशों और ऋणों को तर्कसंगत बनाना चाहिए, ताकि निवेश और ऋणों पर प्रतिफल कम से कम सरकार की उधार लागत के बराबर हो।

1.8.5 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

वर्ष के दौरान रोकड़ शेष एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों का विवरण तालिका 1.33 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.33: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति	31 मार्च 2018 की स्थिति
रोकड़ शेष	1,947.85	150.44
रोकड़ शेष से निवेश ('क' से 'ग' तक)	1,439.09	354.56
क. भारत सरकार के कोषागार विपत्र	1,439.09	354.56
ख. भारत सरकार की प्रतिभूति	शून्य	शून्य
ग. अन्य निवेश	शून्य	शून्य
निवेशों पर प्राप्त ब्याज	117.01	78.57
रिजर्व बैंक में जमा	502.26	-242.16
विभागीय रोकड़ शेष	6.50	38.04


स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2017-18

रोकड़ शेष को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार के कोषागार विपत्रों में निवेश किया गया।

लेखाओं में दर्शाए गए आँकड़ों {₹ 242.16 करोड़ (क्रेडिट)} और भारतीय रिजर्व बैंक {₹ 22.92 करोड़ (डेबिट)} द्वारा सूचित आँकड़ों के बीच ₹ 219.24 करोड़ (शुद्ध क्रेडिट) का अंतर था। रिजर्व बैंक जमा शेष में इस अंतर को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड द्वारा समाशोधन और आवश्यक सुधार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, राँची के समक्ष उठाया गया है।

अभिलेखों की जाँच के दौरान यह देखा गया कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 6,000 करोड़ की खुली बाजार उधारी जुटाने की अनुमति दी। तदनुसार, राज्य सरकार ने नौ राज्य विकास ऋणों के माध्यम से 7.27 प्रतिशत से लेकर 8.08 प्रतिशत प्रति वर्ष तक के ब्याज दरों पर धन उधार लिया।

अंतर-माह के उतार-चढ़ाव के बाद, वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत में राज्य का नकद शेष ₹ 150 करोड़ पर आ गया जैसा कि चार्ट 1.8 में दिखाया गया है:



1.9 परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व

1.9.1 परिसंपत्तियों एवं दायित्वों की वृद्धि एवं संयोजन


सरकारी लेखांकन प्रणाली में सरकारी स्वामित्व के अचल परिसंपत्तियों अर्थात भूमि एवं भवनों के विस्तृत लेखांकन का प्रावधान नहीं है। तथापि, इन्हें सरकार के वित्तीय दायित्वों और वहन किये गये व्यय से सृजित परिसंपत्तियों के माध्यम से दर्शाया जाता है। 31 मार्च 2017 के तदनुसृत स्थिति से तुलना करते हुए परिशिष्ट 1.5 31 मार्च 2018 को ऐसे दायित्वों एवं परिसंपत्तियों का सार प्रस्तुत करता है। दायित्वों में जहाँ मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे से प्राप्तियाँ और आरक्षित निधि शामिल है, वहीं परिसंपत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल हैं।

झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2007 राज्य के कुल दायित्वों को राज्य की संचित निधि और राज्य के लोक लेखा के अधीन दायित्व के रूप में परिभाषित करता है जिसमें केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, खुले बाजार से लिया गया उधार, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, अल्प बचतों के लोक लेखा शेष, आरक्षित निधि, जमा इत्यादि सम्मिलित है।

1.9.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाये राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्तियाँ परिशिष्ट 1.3 में प्रस्तुत की गयी हैं। 2016-17 एवं 2017-18 वर्षों के दौरान राजकोषीय दायित्व के संयोजन चार्ट 1.9 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 1.9 : मार्च 2017 एवं मार्च 2018 के अंत में बकाया राजकोषीय दायित्व का संयोजन (₹ करोड़ में)



स्रोत: 2016-17 और 2017-18 के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

तालिका 1.34: राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्ति : आधारभूत मापदंड

(₹ करोड़ में)

अवयव	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	सी.ए.जी.आर.
आंतरिक ऋण	27,940	32,755	43,756	48,682	53,799	17.80
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	2,092	2,087	2,085	2,162	2,233	1.64
लोक लेखे दायित्व	7,562	8,727	10,689	15,982	21,063	29.25
कुल राजकोषीय दायित्व	37,594	43,569	56,530	66,826	77,095	19.67
राजकोषीय दायित्वों में वृद्धि (प्रतिशत)	7.8	15.9	29.7	18.2	15.4	लागू नहीं
वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व (प्रतिशत)	19.9	19.9	27.4	28.4	30.2	लागू नहीं
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय दायित्व	143.83	138.03	139.1	142.0	146.1	लागू नहीं

स्रोत: झारखण्ड सरकार के संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व का अनुपात राज्य के लिए 14वें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक अनुमान (25.77 प्रतिशत) की तुलना में 2017-18 में 30.20 प्रतिशत था।

अविभाजित बिहार के वित्तीय दायित्वों को उत्तराधिकारी राज्यों के बीच संविभाजित किया जाना अभी शेष है।

अनुशंसा: राज्य के राजकोषीय मापदंडों के संबंध में चौदहवें वित्त आयोग के अनुमानों को प्राप्त करने हेतु राज्य को कदम उठाना चाहिए।

1.9.3 हास निधि

2016-17 के दौरान बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का पालन करते हुए, राज्य ने बैंक से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि आदि सहित सभी ऋणों के परिशोधन हेतु एक समेकित हास निधि सृजित किया है। अग्रतर, वर्ष के प्रारंभ में बकाया दायित्वों का 0.50 प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक अंशदान इस निधि में अंतरित करना अपेक्षित था।

झारखण्ड सरकार के पास 2017-18 के प्रारंभ तक ₹ 66,826 करोड़ का बकाया ऋण था, जिसके लिए निधि में कम से कम ₹ 334.13 करोड़ की राशि अंतरित करना अपेक्षित था। यद्यपि झारखण्ड सरकार ने वर्ष के दौरान ₹ 247 करोड़ का बजट प्रावधान किया, तथापि निधि में राशि अंतरित नहीं की गयी।

1.9.4 राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.)

एस.डी.आर.एफ. दिशानिर्देश 2010 के कंडिका 19 एवं 20 के अनुसार, निधि की राशियों को राज्य द्वारा (क) केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियाँ (ख) नीलामी ट्रेजरी बिल तथा (ग) ब्याज अर्जित करनेवाले जमा और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको में जमा प्रमाणपत्र में निवेश किया जाना चाहिए। तथापि, राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2017 के निधि के शेष को (₹ 1,259.29 करोड़) निवेश नहीं किया गया।

अग्रतर, दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार को निवेश नहीं किये गये शेष पर ओवरड्राफ्ट पर भुगतान ब्याज (8.08 प्रतिशत) की दर से ब्याज का भुगतान करना था जिसे स्वयं निधि के कोष में डाला जाना था। तथापि, झारखण्ड सरकार ने एस.डी.आर.एफ. को इसके सृजन के समय से ही किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जो 2010-18 अवधि हेतु लागू ब्याज की दरों पर ₹ 505.37 करोड़ परिकल्पित होता है। इसमें से, अकेले 2017-18 हेतु भुगतान न किये गये ब्याज की राशि ₹ 101.74 करोड़ थी परिणामतः उस वर्ष में राजस्व आधिक्य की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई। 31 मार्च 2018 को एस.डी.आर.एफ. में अंत शेष ₹ 1,551.04 करोड़ था। परिणामस्वरूप, निधि में शेष केवल बुक एंट्रीज हैं और यह वास्तविक रोकड़ शेष नहीं दर्शाता है। निधि के प्रचालन के बाद से इस तरह का भुगतान न किया गया ब्याज राज्य की अलेखांकित देनदारियों को दर्शाता है।

अनुशंसा: राज्य को एस.डी.आर.एफ. के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस निधि में पड़ी राशियों का निवेश करना चाहिए।

1.9.5 प्रत्याभूतियों की स्थिति - आकस्मिक दायित्व

भारत का संविधान प्रावधान करता है कि कोई राज्य, भारत की सीमा के भीतर, अपने संचित निधि की प्रतिभूति पर, ऐसी सीमा जो समय-समय पर उसके विधानसभा के अधिनियम द्वारा निर्धारित हो उधार ले सकता है और ऐसी सीमा के अंदर जो तय किया जाये प्रत्याभूति दे सकता है।

12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, झारखण्ड सरकार को वर्ष के प्रारंभ में बकाया प्रत्याभूति के 0.50 प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक अंशदान के साथ प्रत्याभूति ऋणमुक्ति निधि (प्रत्या.ऋ.नि.) गठित करना था। तथापि, निधि सृजित नहीं की गयी है।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण की रूपरेखा

राज्य सरकार के ऋण के परिमाण के अलावे विभिन्न संकेतक जो राज्य की ऋण वहनीयता¹⁷ को निर्धारित करते हैं का विश्लेषण महत्वपूर्ण है। यह खण्ड ऋण स्थिरीकरण¹⁸, गैर-ऋण प्राप्तियों¹⁹ की पर्याप्तता, उधार ली गयी निधियों²⁰ की निवल उपलब्धता, ब्याज भुगतानों का भार (राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान अनुपात द्वारा मापित) एवं राज्य सरकार के प्रतिभूतियों के परिपक्वता विवरण के संदर्भ में राज्य सरकार के ऋण वहनीयता का मूल्यांकन करता है।

1.10.2 ऋण वहनीयता

तालिका 1.35 वर्ष 2013-14 से प्रारंभ करते हुए पाँच वर्षों की अवधि के लिये इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण वहनीयता का विश्लेषण करता है।

¹⁷ समय की एक अवधि में एक नियत ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को बरकरार रखने की क्षमता ही ऋण वहनीयता है। यह इसके ऋण की सेवा की क्षमता के बारे में महत्व को प्रस्तुत करता है। इसलिए, ऋण वहनीयता चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन के लिए नगद परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधार की लागत एवं ऐसे उधार से लाभ के बीच संतुलन रखने की क्षमता से संबंधित है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में चढ़ाव ऋण की सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ मेल खाता है।

¹⁸ स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त यह स्पष्ट करता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ब्याज दर या लोक उधार लागत से बढ़ता है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात के स्थिर रहने की संभावना होती है यदि प्राथमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक हो या थोड़ा ऋणात्मक हो।

¹⁹ वृद्धिशील ब्याज दायित्वों और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण वहनीयता उल्लेखनीय रूप से सुसाध्य हो सकता है यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियाँ वृद्धिशील ब्याज दायित्व और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।

²⁰ कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित और उस सीमा को इंगित करता है जिस तक ऋण प्राप्तियाँ, उधार ली गयी निधियों की निवल उपलब्धता को दर्शाते हुए ऋण विमोचन में उपयोग में लाये जाते हैं।

तालिका 1.35: ऋण वहनीयता : सूचक और प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण वहनीयता के सूचक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात	19.9	19.9	27.4	28.4	30.2
वृद्धिशील गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)*	1,275	(-),2,885	4,313	(-),2,113	(-),131.54
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	110	3,046	9,641	6,224	5,606
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियाँ अनुपात)	10	9.28	8.17	8.87	8.84

स्रोत-संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

*फार्मूला परिशिष्ट 1.6 में है।

2017-18 के दौरान, 30.20 प्रतिशत का ऋण-स.रा.घ.उ अनुपात 14वें वि.आ. द्वारा मानक अनुमान के रूप में निर्धारित (25.77 प्रतिशत) से अधिक था। यह एम.टी.एफ.पी. दस्तावेज में निर्धारित लक्ष्य (26.65 प्रतिशत) से भी काफी अधिक था। संसाधन अंतराल में महत्वपूर्ण अंतर्वाषिक उतार चढ़ाव 2013-18 अवधि के दौरान राज्य द्वारा गैर ऋण प्राप्तियों के अस्थिर संग्रहण को इंगित करता है।

तालिका 1.36 : उधार निधियों की निवल उपलब्धता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अंतर्गत प्राप्ति ²¹	12,840	19,808	28,482	19,193	25,206
लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों के अंतर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन व ब्याज)	12,730	16,762	18,841	12,969	19,599
उपलब्ध निवल निधि	110	3,046	9,641	6,224	5,607
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अंतर्गत प्राप्तियों को उपलब्ध निवल निधि का प्रतिशत	0.86	15.38	33.85	32.43	22.24

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

उधार राशि की निवल उपलब्धता 2015-16 के ₹ 9,641 करोड़ से धीरे धीरे घटकर 2017-18 में ₹ 5,607 करोड़ हो गई। 2017-18 के दौरान, उधार ली गई निधियों में मुख्य योगदानकर्ता आंतरिक ऋण (₹ 7,905 करोड़) और बिना ब्याज वाले जमा (₹ 1,526 करोड़) थे।

2017-18 के दौरान, सार्वजनिक ऋण और अन्य देनदारियों के तहत राज्य की प्राप्तियों में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि सार्वजनिक ऋण की अदायगी और ब्याज सहित अन्य देनदारियों में पिछले वर्ष की तुलना में 51 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को उधार ली गयी निधियों की कम उपलब्धता थी।



उधारी के तहत प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता 2016-17 में 32.43 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 22.24 प्रतिशत हो गई, जो वर्ष के दौरान राज्य में पूँजीगत कार्यों के लिए उधार ली गई निधियों की कम उपलब्धता का संकेत था।

²¹ छोटी बचतें, भविष्य निधि इत्यादि (₹ 1,016.42 करोड़); ब्याज वाले आरक्षित निधि (₹ 401 करोड़); ब्याज वाले जमा (₹ 386.30 करोड़) और बिना ब्याज वाले जमा (₹ 15,264.96 करोड़)

1.11 राजकोषीय असंतुलन

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.10 एवं चार्ट 1.11 वर्ष 2013-18 अवधि में घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।



मुख्यतः मूल बजट अनुमानों (सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 3,604 करोड़ और आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 3,265 करोड़) की तुलना में कम राजस्व व्यय के कारण राज्य 2017-18 में ₹ 1,804 करोड़ का राजस्व आधिक्य दिखाने में सफल रहा।

2016-17 एवं 2017-18 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत घटा जबकि राजस्व व्यय की वृद्धि दर 23 प्रतिशत और 13 प्रतिशत बढ़ा जिसके परिणामस्वरूप इन वर्षों के दौरान राजस्व आधिक्य में कमी

हुई। राजस्व व्यय की उच्चतर वृद्धि दर जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास, ग्रामीण विकास, कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप, ऊर्जा इत्यादि जैसी सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण था।

2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान, राज्य के अपने राजस्व की वृद्धि दर क्रमशः 18 प्रतिशत, 7.6 प्रतिशत और 8.3 प्रतिशत था।

राज्य ने 2013-18 के दौरान, 2014-15 के अतिरिक्त, राजस्व घाटे को 'शून्य' तक घटाने के लक्ष्य (राज्य एफ.आर.बी.एम. अधिनियम और राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के अनुसार) को प्राप्त कर लिया। राज्य ने 2017-18 में एम.टी.एफ.पी. में इंगित 2.77 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध 0.71 प्रतिशत का स.रा.घ.उ. से राजस्व आधिक्य अनुपात प्राप्त किया। बजट दस्तावेज में निर्धारित 2.49 प्रतिशत के लक्ष्य तथा 14वें वित्त आयोग के 3.25 प्रतिशत मानक के विरुद्ध मार्च 2018 के अंत तक स.रा.घ.उ. से राजकोषीय घाटा अनुपात 4.67 प्रतिशत था।

अंतर्वार्षिक उतार-चढ़ाव के पश्चात, 2017-18 में प्राथमिक घाटा स.रा.घ.उ. का (-)2.85 प्रतिशत था।

अनुशंसा: सरकार को 14वें वित्त आयोग द्वारा किए गए मानक अनुमानों के साथ साथ बजट दस्तावेजों में अनुमानित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।

अध्याय-2

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 परिचय

विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये किया जाता है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय, विनियोग अधिनियम में दिये गये प्राधिकार के भीतर है और यदि व्यय को संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभारित किया जाना अपेक्षित है तो इसे इसी प्रकार प्रभारित किया गया है। यह ये भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि, संबंधित नियमावतियों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

2.2 बजट प्रबंधन की प्रक्रिया

बजट प्रबंधन से संबंधित बिहार बजट नियमावली (झारखण्ड राज्य द्वारा यथा अंगीकृत) के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्न हैं:

(i) राज्य के बजट अनुमान को वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया जाना है (नियम 52)।

(ii) विभिन्न विभागों के नियंत्री अधिकारियों द्वारा तैयार किये गये प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अनुमानों की जाँच वित्त विभाग द्वारा किया जाना है और प्रथम संस्करण बजट को सरकार के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु संकलित करना है (नियम 79)।

(iii) समस्त प्रत्याशित बचतों को, जब वे पूर्वज्ञात हों सरकार को अविलंब अभ्यर्पित कर देना चाहिए यदि वे किन्हीं अन्य इकाइयों के अंतर्गत अनुदान से हुए आधिक्य व्यय की पूर्ति हेतु आवश्यक न हों। कोई भी बचत भविष्य के संभावित आधिक्य हेतु आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए (नियम 112)।

(iv) व्यय के नये विशिष्ट मदों को पूरा करने या दत्तमत अनुदानों में संभावित आधिक्य को पूर्ण करने हेतु अनुपूरक अनुदान वित्त विभाग के परामर्श से प्राप्त किया जाना चाहिए (नियम 117)।

लेखापरीक्षा ने विभिन्न अनुदानों में 2017-18 के दौरान अत्यधिक बचत अवलोकित किया जो बजट प्रबंधन में कमियों को इंगित करता है जैसा अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गयी है।

2.3 विनियोग लेखे के सारांश

वर्ष 2017-18 के दौरान 60 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति तालिका 2.1 में दी गयी है।

तालिका 2.1 : वर्ष 2017-18 के मूल/अनुपूरक अनुदानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशिक स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	कुल अनुदान/ विनियोग	*वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य(+)	अभ्यर्पित राशि	केवल मार्च 2018 में अभ्यर्पित राशि	मार्च में अभ्यर्पित बचत की प्रतिशतता (कॉ.6/कॉ.5)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
दत्तमत	(I) राजस्व	58,084.33	46,301.28	11,783.05	7,336.38	7,336.38	100.00
	(II) पूँजीगत	14,189.95	11,952.71	2,237.24	1,100.39	1,100.39	100.00
	(III) ऋण व अग्रिम तथा अन्तर्राज्यीय समायोजन	2,022.87	1,851.67	171.20	0.00	0.00	0.00
	कुल दत्तमत	74,297.15	60,105.66	14,191.49	8,436.77	8,436.77	100.00
भारित	(IV) राजस्व	4,806.96	4,759.96	47.00	128.29	128.29	100.00
	(V) पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(VI) लोक ऋण पुनर्भुगतान	3,057.17	2,949.50	107.67	48.67	48.67	100.00
कुल भारित	7,864.13	7,709.46	154.67	176.96	176.96	100.00	
सकल योग	82,161.28	67,815.12	14,346.16	8,613.73	8,613.73	100.00	

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2017-18

*व्यय के आँकड़े राजस्व दत्तमत व्यय (₹ 109.16 करोड़) को घटाकर लेखे में वसूलियों को समायोजित किये बिना सकल आँकड़े हैं।

टिप्पणी: संबद्ध शीर्षों में ₹ 571 करोड़, जो 2017-18 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित था जिनके विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक विपत्र 03 अक्टूबर 2018 तक प्रस्तुत नहीं किया गया, तक के व्यय के आँकड़े बढ़ा चढ़ा कर बताये गये।

वर्ष 2017-18 के दौरान, ₹ 14,346.16 करोड़ (कुल बजट का 17.46 प्रतिशत) का कुल बचत ₹ 14,611.66 करोड़ (राजस्व खंड के अधीन 54 दत्तमत अनुदानों एवं चार विनियोगों में ₹ 12,095.55 करोड़ और पूँजीगत खंड के अधीन 37 अनुदानों एवं एक विनियोग में ₹ 2,516.11 करोड़) के बचत तथा एक अनुदान और एक विनियोग में ₹ 265.50 करोड़ आधिक्य के समायोजन का परिणाम था।

जाँच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष के दौरान ₹ 14,346.16 करोड़ के कुल बचत के विरुद्ध, ₹ 8,613.73 करोड़ (60.04 प्रतिशत) मार्च 2018 में अभ्यर्पित किया गया जिससे वित्त विभाग के पास अन्य विकसित उद्देश्यों हेतु विवेकपूर्ण ढंग से निधि का उपयोग करने के लिए कोई समय नहीं बचा।

आगे यह पाया गया कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने और अनुदानों में अत्यधिक बचत एवं आधिक्य व्यय से बचाव हेतु प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा भेजे गये मासिक सिविल लेखा विवरणी एवं मासिक विनियोग लेखाओं का उपयोग करने में वित्त विभाग विफल रहा।

अग्रतर, यह पाया गया कि झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2017-18 में वर्णित कुल 1,504 उप-शीर्षों में से विभाग द्वारा केवल 323 उप-शीर्षों के बचत/अधिक्य का कारण बताया गया जबकि 1,168 उप-शीर्षों में बचत एवं 13 उप-शीर्षों में आधिक्य का कारण नहीं बताया गया।

अनुशंसा: वित्त विभाग को विभागीय नियंत्री अधिकारी द्वारा व्यय की प्रवृत्तियों का अनुश्रवण करना चाहिए ताकि निधियाँ अनावश्यक रूप से रोककर नहीं रखी जाय और यथाशीघ्र अभ्यर्पित कर दी जाय ।

2.4 वित्तीय दायित्व तथा बजट प्रबंधन

2.4.1 आवंटित प्राथमिकताओं के सापेक्ष विनियोग

₹ 14,346.16 करोड़ के कुल बचत में से, 21 अनुदानों से संबंधित 24 मामलों में ₹ 11,501.23 करोड़ (80 प्रतिशत) की बचत हुई जैसा कि तालिका 2.2 में इंगित है। इन मामलों में, बचत ₹ 100 करोड़ को पार कर गया एवं अनुदान का 20 प्रतिशत या अधिक था।

तालिका 2.2: ₹ 100 करोड़ व उससे अधिक तथा अनुदान के 20 प्रतिशत या उससे अधिक की बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का संख्या एवं नाम	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत	कुल अनुदान से बचत की प्रतिशतता
राजस्व - दत्तमत					
1	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	5,575.70	3,342.13	2,233.57	40.06
2	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	7,032.03	5,327.95	1,704.08	24.23
3	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	3,519.16	2,537.71	981.45	27.89
4	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	3,342.46	2,523.16	819.30	24.51
5	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	1,869.73	1,089.71	780.02	41.72
6	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	1,550.39	838.92	711.47	45.89
7	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	1,747.35	1,156.72	590.63	33.80
8	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1,346.34	917.62	428.72	31.84
9	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	792.92	523.24	269.68	34.01
10	41-पथ निर्माण विभाग	551.66	291.19	260.47	47.22
11	23-उद्योग विभाग	466.97	233.28	233.69	50.04

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत	कुल अनुदान से बचत की प्रतिशतता
राजस्व - दत्तमत					
12	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	375.42	215.49	159.93	42.60
13	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	308.98	175.47	133.51	43.21
14	45-सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	192.41	72.80	119.61	62.16
15	27-विधि विभाग	415.05	295.76	119.29	28.74
16	43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	421.43	312.04	109.39	25.96
17	26- श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	241.69	133.60	108.09	44.72
राजस्व-भारित					
18	14- ऋणों का पुनर्भुगतान	230.00	0.00	230.00	100.00
पूँजी - दत्तमत					
19	49- जल संसाधन विभाग	1,911.06	1,230.06	681.00	35.63
20	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	525.00	309.49	215.51	41.05
21	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	667.48	459.09	208.39	31.22
22	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	366.44	198.91	167.53	45.71
23	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	456.35	332.26	124.09	27.19
24	43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	440.78	328.97	111.81	25.37
कुल दत्तमत		34,346.80	22,845.57	11,501.23	33.49

स्रोत: वर्ष 2017-18 के झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।

अनुदान सं. 42 एवं 59 के अंतर्गत बचत के मुख्य उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

(क) अनुदान संख्या 42 ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)

i) भारत सरकार द्वारा मजदूरी अंश के एन.ई.-एफ.एम.एस. (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम) खाते में सीधे तौर पर स्थानांतरण और केन्द्रांश/राज्यांश कम विमुक्त किये जाने के कारण संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत ₹ 2,216.98 करोड़ के कुल आवंटन में से ₹ 1,770.68 करोड़ (80 प्रतिशत) का उपयोग विभाग द्वारा नहीं किया गया।

ii) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ₹ 89.97 करोड़ का संपूर्ण आवंटन उपयोग नहीं किया गया जिसमें से विभाग द्वारा ₹ 86.47 करोड़ अभ्यर्पित किया गया जबकि ₹ 3.50 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंत में व्ययगत हो गया।

iii) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ₹ 497.97 करोड़ के कुल आवंटन में से ₹ 125.29 करोड़ (25 प्रतिशत) का इस्तेमाल नहीं किया गया।

(ख) अनुदान संख्या 59 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)

- i) झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद (जे.ई.पी.सी.) को सहायता अनुदान के तहत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के सुदृढीकरण के लिए ₹ 550.74 करोड़ की सम्पूर्ण आवंटित राशि का इस्तेमाल विभाग द्वारा नहीं किया गया था जिसमें ₹ 220.00 करोड़ अभ्यर्पित किया गया एवं ₹ 330.74 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय हो गया। झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय योजना हेतु ₹ 150.00 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध ₹ 129.32 करोड़ (86 प्रतिशत) अनुपयोगित रह गया।
- ii) सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहायता अनुदान की ₹ 1,600.00 करोड़ राशि के विरुद्ध ₹ 223.54 करोड़ (14 प्रतिशत) की राशि का इस्तेमाल नहीं किया गया एवं अभ्यर्पित कर दिया गया।
- iii) जानोदय योजना (प्राथमिक शिक्षा) के अंतर्गत ₹ 105.00 करोड़ की सम्पूर्ण आवंटित राशि अनुपयोगित रह गई तथा विभाग द्वारा अभ्यर्पित किया गया।
- iv) अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत केन्द्र और राज्य योजना के लिए ₹ 20.00 करोड़ की कुल आवंटित राशि में से ₹ 19.40 करोड़ (97 प्रतिशत) की राशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) द्वारा अभ्यर्पित किया गया।

उपर्युक्त वर्णित मामलों के अतिरिक्त, 43 मामलों में (31 अनुदानों/विनियोगों), बचत, प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक और अनुदान का 20 प्रतिशत या अधिक, था जैसा कि **परिशिष्ट 2.1** में ₹ 12,209.64 करोड़ के कुल बचत सहित वर्णित है। अग्रतर, 25 अनुदानों/विनियोगों के अधीन 83 उप-शीर्ष/योजनाओं में प्रत्येक मामले में बचत ₹ 20 करोड़ से अधिक हुआ जिसकी समग्र राशि ₹ 5,983.83 करोड़ (कुल बचत का 54 प्रतिशत) थी। विवरण **परिशिष्ट 2.2** में दिये गये हैं।

अनुशंसा: वित्त विभाग को क्षेत्रीय इकाइयों से प्राप्त वास्तविक जरूरतों के आधार पर बजट तैयार करना चाहिए तथा आवंटित राशि का सर्वोत्तम इस्तेमाल सुनिश्चित करना चाहिए।

2.4.2 प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण नहीं करना

बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार, जब कभी बचत प्रत्याशित हो, व्यय करने वाले विभागों को अनुदानों/विनियोगों या उसके किसी भाग को वित्त विभाग को अभ्यर्पित करना है।

वर्ष 2017-18 के दौरान 39 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹ 13,704.92 करोड़ के कुल बचत में से, ₹ 6,119.50 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ व अधिक) अभ्यर्पित नहीं किये गये जैसा कि **परिशिष्ट 2.3** में वर्णित है। आगे, यह देखा गया कि वर्ष 2017-18 के दौरान, एक अनुदान (अनुदान संख्या 41) में ₹ 3.35 करोड़ का अभ्यर्पण वास्तविक बचत से अधिक था जो इंगित करता है कि संबंधित विभाग द्वारा अभ्यर्पण पत्रों के प्रस्तुत करने के पश्चात भी व्यय किया गया। मार्च 2018 में

अभ्यर्पित ₹ 5,388.34 करोड़ बचत से संबंधित 168 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक) की सूची परिशिष्ट 2.4 में दिया गया है।

अनुशंसा: समस्त प्रत्याशित बचत समय पर अभ्यर्पित किया जाना चाहिए ताकि निधियों का अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा सके।

2.4.3 सतत बचत

विगत पाँच वर्षों के दौरान 11 मामलों (10 विभागों) में कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या उससे अधिक सतत बचत हुई थी (तालिका 2.3)।

तालिका 2.3: 2013-18 के दौरान सतत बचत इंगित करती अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व - दत्तमत						
1	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवारकल्याण विभाग	171.13(15)	967.84(42)	947.27(34)	707.26(27)	981.45(28)
2	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	566.53(58)	552.00(58)	750.47(56)	526.05(36)	711.47(46)
3	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	570.55(50)	439.49(34)	505.63(39)	394.96(26)	428.72(32)
4	40-राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	125.67(32)	99.80(26)	112.41(26)	161.11(31)	74.20(14)
5	23-उद्योग विभाग	120.80(41)	148.57(40)	132.47(31)	153.01(34)	233.69(50)
6	49-जल संसाधन विभाग	85.14(26)	87.83(25)	105.11(29)	132.77(33)	70.89(18)
7	26-श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	308.12(30)	349.95(28)	1088.29(73)	110.77(39)	108.09(45)
8	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	35.53(22)	41.73(25)	37.66(20)	95.59(33)	159.93(43)
9	43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	18.45(25)	21.31(15)	24.90(24)	29.27(17)	109.39(26)
10	17-वाणिज्य कर विभाग	8.18(13)	23.36(32)	18.45(27)	19.49(27)	8.08(11)
पूँजीगत - दत्तमत						
11	49-जल संसाधन विभाग	1,130.96(68)	1,196.28(68)	544.62(33)	389.76(26)	681(36)

कोष्ठक के आँकड़े अनुदान के अंतर्गत कुल बजट से बचत की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

इन वर्षों में सतत वृहत बचत अनुदानों के अंतर्गत असंगत आकलन को इंगित करते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ निष्पादित करनेवाले छः विभागों के कुछ मुख्य योजनाओं में बचत के विवरण नीचे दर्शाये गये हैं:

**अनुदान संख्या 1 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	63.51	18.42 (29)	70.01	41.67 (60)	60.00	28.22 (47)
2	राष्ट्रीय उद्यान मिशन कार्यक्रम	105.00	57.40 (55)	90.00	43.10 (48)	75.00	35.17 (47)

स्रोत: वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।
कोष्ठक के आँकड़े लेखाशीर्ष के अंतर्गत कुल बजट से बचत की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

**अनुदान संख्या 18 - खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	मुख्यमंत्री दाल-भात योजना	23.00	11.91 (52)	25.00	11.65 (47)	30.00	14.77 (49)

स्रोत: वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।
कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अंतर्गत कुल बजट से बचत की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

**अनुदान संख्या 42 - ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण विकास प्रभाग)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना - सामान्य के लिए योजना	400.00	227.80 (57)	362.00	86.98 (24)	497.97	125.29 (25)

स्रोत: वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।
कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अंतर्गत कुल बजट से बचत की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

**अनुदान संख्या 58 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	बालिका छात्रावास की स्थापना	73.56	58.18 (79)	47.30	23.82 (50)	40.95	4.94 (12)
2	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	198.59	80.53 (41)	198.57	40.91 (21)	203.33	111.99 (55)

स्रोत: वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।
कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अंतर्गत कुल बजट से बचत की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

**अनुदान संख्या 59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहायता अनुदान	1,997.02	961.21 (48)	1,699.50	635.68 (37)	1,600.00	610.15 (38)

स्रोत: वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।

कोष्ठक के आँकड़े लेखाशीर्ष के अंतर्गत कुल बजट से बचत की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

अनुदान संख्या 60 - महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस)	589.36	299.97 (51)	400.00	148.95 (37)	404.53	88.75 (22)
2	किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी योजना	66.04	45.32 (69)	68.76	39.74 (58)	68.78	56.33 (82)
3	समेकित बाल सुरक्षा योजना (आई.सी.पी.एस.)	27.60	21.24 (77)	24.00	9.80 (41)	41.35	12.68 (31)

स्रोत: वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।

कोष्ठक के आँकड़े लेखाशीर्ष के अंतर्गत कुल बजट से बचत की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

अनुशंसा: समस्त प्रत्याशित बचत समय पर अभ्यर्पित किया जाना चाहिए ताकि निधियों का अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा सके।

2.4.4 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित एवं अत्यावश्यक प्रकृति के व्यय, जो विधानसभा द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक टालने योग्य न हों, के लिए दिये जाने हैं। आकस्मिकता निधि का संग्रह वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 500 करोड़ था।

यह पाया गया है कि 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान आकस्मिकता निधि से प्राकृतिक आपदा पर किया गया व्यय कुल निकासी का केवल एक से 11 प्रतिशत था जबकि 2017-18 में यह व्यय कुल निकासी का 31 प्रतिशत था।

इसके आगे लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2017-18 के दौरान आकस्मिकता निधि से 49 अवसरों पर ₹ 337.55 करोड़ आहरित किये गये। इसमें से 24 अवसरों पर ₹ 226.17 करोड़ की कुल राशि की निकासी वैसे व्यय हेतु की गयी जिनका पूर्वानुमान बजट अनुमानों को तैयार करते समय ही लगाना चाहिए था, और इसलिये ये न तो अप्रत्याशित और न ही अत्यावश्यक प्रकृति के थे। विवरण तालिका 2.4 में दिये गये हैं।

तालिका 2.4: राज्य की आकस्मिकता निधि से व्यय

क्र. स.	लेखा शीर्ष	कार्य के विवरण	अग्रिम की राशि (₹ करोड़ में)
1	2070-00-104-04	अन्वेषण ब्यूरो	0.50
2	2070-00-104-01	लोकायुक्त कार्यालय	0.18
3	2070-00-800-11	झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस समारोह	5.00
4	2014-00-102-03	मशीन एवं यंत्र	2.12
5	2014-00-102-01	नये मोटर वाहन का क्रय	0.06
6	2015-00-106-03	घरेलू यात्रा दौरा एवं कार्यालय व्यय	1.70
7	2011-02-103-01	नये मोटर वाहन का क्रय	0.36
8	2515-00-001-54	कार्यालय व्यय	30.00
9	2235-02-106-39	वेतन एवं भत्ते	0.85
10	2235-60-200-13	सहायता अनुदान	3.06
11	2052-00-090-24	नये मोटर वाहन का क्रय	0.14
12	2055-00-109-01	संविदा भत्ता एवं वर्दी व्यय	20.00
13	2055-00-001-03	आपूर्ति एवं सामग्री	2.00
14	2055-00-001-12	अन्य व्यय	5.15
15	2217-80-191-06	सहायता अनुदान	12.28
16	2217-80-192-06	सहायता अनुदान	5.97
17	4700-80-789-12	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य संसाधन कार्यक्रम	30.00
18	4700-80-796-12	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य संसाधन कार्यक्रम	45.00
19	4055-00-211-01	पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण	10.30
20	4055-00-211-01	आपूर्ति एवं सामग्री	7.30
21	3454-01-101-05	मानदेय	4.00
22	2220-60-101-02	विज्ञान एवं प्रचार	8.28
23	2220-60-796-21	अन्य व्यय	21.41
24	2220-60-796-05	प्रकाशन	10.51
कुल			226.17

स्रोत: आँकड़े प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड के कार्यालय द्वारा संकलित।

इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि को गैर-आकस्मिक व्यय हेतु अग्रधन खाते के रूप में इस्तेमाल किया गया था।

तथापि, वर्ष 2017-18 के दौरान निधि से कुल निकासी की प्रतिपूर्ति अगस्त 2017 (₹ 136.09 करोड़), दिसम्बर 2017 (₹ 200.85 करोड़) तथा फरवरी 2018 (₹ 0.60 करोड़) के अनुपूरक बजट से की गई।

अनुशंसा: राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम का उपयोग केवल अत्यावश्यक एवं अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के लिए किया जाय।

2.4.5 विगत वर्षों में प्रावधानों से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत, राज्य सरकार को अनुदान/विनियोग के आधिक्य को राज्य विधानसभा द्वारा विनियमित करवाना अनिवार्य है।

वर्ष 2001-02 से वर्ष 2016-17 तक प्रावधानों से ₹ 2,749.87 करोड़ के आधिक्य व्यय को विनियमित किया जाना बाकी था (नवम्बर 2018) जैसा कि परिशिष्ट 2.5 में वर्णित है। विनियमित किये जाने हेतु लंबित आधिक्य व्यय की वर्ष-वार राशि तालिका 2.5 में सारांशीकृत है।

तालिका 2.5: विगत वर्षों से संबंधित आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संख्या		प्रावधानों से आधिक्य की राशि
	अनुदान	विनियोग	
2001-02	25 व 32		0.04
2002-03	32		0.08
2003-04	46		0.29
2004-05	40		@
2006-07	38		\$
2010-11	32		0.10
2011-12	15 एवं 25	14	420.16
2012-13	7, 15 एवं 42	14	1,263.18
2013-14	15	13 एवं 14	694.05
2014-15	42	13	361.21
2016-17	32	14	10.75
कुल			2,749.87

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2017-18

@ आधिक्य राशि मात्र ₹ 1,072 थी

\$ आधिक्य राशि मात्र ₹ 81,665 थी

इसके अतिरिक्त, 2017-18 से संबंधित निम्न आधिक्य व्यय जैसा कि तालिका 2.6 में दिया गया है, को भी विनियमित किया जाना है।

तालिका 2.6 : 2017-18 के दौरान हुए प्रावधानों से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	आधिक्य
भारित विनियोग				
1	13-ब्याज संदाय	4,467.99	4,661.68	193.69
दत्तमत अनुदान				
2	15- पेंशन	5,841.43	5,913.24	71.81
कुल		10,309.42	10,574.92	265.50

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2017-18

अनुशंसा: वित्त विभाग को ₹ 3,015.37 करोड़ के आधिक्य व्यय को विनियमित करने हेतु शीघ्र कदम उठाना चाहिए।

2.4.6 परिहार्य/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान ₹ 6,487.86 करोड़ के कुल अनुपूरक बजट प्रावधान में से 41 मामलों में, (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) प्राप्त ₹ 3,225.18 करोड़ (50 प्रतिशत) का समग्र अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 2.6** में वर्णित है। इन सभी मामलों में, यह देखा गया कि कुछ उप-शीर्षों के अंतर्गत दिये गये मूल आवंटन व्यय नहीं हुए और इन उप-शीर्षों के अंतर्गत वृहत बचत हुई।

2.4.7 निधियों का अत्यधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

वर्ष 2017-18 के दौरान 19 उप-शीर्षों के अंतर्गत अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन, जैसा कि **परिशिष्ट 2.7** में वर्णित है, अत्यधिक या अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जैसा कि संबंधित परिशिष्ट में दर्शाया गया है, 10 योजनाओं/उप-शीर्षों के अंतर्गत, पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 38.59 करोड़ की अतिरिक्त निधि प्रदान की गयी फलस्वरूप ₹ 34.43 करोड़ की बचत हुई, जबकि वर्ष के अंत में दो योजनाओं/उप-शीर्षों में ₹ 7.59 करोड़ अन्य योजनाओं/उप-शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया जिससे उन योजनाओं/उप-शीर्षों में ₹ 0.13 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। अग्रतर, तीन योजनाओं/उप-शीर्षों में ₹ 12.47 करोड़ पुनर्विनियोजित किया गया जो उन योजनाओं के अंतर्गत ₹ 0.39 करोड़ के अधिक व्यय को देखते हुए अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

2.4.8 निधियों का वृहद अभ्यर्पण

88 मामलों में ₹ 1,438.45 करोड़ राशि की निधि (वैसे मामले जहाँ प्रावधानों का शत प्रतिशत तथा प्रत्येक मामले में ₹ पाँच करोड़ से अधिक का अभ्यर्पण हुआ) अभ्यर्पित की गयी, जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन पूर्ण नहीं हो सका। विवरण **परिशिष्ट 2.8** में दिये गये हैं।

अनुशंसा: सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिक, अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान तथा अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण से बचा जाय।

2.5 व्यय का वेग

झारखण्ड बजट नियमावली का नियम 113 निर्धारित करता है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की तीव्रता को वित्तीय नियमितता भंग होने के रूप में माना जायगा। विस्तृत व्यय का समरूप प्रवाह यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है।

तथापि, यह देखा गया कि ₹ 10,083.23 करोड़ के कुल व्यय के विरुद्ध वर्ष के अंतिम तिमाही में 13 अनुदानों में ₹ 5,956.80 (59.08 प्रतिशत) करोड़ व्यय किया गया जैसा **परिशिष्ट 2.9** में वर्णित है। मार्च 2018 के महीने में ₹ 3,913 करोड़ (कुल व्यय का 38.81 प्रतिशत) का व्यय किया गया। इसके आगे यह पाया गया कि पर्यटन, कृषि एवं शहरी विकास विभाग द्वारा मार्च 2018 में ए.सी. विपत्र के द्वारा ₹ 9.30 करोड़ की निकासी की गई जैसा कि परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की तीव्रता अस्वस्थ परिपाटी तथा लोक धन के दुरुपयोग के जोखिम को अपरिहार्य बनाता है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की तीव्रता को नियंत्रण करने के लिए नियम बनाना चाहिए।

2.6 विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन

प्रत्येक वर्ष, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के पुस्तकों से प्राप्त एवं व्यय के मासिक एवं त्रैमासिक आँकड़ों को मिलाने के लिए बिहार बजट नियमावली की आवश्यकताओं के अनुसार महालेखाकार (लेखा एवं हक.), बजट नियंत्री अधिकारियों को बार-बार कहते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभागाध्यक्षों ने वर्ष 2017-18 के दौरान कुल प्राप्त राशि ₹ 60,960.38 करोड़ के विरुद्ध ₹ 14,777.89 करोड़ (24.24 प्रतिशत) की प्राप्त राशि का समाशोधन नहीं किया। इसी प्रकार, वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 67,705.95 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 38,030.28 करोड़ (66.17 प्रतिशत) समाशोधित नहीं किये गये। वर्ष 2017-18 के दौरान प्रत्येक मामले में ₹10 करोड़ या उससे अधिक के असमाशोधित व्यय, जिसकी समग्र राशि ₹ 34,824.28 करोड़ थी, के विवरण **परिशिष्ट 2.10** में दिये गये हैं।

अनुशंसा: वित्त विभाग को ऐसी क्रियाविधि विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें नियंत्री अधिकारी को, मासिक आधार पर, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के पास उपलब्ध प्राप्ति एवं व्यय की विवरणी से नियमित रूप से समाशोधन करना आवश्यक हो।

2.7 अनुदान संख्या 42 - ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) की बजटीय प्रक्रिया

2.7.1 प्रस्तावना

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.), झारखण्ड सरकार कई कार्यक्रम लागू करती है जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए उचित रोजगार अवसर प्रदान करके तथा विनिर्माण द्वारा गरीबी कम करना है।

वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान संख्या 42 - ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) के बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा सचिवालय एवं आठ¹ चयनित जिलों में जुलाई एवं अक्टूबर 2018 के बीच की गयी। इस अनुदान में चार² राजस्व मुख्य शीर्ष तथा एक³ पूँजीगत मुख्य शीर्ष शामिल हैं।

बजट प्रावधान ₹ 6,074.60 करोड़ के विरुद्ध ग्रा.वि.वि. ने केवल ₹ 3,836.63 करोड़ (63 प्रतिशत) का उपयोग किया गया जिससे वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 2,237.97 करोड़ (37 प्रतिशत) की बचत हुई। इसके अलावा, कुल बचत ₹ 2,237.97 करोड़ में से ₹ 1,283.34 करोड़ की राशि विभाग द्वारा अभ्यर्पित की गई तथा शेष ₹ 954.63 करोड़ की राशि व्यपगत हो गई जैसा कि तालिका 2.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.7: 2017-18 के दौरान बजट प्रावधानों, व्यय तथा बचत की विवरणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	पूँजीगत दत्तमत	राजस्व दत्तमत	कुल
मूल अनुदान	476.89	5,522.58	5,999.47
अनुपूरक अनुदान	22.01	53.12	75.13
कुल अनुदान	498.90	5,575.70	6,074.60
व्यय	494.51	3,342.12	3,836.63
बचत	4.39	2,233.58	2,237.97
अभ्यर्पण (पुनर्विनियोजन)	2.98	1,280.36	1,283.34
व्यपगत	1.41	953.22	954.63

स्रोत: वर्ष 2017-18 के झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे

¹ बोकारो, चतरा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, पलामू एवं साहिबगंज

² 2501- ग्रामीण विकास के लिए विशिष्ट कार्यक्रम, 2505- ग्रामीण रोजगार, 2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 3451-सचिवालय आर्थिक सेवा

³ 4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत व्यय

लेखापरीक्षा परिणाम

2.7.2 बजट अनुमानों के प्रस्तुतीकरण में विलंब

झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत बिहार बजट नियमावली का नियम 62 राज्य का बजट उचित और ससमय तैयार करने के लिए बजट कैलेंडर का प्रावधान करता है। वित्त विभाग झारखण्ड सरकार ने सामान्य बजट और स्थापना व्यय का प्राक्कलन समर्पित करने की निर्धारित तिथि तथा एक अक्टूबर से क्रमशः 16 दिसम्बर 2016 तथा 21 नवम्बर 2016 संशोधित (अक्टूबर 2016) किया।

अभिलेखों के संवीक्षा से यह उदघाटित हुआ कि 16 दिसम्बर 2016 के लक्षित तिथि के विरुद्ध ग्रा.वि.वि. ने सामान्य बजट और स्थापना व्यय का प्राक्कलन क्रमशः 23 एवं 49 दिनों के विलम्ब से 09 जनवरी 2017 तथा 21 नवम्बर 2016 को वित्त विभाग को प्रस्तुत किया।

इसके आगे यह पाया गया कि आठ नमूना-जाँच जिलों में, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी.आर.डी.ए.) ने ग्रा.वि.वि. द्वारा निर्धारित लक्षित तिथि (14 नवम्बर 2016) के विरुद्ध चार से 47 दिनों के विलम्ब से ग्रा.वि.वि. को स्थापना व्यय का आकलन प्रस्तुत किया जबकि आम बजट प्रस्तुत ही नहीं किया गया।

बजट कैलेंडर का गैर-अनुपालन न केवल बजट आकलन तैयार करने की सूची को प्रभावित करता है बल्कि विभिन्न स्तरों पर इसकी संवीक्षा हेतु अपेक्षित समय में कटौती करता है।

2.7.3 अपेक्षित आवश्यकताओं की प्राप्ति के बिना तैयार किया गया बजट आकलन

बजट नियमावली के नियम 65 के अनुसार नियंत्री अधिकारी को संवितरण अधिकारियों से प्राप्त बजट का परीक्षण यह देखने के लिए करना चाहिए कि दिए गए सभी विस्तृत ब्यौरे एवं विवरण सही हैं तथा पर्याप्त हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया तथा वितरण अधिकारियों द्वारा प्राप्त आवश्यकताओं के बिना बजट आकलनों (राज्य, केंद्र एवं केंद्र प्रायोजित योजनाएँ) को विभागीय स्तर पर तैयार किया गया।

आगे यह पाया गया कि विभाग के बजट प्रावधानों एवं व्यय के बीच बड़े स्तर पर भिन्नता थी जिससे विगत तीन वर्षों के दौरान कुल आवंटन के 27 से 40 प्रतिशत की भारी बचत हुई।

2.7.4 परिहार्य अनुपूरक प्रावधान

बिहार बजट नियामावली (यथा अंगीकृत) के नियम 57 के अनुसार आकलन तैयार करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आकलन में व्यय से अधिक की राशि का प्रावधान न हो।

लेखापरीक्षा में यह पाया कि वर्ष 2017-18 के दौरान 82 उप-शीर्षों में से छः उप-शीर्षों में इन योजनाओं के लिए मूल प्रावधानों की अनुपयोगिता के वाबजूद अनुपूरक प्रावधानों के द्वारा अतिरिक्त निधि प्रदान की गई।

जैसा कि तालिका 2.8 में दर्शाया गया है, ₹ 237.39 करोड़ के मूल प्रावधान के विरुद्ध ₹ 227.35 करोड़ का व्यय किया गया जबकि अनुपूरक प्रावधान के द्वारा ₹ 12.77 करोड़ की अतिरिक्त निधि प्रदान की गई। इस प्रकार, अनुपूरक प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी तथा इसे टाला जा सकता था।

तालिका 2.8: बजट प्रावधान का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व मुख्य शीर्ष	मूल	2017-18 के दौरान व्यय	अनुपूरक प्रावधान
1	2501-06-796-04	8.58	5.46	6.33
2	2501-06-796-14	10.20	8.97	0.56
3	2501-06-800-04	7.02	4.06	5.13
4	2505-01-796-01	1.50	1.46	0.31
5	2515-00-102-10	207.12	204.92	0.18
6	2515-00-796-09	2.97	2.48	0.26
कुल		237.39	227.35	12.77

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2017-18

2.7.5 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण

बजट नियमावली (यथा अंगीकृत) के नियम 112 के अनुसार सभी प्रत्याशित बचतें, जब वे पूर्वज्ञात हो, वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल अभ्यर्पित की जानी चाहिए। कोई भी बचत भविष्य के संभावित आधिक्य हेतु आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिये। अग्रतर, नियम 135 के अनुसार जब किसी अभ्यर्पण की आवश्यकता स्वतः स्पष्ट हो तो नियंत्री अधिकारी को उस राशि का सावधानीपूर्वक अनुमान लगाना चाहिये कि वह अभ्यर्पित कर सकता है।

हमने पाया कि ₹ 6,074.60 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध 31 मार्च 2018 को ₹ 1,283.34 करोड़ (पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 2.98 करोड़ एवं राजस्व शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,280.36 करोड़) अभ्यर्पित किया गया जिससे किसी अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर इन राशियों के उपयोगिता की कोई गुंजाइश नहीं रही।

2.7.6 कुल बजट प्रावधान की अनुपयोगिता

बिहार बजट नियमावली (यथा अंगीकृत) के नियम 57 के नीचे की टिप्पणी के अनुसार, आकलन तैयार करने वाले उत्तदायी पदाधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए कि वृहत राशि हेतु कोई प्राक्कलन शेष नहीं है जिसे व्यय किया जा सकता है।

वर्ष 2017-18 के विनियोग लेखे की संवीक्षा से यह उद्घटित हुआ कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) के अंतर्गत छः योजनाओं में विभाग द्वारा कुल बजट प्रावधान ₹ 89.98 करोड़ का उपयोग नहीं किया गया।

2.7.7 व्यय का वेग

प्रावधानों के अनुसार (बजट नियमावली का नियम 113) व्यय का वेग विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में सामान्यतः वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाएगा। अतः व्यय के वेग से विशेष रूप से अंतिम माह में बचा जाना चाहिए।

हमने यह पाया कि 93 शीर्षों (पूँजीगत-11 तथा राजस्व-82) में से 16 शीर्षों में वर्ष 2017-18 का कुल व्यय मार्च 2018 के माह में किया गया। इसके आगे, यह भी पाया गया कि आठ नमूना-जाँच डी.आर.डी.ए. में से सात डी.आर.डी.ए. में मार्च 2018 में 25 से 61 प्रतिशत के बीच व्यय किया गया जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.11 में दिया गया है।

2.7.8 विभागीय व्यय के आँकड़ों का असमाशोधन

बजट नियमावली के नियम 134 अपेक्षा करता है कि नियंत्री अधिकारी को व्यय तथा प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण की संभावनाओं से बचने के लिए मासिक आधार पर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) की बहियों के साथ विभागीय लेखाओं को समाशोधित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 3,836.64 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 1,174.39 करोड़ की राशि विभाग द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) की बहियों के साथ समाशोधित नहीं की गई जैसा कि तालिका 2.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.9: विभाग द्वारा राशि का असमाशोधन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय (विनियोग के अनुसार)	राशि	असमाशोधित राशि
1	2501	633.04	304.63	328.41
2	2505	2,433.95	2,277.08	156.87
3	2515	270.03	64.47	205.56
4	3451	5.11	5.03	0.08
5	4515	494.51	11.04	483.47
	कुल	3,836.64	2,662.25	1,174.39

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के अभिलेख

इसके आगे, आठ नमूना-जाँच डी.आर.डी.ए. में यह भी पाया गया कि वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 74.53 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 74.17 करोड़ प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) की बही से समाशोधित नहीं किया गया जैसा कि तालिका 2.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.10: असमाशोधित राशि की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	डी.आर.डी.ए. के नाम	कुल व्यय	समाशोधित राशि	असमाशोधित राशि
1	डी.आर.डी.ए., बोकारो	8.75	0.00	8.75
2	डी.आर.डी.ए., पलामू	10.82	0.36	10.46
3	डी.आर.डी.ए., गढ़वा	8.11	0	8.11
4	डी.आर.डी.ए., गिरिडीह	11.31	0	11.31
5	डी.आर.डी.ए., दुमका	9.69	0	9.69
6	डी.आर.डी.ए., साहिबगंज	8.96	0	8.96
7	डी.आर.डी.ए., पश्चिमी सिंहभूम	10.99	0	10.99
8	डी.आर.डी.ए., चतरा	5.9	0	5.9
	कुल	74.53	0.36	74.17

2.8 अनुदान संख्या 45-सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की बजटीय प्रक्रिया

2.8.1 प्रस्तावना

सूचना प्रौद्योगिकी (सू.प्रौ.) एवं ई-गवर्नेंस विभाग जून 2003 से स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है।

वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान संख्या 45 - सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा सचिवालय में जुलाई एवं सितम्बर 2018 के मध्य किया गया। यह देखा गया कि वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 214.41 करोड़ (योजना - ₹ 212.60 करोड़ एवं स्थापना- ₹ 1.81 करोड़) के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध विभाग ने केवल ₹ 74.25 करोड़ (योजना - ₹ 72.54 करोड़ एवं स्थापना व्यय - ₹ 1.71 करोड़) (34.63 प्रतिशत) का उपयोग किया और ₹ 140.16 करोड़ (65.37 प्रतिशत) अभ्यर्पित किया। इसके आगे जैसा कि तालिका 2.11 में दर्शाया गया है, वर्ष 2016-17 के अलावा विगत चार वर्षों के दौरान विभाग आवंटन का 50 प्रतिशत से अधिक का उपयोग करने के अक्षम रहा।

तालिका 2.11: विगत चार वर्षों में विभाग की बजटीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यय की प्रकृति	कुल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	व्यय की प्रतिशतता
2014-15	राजस्व	91.28	6.03	97.31	49.10	48.21	52.86
	पूँजी	30.50	1.14	31.64	11.69	19.95	
	कुल	121.78	7.17	128.95	60.79	68.16	
2015-16	राजस्व	107.71	90.63	198.34	108.77	89.57	53.18
	पूँजी	34.00	00.00	34.00	0.01	33.99	
	कुल	141.71	90.63	232.34	108.78	123.56	

वर्ष	व्यय की प्रकृति	कुल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	व्यय की प्रतिशतता
2016-17	राजस्व	148.35	9.27	157.62	123.68	33.94	21.32
	पूँजी	33.50	0.00	33.50	26.70	6.80	
	कुल	181.85	9.27	191.12	150.38	40.74	
2017-18	राजस्व	187.99	4.42	192.41	72.79	119.62	65.37
	पूँजी	22.00	0.00	22.00	1.46	20.54	
	कुल	209.99	4.42	214.41	74.25	140.16	

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे

लेखापरीक्षा परिणाम

2.8.2 परिहार्य अनुपूरक प्रावधान

2017-18 के दौरान 15 योजनाओं में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग का बजटीय प्रावधान ₹ 200.75 करोड़ (मूल - ₹ 196.45 करोड़ तथा अनुपूरक - ₹ 4.30 करोड़) था। संवीक्षा से यह उद्घटित हुआ कि दो योजनाओं के लिए प्रदान किया गया ₹ 2.80 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान विभाग द्वारा उपयोग नहीं किया गया जैसा कि तालिका 2.12 में दिखाया गया है। अंतः ₹ 2.80 करोड़ का अनुपूरक माँग अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसको टाला जा सकता था।

तालिका 2.12 : परिहार्य अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल	उपयोग की गई निधि	बचत
ई-कार्यालय	2.00	1.21	3.21	2.00	1.21
ई-गवर्नेंस-नये सरकारी विभाग का कंप्यूटरीकरण (टी.एस.पी.)	10.39	1.59	11.98	8.08	3.90
कुल	12.39	2.80	15.19	10.08	5.11

स्रोत: विभागीय आँकड़ें

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2018) कि हार्डवेयर की आवश्यकता के मूल्यांकन को अंतिम रूप नहीं देने और आवश्यकताओं की विलम्ब पुष्टिकरण के कारण निधियों का उपयोग नहीं हो सका।

जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आवश्यकताओं का मूल्यांकन/पुष्टिकरण अनुपूरक प्रावधान की माँग के पूर्व ही करना चाहिए था।

2.8.3 अनुपयोगित निधि का गैर-अभ्यर्षण

वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 214.41 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग ने ₹ 140.16 करोड़ की बचत की जिसे अभ्यर्षित नहीं किया गया एवं 31 मार्च 2018 को व्यपगत हो गया।

विभाग को बचत का पूर्वानुमान होना चाहिए और इसे अभ्यर्पित किया जाना चाहिए ताकि सरकार द्वारा उसका उपयोग अन्य योजनाओं में किया जा सके।

2.8.4 संपूर्ण बजट प्रावधान का अनुपयोग

अभिलेखों की संवीक्षा से यह उदघाटित हुआ कि वित्तीय वर्ष की सात योजनाओं के लिए आवंटित सम्पूर्ण बजट (100 प्रतिशत) का उपयोग नहीं किया गया तथा इसे विभाग द्वारा अभ्यर्पित किया गया जिसका विस्तृत विवरण तालिका 2.13 में दिया गया है।

तालिका 2.13: योजनाओं एवं बजट प्रावधान का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट आकलन	अभ्यर्पण
1	आवास हेतु शिकायत एवं आपातकालीन सेवा कॉल सेंटर की स्थापना	2.00	2.00
2	सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क हेतु अनुदान	1.00	1.00
3	ई-मुलाकात	0.40	0.40
4	सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा प्रोत्साहन	3.20	3.20
5	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना (1368)	11.15	11.15
6	सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना	0.50	0.50
7	डाटा सेंटर-एल.ए.एन. पोर्टल का रख-रखाव	5.00	5.00
कुल		23.25	23.25

स्रोत:- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग

उपर्युक्त तालिका के अनुसार, पूरे वर्ष के दौरान सात योजनाओं पर कोई काम नहीं किया गया तथा संपूर्ण आवंटन को विभाग द्वारा अभ्यर्पित कर दिया गया।

अनुशंसा: बजट आकलन तैयार करते समय राज्य सरकार के विभाग को अपने बजट को अधिक यथार्थवादी बनाने हेतु बजट नियमावली में शामिल प्रावधानों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा, वर्ष के दौरान व्यय के प्रवाह को वित्त विभाग द्वारा अनुवीक्षा करना चाहिए ताकि बचत को कम किया जाय, निधियों को अनावश्यक न रखा जाय तथा विभाग द्वारा इसे समय पर अभ्यर्पित किया जाय।

अध्याय-3

वित्तीय प्रतिवेदन

अध्याय - 3

वित्तीय प्रतिवेदन

यह अध्याय वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों सहित राज्य सरकार द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

3.1 अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

झारखण्ड वित्तीय नियम (झा.वि.नि.) निर्धारित करता है कि विभागीय अधिकारी को अनुदानग्राही संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) प्राप्त करना चाहिए और सत्यापन के उपरान्त इन्हें महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड को उनकी संस्वीकृति के 12 महीनों के अंदर अग्रेषित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016-17 तक भुगतान किये गये ₹ 38,911.59 करोड़ के कुल अनुदानों से संबंधित देय कुल 21,391 उ.प्र.प. मार्च 2018 के अंत तक बकाया थे। ऐसे उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का एक बड़ा भाग पाँच विभागों यथा पशुपालन विभाग (₹ 8,336.50 करोड़ के कुल के कुल 2,312 करोड़ उ.प्र.प.), नगर विकास विभाग (₹ 8,318.73 करोड़ के कुल ₹ 6,237 उ.प्र.प.), कृषि विभाग (₹ 1,842.67 करोड़ के कुल 7,744 उ.प्र.प.), कल्याण विभाग (₹ 1,622.14 करोड़ के कुल 89 उ.प्र.प.) और उद्योग विभाग (₹ 486.04 करोड़ के कुल 839 उ.प्र.प.) के विरुद्ध बकाये थे। बकाये उ.प्र.प. का विभागवार वर्गीकरण परिशिष्ट 3.1 में दर्शाया गया है।

31 मार्च 2018 को बकाये उ.प्र.प. की संख्या एवं राशि क्रमशः 21,391 एवं ₹ 38,911.59 करोड़ थी जैसा कि तालिका 3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1 : 31.03.2018 को बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष जिसमें सहायता अनुदान वितरित किये गये	वर्ष जिसमें उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया हुआ	बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
		संख्या	राशि
2014-15 तक	2015-16 तक	7,318	10,678.82
2015-16	2016-17	9,054	10,751.41
2016-17	2017-18	5,019	17,481.36
बकाये उ.प्र.प. की कुल सं.		21,391	38,911.59

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2017-18

अग्रतर, 30 सितम्बर 2018 को वृहत बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों वाले छः विभागों में विगत चार वर्षों की तुलनात्मक स्थिति निम्न तालिका में दी गई है:

तालिका 3.2: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों वाले प्रमुख विभाग (30.09.2018 को)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	
		उ.प्र.प. की सं.	राशि	उ.प्र.प. की सं.	राशि	उ.प्र.प. की सं.	राशि	उ.प्र.प. की सं.	राशि
1	मानव संसाधन	12	404.49	88	1,148.89	513	2,049.97	1,587	4,430.09
2	ग्रामीण विकास	00	0.00	01	0.90	182	1,294.63	237	2,840.33
3	पशुपालन	03	1.28	0	0.00	0	0.00	06	39.25
4	कृषि	07	17.04	06	68.07	107	138.02	210	82.62
5	शहरी विकास	793	404.76	823	845.22	700	2,162.64	1,141	3,859.39
6	कल्याण	152	166.77	215	226.26	6,505	1,038.08	546	200.81
7	उद्योग	01	2.00	84	113.03	376	226.59	341	100.28
सकल योग		968	996.34	1,217	2,402.37	8,383	6,909.93	4,068	11,552.77

2013-14 के बाद लंबित उ.प्र.प. की राशि और संख्या में वृद्धि, निधियों को जैसी कि पहले परंपरा थी सीधे एजेंसियों को अंतरित करने के बजाय राज्य बजट के माध्यम से राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित करने के भारत सरकार के निर्णय (जुलाई 2013) का परिणाम है। हालाँकि, इस निर्णय के बाद भी, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों, सोसाइटियों और गैर सरकारी संगठनों को निधियों का सीधा अंतरण भारत सरकार द्वारा जारी रखा गया था। 2014-15 के दौरान निधियों का सीधा अंतरण ₹ 2,602 करोड़ से घटकर ₹ 131 करोड़ हो गया जो कि 2017-18 में बढ़कर ₹ 322 करोड़ हो गया।

यह भी पाया गया कि झारखण्ड सरकार¹ द्वारा कोषागार संहिता नियम 329-331 के शिथिल किये जाने, जिसमें प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया, के बाद बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की राशि 2014-15 में ₹ 5,148.57 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 38,911.59 करोड़ हो गयी।

मार्च 2018 के अंत में सहायता अनुदान विपत्रों (₹ 38,911.59 करोड़) के विरुद्ध उ.प्र.प. की अप्राप्ति, नियत उद्देश्य हेतु अनुदानों की उपयोगिता का सम्योचित प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करने के नियमों व प्रक्रियाओं के अनुपालन में विभागीय अधिकारियों की विफलता को इंगित करता है। उ.प्र.प. का अत्यधिक लंबित रहना निधियों के दुर्विनियोजन और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा हुआ होता है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिये जिसके अंदर अनुदान विमुक्त करने वाले प्रशासनिक विभाग अनुदान आदेशों में निर्धारित से अधिक समय तक लंबित उ.प्र.प. प्राप्त करें और ये भी सुनिश्चित करें कि उस समय

¹ पत्रांक 759/एफ दिनांक 20.03.2015

तक, प्रशासनिक विभाग चूककर्ता अनुदानग्राहियों को कोई अगला अनुदान विमुक्त न करें। सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध जो समय पर उ.प्र.प. प्रस्तुत करने में विफल रहे उचित कार्रवाई शुरू कर सकती है।

3.2 स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों तथा अनुदानग्राही संस्थानों के लेखाओं का प्रस्तुतिकरण और लेखापरीक्षा

3.2.1 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा

निकाय तथा प्राधिकरण जो समेकित निधि से ऋण या अनुदान के रूप में पर्याप्त रूप से वित्त पोषित हों, या जो विशिष्ट उद्देश्यों हेतु ऐसे ऋण या अनुदान प्राप्त करते हों, की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा किया जाता है। वर्तमान में, कुल 75 ऐसे निकाय या प्राधिकरण हैं, जिनमें से 74 की लेखापरीक्षा की गई है, जैसा कि परिशिष्ट 3.2 में उल्लिखित है।

संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 75 निकायों/प्राधिकरणों में से किसी भी निकाय/प्राधिकरण ने अद्यतन किया हुआ लेखा 28 फरवरी 2019 तक प्रस्तुत नहीं किया, जबकि दो² निकायों/प्राधिकरणों ने लेखापरीक्षा को शुरुआत से अपना लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। बारंबार प्रतिवेदित किये जाने के बावजूद अन्य निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलंब का दायरा एक से 14 वर्षों के बीच था।

अनुशंसा: राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये उचित युक्ति अपनाने की आवश्यकता है कि ये लेखाएँ एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर संकलित और लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं ताकि वित्तीय अनियमितताएँ, यदि कोई हो, संज्ञान से बाहर ना रह जायें।

3.2.2 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 एवं 20 के अंतर्गत लेखापरीक्षा

राज्य में ऐसे पाँच³ स्वायत्त निकाय हैं जिनके लेन-देनों, प्रचालन गतिविधियों और लेखाओं के सत्यापन, लेन-देनों के अनुपालन लेखापरीक्षा का संचालन, आंतरिक प्रबंधन और वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा, पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा इत्यादि के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 एवं 20 के अंतर्गत लेखापरीक्षा किया जाना है।

इन स्वायत्त निकायों के लेखाओं का प्रस्तुतिकरण एवं लेखापरीक्षा की स्थिति के विवरण तालिका 3.3 में दिये गये हैं।

² झारखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाइटी, राँची और झारखण्ड जैव विविधता परिषद, डोरण्डा, राँची

³ (i) 22 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डी.एल.एस.ए.) सहित झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा), (ii) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी.), (iii) राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), (iv) राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) तथा (v) झारखंड आवास बोर्ड, राँची।

तालिका 3.3 : स्वायत्त निकायों के लेखाओं का प्रस्तुतिकरण एवं लेखापरीक्षा की स्थिति का विवरण

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिस तक लेखे प्रस्तुत किये गये	अवधि जिस तक पृ.ले.प्र. निर्गत हुये	विधानसभा में पृ.ले.प्र. का उपस्थापन	टिप्पणियाँ
1	झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा)	2016-17	2016-17	सूचित नहीं किया गया।	वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखे अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2019)।
2	झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी.)	2014-15	2011-12	अब तक उपस्थापित नहीं किया गया ।	वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के वार्षिक लेखे अब तक प्राप्त नहीं हुए (दिसम्बर 2018)।
3	राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स)	शून्य	शून्य	शून्य	सक्रिय अनुनय के बावजूद वर्ष 2010-11 से 2017-18 तक के वार्षिक लेखे दिसम्बर 2018 तक प्राप्त नहीं हुए हैं।
4	राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, राँची (रिनपास)	शून्य	शून्य	शून्य	वार्षिक लेखे अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, अनुपालन लेखापरीक्षा नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है।
5	झारखण्ड आवास बोर्ड, राँची	शून्य	शून्य	शून्य	शुरूआत से (2001) वार्षिक लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, अनुपालन लेखापरीक्षा नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है।

पृ.ले.प्र. - पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

झालसा के लेखापरीक्षित लेखाओं के संबंध में पृ.ले.प्र. के उपस्थापन संबंधी सूचना सक्रिय अनुनय के बावजूद प्रदान नहीं की गयी है। अग्रतर, हालाँकि लेखापरीक्षा ने उपरोक्त तालिका में उल्लिखित तीन निकायों के लेखे के प्रस्तुतिकरण के लिये मामले को लगातार संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाया, इसे शुरूआत से लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया है। हालाँकि, इन निकायों का अनुपालन लेखापरीक्षा नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है।

3.2.3 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलंब

कंपनी अधिनियम, 2013 निर्धारित करता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कंपनियों की वित्तीय विवरणियाँ संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अंदर अर्थात् अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक तैयार किया जाना आवश्यक है। समय पर लेखा प्रस्तुत करने में विफलता कंपनी के अधिकारियों को अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रावधानों का भागीदार बनाती है।

निम्न तालिका 3.4 31 दिसम्बर 2018 को सा.क्षे.उ. द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप देने में प्रगति का विवरण प्रस्तुत करती है।

तालिका 3.4: कार्यशील एवं अकार्यशील सा.क्षे.उ. के लेखाओं के अंतिम रूप से संबंधित स्थिति

क्र. सं.	विवरण	कार्यशील	अकार्यशील	कुल
1	सा.क्षे.उ. की संख्या	22	3	25
2	बकाया लेखाओं वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	20	01	21
3	बकाया लेखाओं की संख्या	55	05	60
4(क)	छह वर्षों से अधिक बकाया लेखाओं वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	02	00	02
4(ख)	उपरोक्त सा.क्षे.उ. में बकाया लेखाओं की संख्या	17	00	17
5(क)	तीन से पाँच वर्षों के बीच बकाया लेखाओं वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	06	01	07
5(ख)	उपरोक्त सा.क्षे.उ. में बकाया लेखाओं की संख्या	24	05	29
6(क)	एक से दो वर्षों के बीच बकाया लेखाओं वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	14	00	14
6(ख)	उपरोक्त सा.क्षे.उ. में बकाया लेखाओं की संख्या	15	00	15
7	बकाये का विस्तार (वर्षों में)	1 से 9	1 से 5	1 से 9

स्रोत: कंपनियों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं से संकलित आँकड़े

लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण, नौ वर्षों की अवधि तक इन कंपनियों की पूरक लेखापरीक्षा, जैसा कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित है, करने में सी.ए.जी. असमर्थ रहा है।

उपरोक्त यह सुनिश्चित करने में संबंधित प्रशासनिक विभागों एवं विशेष रूप से वित्त विभाग की विफलता को इंगित करता है कि चूककर्ता कंपनियाँ संबद्ध अधिनियमों का अनुपालन करें। अग्रतर, यह पाया गया कि राज्य सरकार ने 2008-09 एवं 2016-17 के बीच, चार सा.क्षे.उ., जिन्होंने अपने लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया था, के शेयर पूँजी में ₹ 64.97 करोड़ का निवेश किया था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सभी सा.क्षे.उ. जिनके लेखे बकाया हैं के मामलों की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि लेखे एक तर्कसंगत अवधि के भीतर अद्यतन किये जाते हैं और उन सभी मामलों में वित्तीय सहायता को रोक देना चाहिए जहाँ लेखे लगातार बकाया हैं।

3.2.4 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लाभांश घोषित नहीं किये गये

राज्य सरकार ने ऐसी कोई लाभांश नीति तैयार नहीं किया है जिसके अंतर्गत सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार द्वारा अंशदानित प्रदत्त शेयर पूँजी पर एक न्यूनतम प्रतिफल भुगतान करना आवश्यक हो। अद्यतन पूर्ण लेखाओं के अनुसार, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड ने 2017-18 के दौरान ₹ 4.33 करोड़ का लाभ अर्जित किया पर सरकार को कोई लाभांश नहीं दिया गया।

अनुशंसा: राज्य सरकार को शेयर पूँजी के रूप में अपने निवेश पर प्रतिफल के लिए लाभांश नीति बनाना चाहिए।

3.3 संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर आहरित निधियों की लेखापरीक्षा

झारखण्ड कोषागार संहिता (जे.टी.सी.), 2016 निर्धारित करता है कि जब कोषागार से आकस्मिक प्रभार एक अग्रिम के रूप में संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर समर्थित अभिश्रवों के बगैर आहरित किया जाता है तो उप-अभिश्रवों से समर्थित और

नियंत्री अधिकारी (नि.आ.) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संबद्ध विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) विपत्रों को ए.सी. विपत्र की तिथि से छः माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को समर्पित करना है।

30.10.2018 को लंबित डी.सी. विपत्रों के वर्षवार विवरण तालिका 3.5 में दिये गये हैं।

तालिका 3.5 लंबित डी.सी.विपत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित ए.सी. विपत्र		समर्पित डी.सी. विपत्र		बकाया डी.सी. विपत्र		डी.सी. विपत्रों के बकाया राशि का प्रतिशत
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
2014-15 तक	55,382	15,915.51	38,156	12,271.45	17,226	3,644.06	22.90
2015-16	806	1,224.91	287	718.37	519	506.54	41.35
2016-17	459	1,267.80	96	762.26	363	505.54	39.88
2017-18	335	1,209.12	37	649.60	298	559.52	46.27
कुल	56,982	19,617.34	38,576	14,401.68	18,406	5,215.66	26.59

अधिकतम राशि के लंबित डी.सी. विपत्रों वाले विभागों और उनके तुलनात्मक विवरण तालिका 3.6 में दिए गए हैं:

तालिका 3.6 : बकाया डी.सी. विपत्रों का विभाग-वार तुलनात्मक विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	30.10.2018 को बकाया डी.सी. विपत्र				कुल
		2014-15 तक	2015-16	2016-17	2017-18	
1	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	625.02	138.38	163.49	278.14	1,205.03
2	कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	538.18	21.40	22.23	5.12	586.93
3	महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग	450.05	83.72	0.00	0.00	533.77
4	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग	446.48	68.44	18.05	5.64	538.61
5	गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	96.90	28.15	30.10	79.96	235.11
	कुल	2,156.63	340.09	233.87	368.86	3,099.45

जैसा कि उपर तालिका में दिखाया गया है, 2014-15 तक ₹ 625.02 करोड़ की राशि का डी.सी. विपत्र ग्रामीण विकास विभाग के विरुद्ध बकाया था जो साल दर साल काफी बढ़ता गया।

2017-18 में ए.सी. विपत्र पर आहरित ₹ 1,209 करोड़ में से, ₹ 233 करोड़ (19.27 प्रतिशत) की राशि के ए.सी. विपत्र मार्च 2018 में आहरित किए गए और इसमें से, ₹ 40 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन आहरित किया गया। मार्च 2018 में ए.सी. विपत्र के माध्यम से प्रचुर व्यय इंगित करता है कि आहरण मुख्य रूप से बजट को समाप्त करने के लिये था और अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को प्रकट करता है।

ए.सी. विपत्र पर निधियों का आहरण और निर्धारित समय के भीतर डी.सी. विपत्र का समर्पण नहीं किया जाना न केवल वित्तीय अनुशासन भंग करता है, बल्कि इसमें लोक धन के दुर्विनियोजन और अस्वास्थ्यकर प्रथाओं के जोखिम भी सम्मिलित होता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ए.सी. विपत्रों पर निधियों का आहरण लोक धन के दुरुपयोग के जोखिम से भरा होता है।

3.4 ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.) तथा आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस के अंतर्गत ए.सी./डी.सी. विपत्रों की लेखापरीक्षा

ग्रा.वि.वि. तथा आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस विभाग द्वारा 2000-2018 अवधि के दौरान ए.सी.विपत्रों पर आहरित की गयी निधियों की लेखापरीक्षा जुलाई-अक्टूबर 2018 के दौरान किया गया।

ग्रा.वि.वि. में, 2000-18 की अवधि के दौरान पाँच⁴ मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 5,963 ए.सी. विपत्रों के माध्यम से ₹ 4,965.86 करोड़ के राशि की निधि आहरित की गई, जिसमें से ₹ 1,293.34 करोड़ की राशि के 2854 डी.सी.विपत्र जुलाई 2018 तक बकाया थे। बकाया डी.सी. विपत्रों की कुल राशि में से ₹ 785.51 करोड़ की राशि दो वर्षों से अधिक समय से लंबित था।

इसी प्रकार, आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस विभाग में, अक्टूबर 2018 तक ₹ 90.28 करोड़ की राशि का 41 डी.सी.विपत्र बकाया था जिसमें से ₹ 69.74 करोड़ की राशि का डी.सी.विपत्र दो वर्षों से अधिक समय से लंबित था जैसा कि **परिशिष्ट 3.3** में वर्णित है।

अग्रतर, नमूना जाँच किये गये आठ डी.आर.डी.ए.⁵ के अभिलेखों की जाँच से यह उद्घटित हुआ कि 2000-01 से 2017-18 के दौरान ए.सी. विपत्रों पर ₹ 1,751.77 करोड़ के कुल आहरण के विरुद्ध इन डी.आर.डी.ए. में ₹ 558.86 करोड़ (1,383 डी.सी. विपत्र) के डी.सी. विपत्र समर्पण के लिए बकाया थे।

निर्धारित अवधि में डी.सी. विपत्रों का समर्पण नहीं किया जाना न केवल वित्तीय अनुशासन को भंग करता है बल्कि इसमें लोक धन के दुर्विनियोजन और अस्वास्थ्यकर प्रथाओं का जोखिम भी होता है।

3.4.1 विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के समर्पण में विलंब

नमूना जाँच किये गये आठ डी.आर.डी.ए. के अभिलेखों की जाँच से यह उद्घटित हुआ कि 2000-01 से 2017 की अवधि के दौरान आहरित ₹ 746.16 करोड़ की राशि के 2,487 डी.सी.विपत्र प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को संहिता के प्रावधानों

⁴ 2053-जिला प्रशासन, 2505-ग्रामीण रोजगार, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 3451-सचिवालय आर्थिक सेवा और 4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

⁵ बोकारो, पलामू, गढ़वा, गिरिडीह, दुमका, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम और चतरा

का उल्लंघन करते हुए 15 वर्ष 07 माह 02 दिनों तक के विलंब से समर्पित किया गया।

इसी प्रकार, आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस विभाग में, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को ₹ 3.32 करोड़ की राशि का पाँच डी.सी. विपत्र सात माह से लेकर दो वर्ष व सात माह के विलंब से समर्पित किया गया।

3.4.2 पूँजीगत कार्यों के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र पर निधियों का अनियमित आहरण

जेटीसी प्रपत्र 26 के साथ पठित, झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 184 के अनुसार, ए.सी.विपत्र केवल आकस्मिक प्रभारों के उद्देश्य के लिये हैं। इसलिये, पूँजीगत कार्य हेतु ए.सी. विपत्र पर निधियों का आहरण अनुमत्य नहीं है क्योंकि उक्त कार्य आकस्मिक प्रभारों की प्रकृति के नहीं हैं।

आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस विभाग के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वर्ष 2013-16 के दौरान जेटीसी के उपर्युक्त प्रावधानों के विपरीत मुख्य शीर्ष-4202 शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत दो⁶ ए.सी. विपत्र पर ₹ 10.29 करोड़ पूँजीगत कार्यों हेतु आहरित किया गया।

आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2018) और कहा (अक्टूबर 2018) कि भविष्य में इससे बचा जाएगा।

3.4.3 वित्तीय वर्ष के अंत में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के विरुद्ध आहरण

विनियोजन अधिनियम यह निर्धारित करता है कि कोषागार से आहरित धनराशि को वित्तीय वर्ष के भीतर ही उपयोग किया जाना चाहिए। झारखण्ड कोषागार संहिता भी बजट अनुदान को व्यपगत होने से रोकने हेतु कोषागार से आहरण मना करता है।

अभिलेखों की जाँच से यह पता चला कि अवर सचिव, आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस विभाग द्वारा मार्च माह में ए.सी.विपत्रों के माध्यम से ₹ 9.96 करोड़ (वर्ष 2012-13 में ₹ 0.06 करोड़ और 2016-17 में ₹ 9.90 करोड़) आहरित किए गये जिसके विरुद्ध सितंबर 2018 के अंत तक डी.सी.विपत्र समर्पित नहीं किये गये थे।

बजट अनुदान के व्यपगत होने से बचाने के लिए ए.सी.विपत्र के माध्यम से निधि का आहरण एक अस्वास्थ्यकर परंपरा है और यह बजटीय प्रक्रिया के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त, कोडल प्रावधानों के विरुद्ध आहरित लोक धन के दुरुपयोग को नकारा नहीं जा सकता है।

⁶ आई.आई.आई.टी. राँची की स्थापना हेतु भू अर्जन, एस.टी.पी.आई., आदित्यपुर के निर्माण हेतु ठेकेदार को मोबिलाइज़ेशन अग्रिम

अनुशंसा: वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सारे नियंत्रक अधिकारी निर्धारित अवधि के बाद सभी लंबित ए.सी. विपत्रों को, समयबद्ध रूप से, समायोजित करें और यह भी सुनिश्चित करे कि केवल बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए ए.सी. विपत्र आहरित नहीं किये जाते हैं।

3.4.4 बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

जाँच से यह पता चला कि 31 मार्च 2018 तक ग्रा.वि.वि. में ₹ 4190.06 करोड़ के कुल 423 उ.प्र.प. और आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस विभाग में ₹ 28.32 करोड़ के कुल नौ उ.प्र.प. बकाया थे जैसा कि तालिका 3.7 में दिया गया है।

तालिका 3.7 : देय उपयोगिता प्रमाण पत्र का विस्तृत विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	वर्ष	2014-15 तक		2015-16		2016-17		कुल	
		लंबित उ.प्र.प. के संख्या	राशि	लंबित उ.प्र.प. के संख्या	राशि	लंबित उ.प्र.प. के संख्या	राशि	लंबित उ.प्र.प. के संख्या	राशि
ग्रा.वि.वि.	2501	1	0.90	171	242.88	197	454.10	369	697.88
ग्रा.वि.वि.	2505	0	0.00	11	1,051.75	43	2,440.43	54	3,492.18
आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस	2203	4	25.03	0	0.00	5	3.29	9	28.32
	कुल	5	25.93	182	1294.63	245	2897.82	432	4218.38

स्रोत - वी.एल.सी. आँकड़े, म.ले.(लेखा एवं हक.) झारखण्ड

अग्रतर, ग्रा.वि.वि. के आठ डी.आर.डी.ए. के नमूना जाँच में पाता चला कि 2016-17 तक प्राप्त सहायता अनुदान के विरुद्ध 31 मार्च 2018 तक ₹ 6.01 करोड़ के कुल 125 उ.प्र.प. बकाया थे।

उत्तर में डी.आर.डी.ए. प्रशासकों ने बताया (अक्टूबर 2018) कि उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्रा.वि.वि. को सौंप दिये गये थे। तथापि, विभाग द्वारा इसे (अक्टूबर 2018 तक) प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को अग्रेषित नहीं किया गया है।

इस प्रकार, उ.प्र.प. का समर्पण लंबित रहना विभागीय अधिकारियों द्वारा अपेक्षित उद्देश्यों हेतु अनुदानों की उपयोगिता का समयबद्ध समर्पण सुनिश्चित करने में नियमावलियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन में विफलता को इंगित करता है। उ.प्र.प. का अत्यधिक लंबित रहना निधियों के दुर्विनियोजन और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा है।

अनुदान सं. 45-आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस की लेखापरीक्षा से पता चला कि जे.एस.ए.सी. को दी गई सहायता अनुदान की संपूर्ण राशि (2016-17 में ₹ 1.12 करोड़ तथा 2017-18 में ₹ 1.41 करोड़) हेतु उ.प्र.प. समर्पित किये गये हालाँकि ₹ 18.13 लाख व्यय नहीं किया गया और जे.एस.ए.सी. के व्यक्तिगत बही खाते में पड़ा था (अप्रैल 2018)।

उत्तर में निदेशक, जे.एस.ए.सी. ने कहा (जनवरी 2019) कि 2018-19 के दौरान ₹ 17.43 लाख व्यय किए गए और ₹ 0.70 लाख शेष बचे थे।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सिर्फ वास्तव में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित किया जाना चाहिए था।

3.5 दुर्विनियोजन, हानि इत्यादि संबंधी मामले का प्रतिवेदन

झारखण्ड वित्तीय नियमावली का नियम 31 प्रावधान करता है कि लोक धन, सरकारी राजस्व, भण्डार या अन्य सम्पत्ति की गबन या अन्य प्रकार से हानि को कार्यालय द्वारा उच्च प्राधिकारी, वित्त विभाग के साथ-साथ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड को अविलंब सूचित किया जाना चाहिये, तब भी जब ऐसी हानि के लिए उत्तरदायी पक्ष द्वारा इसकी भरपाई कर दी गयी हो। ऐसी सूचनाएँ यथाशीघ्र, जैसे ही संदेह उत्पन्न हो कि कोई हानि हुई है, समर्पित की जानी चाहिये; इसमें विलंब नहीं किया जाना चाहिये जब जाँच पड़ताल किये जा रहे हों।

लेखापरीक्षा माँगपत्र के बावजूद (24 अगस्त 2018), वित्त विभाग से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2019)।

तथापि, विगत वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा आग्रह के प्रत्युत्तर में, वित्त विभाग ने सूचना उपलब्ध कराने हेतु विभागों को निर्देश दिया था जिन्होंने आगे लेखापरीक्षा को सूचना उपलब्ध कराने के लिए निकासी व व्ययन पदाधिकारियों को अनुदेशित किया था। यह इंगित करता है कि वित्त विभाग के पास ऐसे मामलों के अनुश्रवण के लिये नियम 31 के अंतर्गत अपेक्षित कोई सूचना नहीं है। इस प्रकार, वित्त विभाग किसी भी समय में ऐसे मामलों की संख्या और इनकी स्थिति से अवगत नहीं है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को वित्तीय नियम 31 के आलोक में एक तंत्र विकसित करना चाहिए ताकि वो ऐसे मामलों का अनुश्रवण कर सके।

3.6 निधियों का आहरण और व्यक्तिगत बही खातों में रखा जाना

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 के अनुसार, कोषागार से धनराशि का आहरण नहीं किया जाना चाहिए यदि यह तत्काल भुगतान हेतु आवश्यक न हो।

2017-18 के वित्त लेखे और लेखे के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों के जमा के अंतर्गत लघु शीर्ष में वर्ष लेन देन से संबद्ध और अभिश्रव स्तरीय कंप्यूटरीकरण (वी.एल.सी.) आँकड़ों की समीक्षा से उद्घटित हुआ कि 31 मार्च 2018 तक राज्य सरकार के 19 विभागों के विभिन्न एजेंसियों द्वारा 177 व्यक्तिगत बही खाते संचालित किये गये।

2017-18 के दौरान, ₹ 9,488.40 करोड़ के आरंभिक शेष में ₹ 12,694.02 करोड़ जोड़ा गया फलस्वरूप व्यक्तिगत बही खातों में ₹ 22,182.42 करोड़ का संचय हुआ। अग्रतर, वर्ष के दौरान ₹ 8,979.76 करोड़ व्यय किया गया जिससे 2017-18 के अंत

में व्यक्तिगत बहीखातों में ₹ 13,202.66 करोड़ का शेष बचा रहा। व्यक्तिगत बहीखातों के शेषों के वर्षवार विवरण नीचे दिये गये हैं:

तालिका 3.8: व्यक्तिगत बही खातों में निधियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	अंत शेष
2014-15	2,597.50	5,155.09	4,422.64	3,329.95
2015-16	3,329.95	12,054.22	10,166.20	5,217.97
2016-17	5,217.97	8,406.87	4,136.44	9,488.40
2017-18	9,488.40	12,694.02	8,979.76	13,202.66

तालिका 3.8 से स्पष्ट है कि व्यक्तिगत बहीखातों में जहाँ प्रतिवर्ष एक बड़ी राशि जोड़ी गयी वहीं उन वर्षों में किया गया व्यय काफी कम था जिससे अंतशेष में तीक्ष्ण वृद्धि हुई।

आगे यह देखा गया कि 2017-18 के दौरान 19 विभागों ने व्यक्तिगत बही खातों में ₹ 3714.26 करोड़ की राशि रख छोड़ा था जिसमें ₹ 656.44 करोड़ मार्च 2018 में अंतरित की गई। इस प्रकार, ₹ 13,202.66 करोड़ की निधि सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण से परे समेकित निधि के बाहर सृजित की गई जो बजटीय नियंत्रण प्रणाली के प्रावधानों के विरुद्ध है। 2017-18 के दौरान राज्य सरकार के व्यय को भी ₹ 3,714.26 करोड़ तक ज्यादा बताया गया ।

जैप-आई.टी.⁷ के अभिलेखों की जाँच ने उद्घटित किया कि 31.03.2018 को उनके व्यक्तिगत बही खाते में शेष ₹ 83.37 करोड़ था। आगे यह पाया गया कि हालाँकि प्रति वर्ष व्यक्तिगत बही खाते में एक बड़ी राशि जोड़ी गयी, 2014-15 से 2017-18 के दौरान व्यय काफी कम था, परिणामतः व्यक्तिगत बही खाते में निधियाँ का संचय हुआ। एजेंसी के व्यक्तिगत बही खाते में शेषों के वर्षवार विवरण तालिका 3.9 में दिये गये हैं।

तालिका 3.9 : व्यक्तिगत बही खाते में निधियाँ (जैप-आई.टी.)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	1 अप्रैल को आरंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	31 मार्च को अंतशेष
2014-15	43.00	44.99	34.31	53.68
2015-16	53.68	98.63	49.75	102.56
2016-17	102.56	100.94	69.80	133.70
2017-18	133.70	30.51	80.84	83.37

व्यक्तिगत बही खाते में बिना खर्च के पड़ी राशि में, जिसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व न तो आवधिक समाशोधित किया गया और न ही समेकित निधि में अंतरित

⁷ झारखण्ड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

किया गया, दुरुपयोग, धोखाधड़ी और लोक निधियों के दुर्विनियोजन का जोखिम निहित होता है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सभी व्यक्तिगत बही खातों की समीक्षा तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन व्यक्तिगत बही खातों में पड़ी सभी अनावश्यक राशियाँ तत्काल समेकित निधि में जमा करायी जाती हैं। अग्रतर, वित्त विभाग को वित्तीय नियमावलियों में सन्निहित निर्देशों को दुहराने और सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विभागीय अधिकारियों जो नियमावलियों के अनुसरण में विफल रहते हैं के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है।

3.7 लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत दर्ज किया जाना

प्राप्तियों या व्यय को लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ" एवं "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत दर्ज करना अस्पष्ट माना जाता है क्योंकि ये शीर्ष उन योजनाओं, कार्यक्रमों आदि जिनसे राशियाँ संबंधित होती हैं, को स्पष्ट नहीं करते। ये लघु शीर्ष उन प्राप्तियों/व्यय को सामान्यतः समायोजित कर लेते हैं जिन्हें उपलब्ध कार्यक्रम लघु शीर्षों के अधीन या बजट तैयारी के चरण में उपलब्ध लेखाशीर्षों के अधीन गलत प्रावधानों के कारण वर्गीकृत नहीं किये जा सकते।

2017-18 के दौरान, 12 मुख्य शीर्षों में लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत ₹ 2,006.67 करोड़ दर्ज किये गये, जिसमें से छ मुख्य शीर्षों के अधीन ₹ 1966.54 करोड़ (इन शीर्षों में कुल ₹ 7221.87 करोड़ के व्यय का 27.23 प्रतिशत) के समग्र व्यय (प्रत्येक मामले में कुल व्यय के 10 प्रतिशत से अधिक) लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत दर्ज किए गए जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में वर्णित है।

इसी प्रकार, 49 मुख्य शीर्षों में लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ" के अंतर्गत ₹ 1,107.08 करोड़ दर्ज किये गए, जिनमें से 26 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत, ₹ 781.43 करोड़ (इन शीर्षों में कुल ₹ 1,467.47 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 53.25 प्रतिशत) की राजस्व प्राप्तियाँ (प्रत्येक मामलों में कुल प्राप्तियों के 40 प्रतिशत से ज्यादा) लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ" के अधीन वर्गीकृत किये गये। 11 मुख्य शीर्षों में समस्त प्राप्तियाँ इस बहुप्रयोज्य लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ" के अधीन वर्गीकृत किये गये जैसा कि **परिशिष्ट 3.5** में वर्णित है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के परामर्श से वर्तमान में लघुशीर्ष 800 के अधीन दर्शाये जा रहे सभी मदों की विस्तृत समीक्षा करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी ऐसी प्राप्तियाँ व व्यय भविष्य में उचित लेखा-शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किये जाएँ।

3.8 लेखाओं की शुद्धता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण अवयव

• प्रमुख उचंत लेखे के अंतर्गत बकाया शेष

उचंत शीर्ष का प्रचालन तब किया जाता है जब प्राप्तियों एवं भुगतानों के लेन-देन जिन्हें उनकी प्रकृति की सूचना के अभाव में अथवा अन्य कारणों से किसी अंतिम लेखाशीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता। ऐसे लेखाशीर्ष ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा अंतिम रूप से निष्पादित किये जाते हैं जब उनके अंतर्गत राशियाँ उनसे संबद्ध अंतिम लेखाशीर्षों में दर्ज कर लिये जाते हैं। वर्ष के अंत में अनिष्पादित रह गयी उचंत राशियाँ सरकार के उस वर्ष के प्राप्त और व्यय के सही प्रतिबिंब को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। राज्य के उचंत शेषों की स्थिति तालिका 3.10 में इंगित है।

तालिका 3.10 : उचंत शीर्ष (8658) के अंतर्गत शेषों की स्थिति

लघु शीर्ष के नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101 वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	19.10	0.00	46.06	24.77	70.90	45.38
निवल	डेबिट 19.10		डेबिट 21.29		डेबिट 25.52	
102 उचंत लेखा (सिविल)	6.72	5.76	160.19	11.59	196.54	17.27
निवल	डेबिट 0.96		डेबिट 148.60		डेबिट 179.27	

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2017-18

इन शीर्षों के अंतर्गत शेषों के निहितार्थ नीचे बताये गये हैं:

• भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.) उचंत

इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष उन भुगतानों को दर्शाते हैं जो केन्द्र सरकार विभागों के पी.ए.ओ. की ओर से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड द्वारा किए गए हैं, जिनकी वसूली किया जाना बाकी है। बकाया क्रेडिट शेष पी.ए.ओ. द्वारा राज्य सरकार की ओर से किये गए उन भुगतानों को दर्शाते हैं जिन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को प्रतिपूरित किया जाना है। इस शीर्ष के अंतर्गत निवल डेबिट शेष (₹ 25.52 करोड़) के समायोजन पर राज्य सरकार के रोकड़ शेष में वृद्धि होगी।

• उचंत लेखा (सिविल)

यह लघु शीर्ष प्राप्तियों को लेखांकित करने के लिए क्रेडिट एवं वहन किये गये व्यय के लिए डेबिट किया जाता है और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा सहायक दस्तावेजों की प्राप्ति पर निष्पादित किया जाता है। इस मद के निष्पादन पर रोकड़ शेष में कोई प्रभाव नहीं होता है।

3.9 राज्य के पुनर्गठन पर शेषों का संविभाजन

पूँजी अनुभाग (₹ 11,935.23 करोड़) और ऋण व अग्रिम (₹ 6,583.36 करोड़) के अंतर्गत शेष सहित लोक लेखा शीर्षों के अधीन ₹ 7,443.90 करोड़ की राशि का नवंबर 2000 में तत्कालीन बिहार राज्य के पुनर्गठन के लगभग दो दशकों के बाद भी उत्तरवर्ती बिहार और झारखंड राज्यों के बीच संविभाजन किया जाना बाकी था। झारखंड सरकार ने पेंशन दायित्वों के भुगतान के लिए बिहार सरकार द्वारा ₹ 4,502.02 करोड़ के दावे के विरुद्ध ₹ 936.82 करोड़ का भुगतान किया। राज्य सरकार ने बिहार सरकार के दावे को चुनौती देते हुए मई 2012 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया था जो अभी भी विचाराधीन है।

अग्रतर, 52 मदों की सूची तैयार की गयी जिसका उत्तरवर्ती राज्यों के बीच संविभाजन किया जाना बाकी है क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। विभिन्न लंबित अदालती मामलों की स्थिति प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के पास उपलब्ध नहीं है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जमा एवं अग्रिमों के अंतर्गत शेषों के संविभाजन को शीघ्र निबटाने की आवश्यकता है।

3.10 राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन

वर्ष 2011-12 के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कंडिका 2.4.4 (विगत वर्षों से संबंधित प्रावधानों से आधिक्य व्यय) पर लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) पहले ही चर्चा कर चुकी है तथा लो.ले.स. की अनुशंसा पर दिनांक 13.01.2014 को ₹ 8,120.63 करोड़ में से ₹ 8,120.12 करोड़ के प्रावधान से आधिक्य व्यय की राशि को विनियमित कर दिया गया। उस तिथि के बाद वर्ष 2017-18 तक प्रावधानों से किसी भी आधिक्य व्यय को विनियमित नहीं किया गया क्योंकि इस संबंध में लो.ले.स. द्वारा कोई अनुशंसा नहीं की गयी है।

3.11 राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

व्यय और राजस्व की गलत बुकिंग/लेखांकन का परिणाम राजस्व आधिक्य की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति के रूप में हुआ, जैसा कि प्रतिवेदन में विभिन्न स्थानों पर उल्लिखित है, तालिका 3.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.11: लेखापरीक्षा के अनुसार राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटा पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व आधिक्य पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव		बकाया दायित्वों पर प्रभाव
	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति	न्यूनोक्ति
निकाय/बोर्ड को श्रम सेस का हस्तांतरण न किया जाना	393.67	0.00	0.00	393.67	393.67
ऋणशोधन निधि का हस्तांतरण न किया जाना	334.13	0.00	0.00	334.13	334.13
ब्याज वाले आरक्षित निधि और जमा का क्रेडिट ना होना	102.49	0.00	0.00	102.49	102.49
प्रत्याभूति ऋणमुक्ति निधि में अंशदान न दिया जाना	0.79	0.00	0.00	0.79	0.79
कुल	831.08			831.08	831.08
निवल प्रभाव	₹ 831.08 की अत्योक्ति		₹ 831.08 की न्यूनोक्ति		

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2017-18

उपरोक्त के मद्देनजर, जैसा कि वित्त लेखे में अनुमानित हैं, राज्य का राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटा जो ₹ 1,803.96 करोड़ और ₹ 11,932.92 करोड़ हैं, राजस्व आधिक्य के ₹ 831.08 करोड़ की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे के ₹ 831.08 करोड़ की न्यूनोक्ति के कारण, वास्तव में क्रमशः ₹ 972.88 करोड़ और ₹ 12,764 करोड़ होगा जैसा कि तालिका 3.11 में दिया गया है। उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि राज्य के दायित्वों को ₹ 831.08 करोड़ तक कम दर्शाया गया है।

राँची
दिनांक:

(इंदु अग्रवाल)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक:

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1 भाग क
(सन्दर्भ: कंडिका - 1.1; पृष्ठ 2)

झारखण्ड का परिचय						
क. सामान्य आँकड़ा						
क्र.सं.	विवरण				आँकड़ा	
1	क्षेत्रफल				79,714 वर्ग कि.मी.	
2	जनसंख्या					
	क.	2001 के जनगणना के अनुसार			2.69 करोड़	
	ख.	2010-11			3.30 करोड़	
3	क.	जनसंख्या का घनत्व ¹ (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)			338 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	
	ख.	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)			414 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी.पी.एल.) ² (अखिल भारतीय औसत = 21.9%)				36.9 प्रतिशत	
5	क.	साक्षरता ³ (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.80%)			44 प्रतिशत	
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73%)			66.4 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्यु दर ⁴ 2016 (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय = 34 प्रति 1000 जीवित जन्म)				29	
7	मानव विकास सूचकांक ⁵					
	क.	1999-2000 (अखिल भारतीय = 0.387)			उपलब्ध नहीं	
	ख.	2007-2008 (अखिल भारतीय = 0.467)			0.376	
8	वर्ष 2011-12 को आधार मानते हुए वर्तमान मूल्य पर 2017-18 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)				₹ 2,55,271 करोड़	
9	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2008-09 से 2017-18)		झारखण्ड		11.1 प्रतिशत	
			सामान्य श्रेणी राज्य		13.1 प्रतिशत	
10	स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2008-09 से 2017-18) ⁶		झारखण्ड		12.6 प्रतिशत	
			सामान्य श्रेणी राज्य		14.5 प्रतिशत	
11	जनसंख्या वृद्धि ⁷ (2008-09 से 2017-18)		झारखण्ड		12.7 प्रतिशत	
			सामान्य श्रेणी राज्य		11.6 प्रतिशत	
ख. वित्तीय आँकड़ा ⁴						
क्र.सं.	विवरण		आँकड़े (प्रतिशत में)			
			2008-09 से 2016-17		2016-17 से 2017-18	
	सी.ए.जी.आर.		सामान्य श्रेणी राज्य	झारखण्ड	सामान्य श्रेणी राज्य	झारखण्ड
1	क	राजस्व प्राप्तियों का	15.1	17.21	11.3	12.12
2	ख	कर राजस्व का	14.9	17.13	12.2	(-)7.11
3	ग	गैर कर राजस्व का	9.5	13.43	5.9	46.65
4	घ	कुल व्यय का	15.8	16.97	4.7	13.04
5	ङ	पूँजीगत व्यय का	14.0	17.20	1.0	10.05
6	च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	14.5	13.31	6.2	(-)1.61
7	छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.2	16.83	10.7	29.52
8	ज	वेतन एवं मजदूरी का	13.4	10.74	8.9	25.70
9	झ	पेंशन का	16.2	19.60	22.9	43.00

¹ सेंसस इंडो इण्डिया 2011 अंतिम कुल जनसंख्या

² आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2017-18, (जनवरी 2018) भाग II, पृष्ठ ए 160-161

³ आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2017-18, (जनवरी 2018) भाग II, पृष्ठ ए 155

⁴ आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2017-18, (जनवरी 2018) भाग II, पृष्ठ ए 151

⁵ आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2017-18, (जनवरी 2018) भाग II, पृष्ठ ए 151

⁶ भारत एवं राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2001-2026 (दिसम्बर 2006 पुनरीक्षित) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या अनुमानन पर तकनीकी समूह का प्रतिवेदन तालिका-14 (1 अक्टूबर 2001-26 को लिंगवार अनुमानित कुल जनसंख्या)

⁷ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 28 जुलाई 2018 को जारी स.रा.घ.उ. विवरण में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा के संबंध में 2017-18 के स.रा.घ.उ. आँकड़े संबंधित प्रधान महालेखाकारों/महालेखाकारों से प्राप्त किये गये हैं।

परिशिष्ट 1.1 भाग ख
सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा
(संदर्भ : कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

सरकारी लेखाओं की संरचना: राज्य सरकार के लेखे तीन भाग में रखे जाते हैं (1) संचित निधि, (2) आकस्मिकता निधि और (3) लोक लेखा।	
भाग I : संचित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये सारे राजस्व, कोषागार विपत्र जारी कर लिए गये सारे ऋण, आंतरिक एवं वाह्य ऋण और ऋणों की वापसी में सरकार को मिली सभी तरह की राशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य सरकार की संचित निधि" नामक एक संचित निधि का निर्माण करेगी।	
भाग-II : आकस्मिकता निधि:- संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि एक इम्प्रेस्ट की तरह होती है जिससे अत्यावश्यक अनपेक्षित व्यय हेतु अग्रिम देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है जो विधान सभा से प्राधिकृत किये जाने के लिए लंबित होता है। ऐसे व्यय हेतु और संचित निधि से व्यय के समतुल्य राशि की निकासी हेतु विधान सभा का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है जिसके पश्चात आकस्मिकता निधि से दिये गये अग्रिम की राशि निधि में डालकर प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।	
भाग-III : लोक लेखा: कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उंचंत, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो संचित निधि का भाग नहीं होते, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत लोक लेखे में रखे जाते हैं और राज्य विधानमण्डल के द्वारा मत का विषय नहीं होते हैं।	
भाग ग: वित्त लेखे का अभिन्यास	
विवरणी	अभिन्यास
विवरणी सं. 1	वर्ष के अंत में सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों को दर्शाता है। ये परिसंपत्तियाँ व्यापक रूप से सरकार की भौतिक परिसंपत्तियों का उल्लेख करते हुए प्रगामी पूँजीगत व्यय के आँकड़ों सहित वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं। परिसंपत्तियाँ, लेखांकन नीति के अनुसार, ऐतिहासिक मूल्य पर दर्शायी जाती हैं।
विवरणी सं. 2	इसमें वर्ष के दौरान सरकार की कुल प्राप्तियाँ तथा व्यय, सभी तीन भागों अर्थात् संचित निधि, आकस्मिकता निधि व लोक लेखे जिसमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, को दर्शाती हुई संक्षिप्त विवरणी होती है।
विवरणी सं. 3	इस विवरणी में राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ और सरकार के भारत सरकार व अन्य संस्थानों से ऋण वाले उधार, बाजार ऋण तथा सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ सम्मिलित होती हैं।
विवरणी सं. 4	यह विवरणी कार्य (कार्यकलाप) अनुसार व्यय प्रस्तुत करती है और कार्यकलापों की प्रकृति (व्यय का प्रयोजन) के अनुसार व्यय को सारांशकृत भी करती है।
विवरणी सं. 5	यह कार्यवार प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है, जिसका सकल योग विवरण-1 में दर्शाया गया है।
विवरणी सं. 6	यह बाजार ऋण एवं भारत सरकार से ऋण व अग्रिम को मिलाकर सरकार के उधारों को प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ, 'अन्य दायित्व' जो लोक लेखाओं के विभिन्न क्षेत्रों में शेष हैं, जिसके लिए सरकार ट्रस्टी या अभिरक्षक के रूप में कार्य करती है भी दिये जाते हैं।
विवरणी सं. 7	यह सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों (क्षेत्र एवं ऋणी समूह के अनुसार) जैसा विवरणी-1 में चित्रित है तथा विवरणी संख्या 2, 3 एवं 4 में दिखायी गयी वसूलियाँ, संवितरणों को दर्शाता है।
विवरणी सं. 8	यह विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण के पुनर्भुगतान आदि हेतु सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों की सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.10	यह समूह-वार अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा व्यवस्थित, राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों को दर्शाता है। दिये गये अनुदानों पर एक टिप्पणी भी इसमें शामिल रहती है।
विवरणी सं.11	वर्ष के दौरान हुए भारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को इंगित करती है।
विवरणी सं.12	यह पूँजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे को छोड़कर) एवं व्यय हेतु निधि के स्रोत को दर्शाता है।
विवरणी सं.13	संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे से संबंधित शेष का सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.14	लघु शीर्षा द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.15	यह लघु शीर्षावार राजस्व व्यय के लेखाओं को योजना एवं गैर-योजना के अंतर्गत अलग-अलग दर्शाता है।
विवरणी सं.16	वर्ष 2017-18 के दौरान और इसके अंत में पूँजीगत व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं.17	यह लघु शीर्षावार उधारों एवं अन्य दायित्वों का विवरण तथा सभी ऋणों की वापसी व परिपक्वता की रूपरेखा को दर्शाता है।
विवरणी सं.18	झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान वापस की गयी ऋण की राशि, 31 मार्च 2018 के अधिशेष का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.19	वर्ष 2017-18 के अंत तक राज्य सरकार के सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों तथा सोसाइटियों आदि में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत ब्यौरा दर्शाती है।
विवरणी सं. 20	वैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियाँ, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण इत्यादि की वापसी के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटी का विवरण दिखाती है।
विवरणी सं. 21	आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के लेन-देन से संबंधित विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 22	आरक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विवरण प्रस्तुत करती है।

परिशिष्ट 1.2
वर्ष 2017-18 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार
(संदर्भ: कंडिका 1.1.1; पृष्ठ 2)

वर्ष 2017-18 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार									
प्राप्तियाँ				संवितरण					
2016-17		2017-18		2016-17		2017-18			
	भाग - क: राजस्व					स्थापना	राज्य एवं केंद्र योजना	कुल	
47053.93	I. राजस्व प्राप्तियाँ		52756.03	45089.03	I. राजस्व व्यय	27952.98	22999.09	50952.07	50952.07
13299.25	कर राजस्व		12353.44	13023.75	सामान्य सेवाएँ	16105.90	452.41	16558.33	
				18557.37	सामाजिक सेवाएँ	6834.83	12740.14	19574.97	
5351.41	कर-भिन्न राजस्व		7846.67	7977.83	शिक्षा, क्रीडा, कला एवं संस्कृति	4698.17	3267.57	7965.74	
				1967.69	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1021.13	1527.59	2548.72	
19141.92	संघीय करों में राज्य के हिस्से		21143.63	4103.9	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास	346.50	4337.27	4683.77	
1875.29	गैर-योजना अनुदान	वित्त आयोग अनुदान	1583.03	132.1	सूचना एवं प्रसारण	96.89	88.77	185.66	
6972.89	राज्य योजना हेतु अनुदान	राज्य को अन्य अनुदान	1844.02	1311.94	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	129.53	955.44	1084.97	
593.16	केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	7985.24	131.39	श्रम एवं श्रम कल्याण	60.61	50.29	110.90	
				2905.36	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	450.40	2513.21	2963.61	
				27.16	अन्य	31.60	0.00	31.60	
				13507.91	आर्थिक सेवाएँ	5012.23	9806.54	14818.77	
				2206.18	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	581.85	1435.00	2016.85	
				7246.95	ग्रामीण विकास	583.29	5461.58	6044.87	
				0.00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	
				322.76	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	387.23	10.96	398.19	
				1754.63	ऊर्जा	3004.06	1526.06	4530.12	
				316.89	उद्योग एवं खनिज	64.67	200.16	264.83	
				445.59	परिवहन	288.97	241.96	530.93	
				0.00	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	0.00	0.00	0.00	
				1214.91	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	102.16	930.82	1032.98	
				0.00	सहायता अनुदान एवं अंशदान	0.00	0.00	0.00	
				45089.03	कुल	27953.00	22999.10	50952.07	
0.00	II. खण्ड-ख में ले		0.00	1964.90	II. राजस्व				1803.96

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष 2017-18 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार										
प्राप्तियाँ				संवितरण						
2016-17		2017-18		2016-17		2017-18				
	जाया गया राजस्व घाटा				आधिक्य खण्ड ख					
47053.93	कुल		52756.03	47053.93	कुल					52756.03
खण्ड ख										
1904.72	III. आरंभिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित		1947.85	0.00	III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरंभिक ओवरड्राफ्ट					0.00
	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		25.09	10860.68	IV. पूँजीगत परिव्यय	69.14	11883.60	11952.71	11952.71	
				589.61	सामान्य सेवाएँ	68.81	738.30	807.11		
				1532.02	सामाजिक सेवाएँ	0.33	1527.74	1528.07		
				253.50	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	0.00	360.27	360.27		
				511.55	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.00	309.49	309.49		
				354.72	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	0.33	531.87	532.20		
				8.85	सूचना एवं प्रसारण	0.00	10.90	10.90		
				264.04	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	0.00	265.29	265.29		
				116.96	सामाजिक कल्याण एवं पोषण	0.00	16.53	16.53		
				22.40	अन्य	0.00	33.39	33.39		
				8739.05	आर्थिक सेवाएँ	0.00	9617.53	9617.53		
				569.31	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	0.00	607.33	607.33		
				2074.57	ग्रामीण विकास	0.00	2092.79	2092.79		
				0.00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00		
				1510.91	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.00	1689.15	1689.15		
				0.00	ऊर्जा	0.00	0.00	0.00		
				5.00	उद्योग और खनिज	0.00	15.50	15.50		
				4504.99	परिवहन	0.00	5141.76	5141.76		

वर्ष 2017-18 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार									
प्राप्तियाँ					संवितरण				
2016-17		2017-18		2016-17		2017-18			
				74.27	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0.00	71.00	71.00	
38.46	V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	42.41	42.41	1335.06	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	88.80	1762.87	1851.67	1851.67
0.00	ऊर्जा परियोजनाओं से	0.00		1228.51	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु	0.00	1760.67	1760.67	
37.20	सरकारी सेवकों से	40.89		52.46	सरकारी सेवकों को	55.59	0.00	55.59	
1.26	अन्य से	1.52		54.09	अन्य को	33.21	2.20	35.41	
1964.89	VI. नीचे लाया गया राजस्व आधिक्य		1803.96	0	VI. नीचे लाया गया राजस्व घाटा	0.00	0.00	0.00	0.00
7081.42	VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ		8136.85	2077.88	VII. लोक ऋण की वापसी				2949.50
0	वाह्य ऋण	0.00	0.00	0.00	वाह्य ऋण				
6847.13	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण		7905.24	1920.39	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण			2788.46	
0.00	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत लेनदेन		0.00	0.00	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत लेनदेन			0.00	
0.00	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन		0.00	0.00	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन			0.00	
234.29	केंद्र सरकार से ऋण व अग्रिम		231.61	157.49	केंद्र सरकार को ऋण व अग्रिम की वापसी			161.04	
	VIII. आकस्मिकता निधि से विनियोग		0.00	0.00	VIII. आकस्मिकता निधि से विनियोग				
	IX. आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि		0.00	0.00	IX. आकस्मिकता निधि से व्यय				
22051.80	X. लोक लेखा प्राप्तियाँ		27833.30	16819.82	X. लोक लेखा संवितरण				22885.14
872.60	छोटे बचत एवं भविष्य निधि		1016.43	994.11	छोटे बचत एवं भविष्य निधि			949.91	
452.88	रक्षित निधि		401.00	70.13	रक्षित निधि			109.17	
300.58	उचंचत एवं विविध		-163.21	330.96	उचंचत एवं विविध			61.00	
9280.63	प्रेषण		10558.88	9310.76	प्रेषण			10466.40	
11145.11	जमा एवं अग्रिम		16020.20	6113.86	जमा एवं अग्रिम			11298.66	

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष 2017-18 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार									
प्राप्तियाँ					संवितरण				
2016-17		2017-18		2016-17		2017-18			
0.00	अंतर्राज्यीय समायोजन		0.00	0.00	अंतर्राज्यीय समायोजन			0.00	
0.00	XI. भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का अंत शेष			1947.85	XI. वर्ष के अंत में रोकड़ शेष			150.44	150.44
				0.00	कोषागार में नकद और स्थानीय प्रेषण			0.00	
				502.26	रिजर्व बैंक में जमा			-242.16	
				6.50	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष			38.04	
				0.00	चिन्हित निधि का निवेश			0.00	
				1439.09	रोकड़ शेष का निवेश			354.56	
80095.22	कुल		92545.49	80095.22	कुल				92545.49

परिशिष्ट 1.3

राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े
(संदर्भ: कंडिका 1.3 व 1.9.2; पृष्ठ 8 एवं 34)

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
भाग - क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	26137(85)	31565(83)	40638(75)	47054(87)	52756(87)
(i) कर राजस्व	9380(36)	10350(33)	11478(28)	13299(28)	12353(23)
वस्तु एवं सेवाएँ कर	-	-	-	-	4124(34)
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	7305(78)	8070(78)	8999(78)	10549(80)	5715(46)
राज्य उत्पाद	628(7)	740(7)	912(8)	962(7)	841(7)
वाहनों पर कर	495(5)	660(6)	633(6)	682(5)	779(6)
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	502(5)	531(5)	532(5)	607(5)	469(4)
भू-राजस्व	230(3)	84(1)	164(1)	240(2)	156(1)
माल एवं यात्रियों पर कर	1(0)	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)
अन्य कर	219(2)	264(3)	237(2)	259(2)	270(2)
(ii) कर भिन्न राजस्व	3753(14)	4335(14)	5853(14)	5351(11)	7847(15)
(iii) संचयी करों एवं शुल्कों में राज्यांश	8939(34)	9487(30)	15969(39)	191142(41)	21144(40)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	4065(16)	7393(23)	7338(18)	9262(20)	11412(22)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	25
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	23	33	31	38	42
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	26160	31598	40669	47092	52824
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	4703(15)	6690(17)	13245(25)	7081(13)	8137(13)
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	4597	6537	13080	6847	7905
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	316	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	106	153	165	234	231.61
6. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	30863	38288	53914	54174	60960
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	14275	20189	29037	22052	27833
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	45138	58477	82951	76225	88794
भाग - ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	23472(82)	31795(83)	36553(70)	45088(79)	50952(79)
योजना/राज्य योजनाएँ, के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश, केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	6288(27)	12436(39)	15793(43)	22193(49)	22999(45)
गैर योजना/स्थापना	17184(73)	19359(61)	20760(57)	22895(51)	27953(55)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	9960(42)	10624(33)	12002(33)	13024(29)	16558(32)
सामाजिक सेवाएँ	8215(35)	11915(37)	14844(41)	18557(41)	19575(39)
आर्थिक सेवाएँ	5297(23)	9256(29)	9707(26)	13507(30)	14819(29)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11. पूँजीगत व्यय	4722(17)	5543(15)	8159(16)	10861(19)	11953(18)
योजना/राज्य योजनाएँ, के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश, केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	4706(100)	5520(100)	8087(99)	10814(99)	11884(99)

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

गैर योजना/स्थापना	16(0)	23(0)	72(1)	47(1)	69(1)
सामान्य सेवाएँ	168(3)	326(6)	571(7)	590(6)	807(7)
सामाजिक सेवाएँ	924(20)	910(16)	1024(13)	1532(14)	1528(13)
आर्थिक सेवाएँ	3630(77)	4307(78)	6564(80)	8739(80)	9618(80)
12. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	222(1)	824(2)	7480⁸(14)	1335(2)	1852(3)
13. कुल व्यय(10+11+12)	28416	38162	52192	57284	64756
14. लोक ऋण पुनर्भुगतान	1997	1880	2246	2078	2950
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	1542(77)	1722(92)	2079(93)	1920(92)	2788(95)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	316(16)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	139(7)	158(8)	167(7)	158(8)	161(5)
15. आकस्मिकता निधि से विनियोजन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16. संचित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	30413	40042	54438	59362	67706
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18. लोक लेखा संवितरण	14094	19277	27053	16820	22885
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	44507	59319	81491	75851	90591
भाग - ग. घाटे					
20. राजस्व घाटा(-)/राजस्व आधिक्य(+) (1-10)	2665	-230	4085	1966	1804
21. राजकोषीय घाटा(-)/राजकोषीय आधिक्य(+) (4-13)	-2256	-6564	-11523⁹	-10192	-11933
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य(+) (21-23)	358	-3635	-8203	-6020	-7271
भाग-घ. अन्य आँकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सन्निहित)	2614	2929	3320	4172	4662
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	6422	12404	14891	20332	20714
25. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवरड्राफ्ट(दिन)	8	शून्य	शून्य	3	7
उपमुक्त अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	8	शून्य	शून्य	3	7
उपमुक्त ओवरड्राफ्ट (दिन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	0.21	शून्य	शून्य	शून्य	0.21
27. (क) वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)[@]	188567	218525	206613	235560	255271
27. (ख) स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)[@]	165816	186534	174881	194475	203358

⁸ उदय बॉण्ड पर राज्य की उधार राशियों से दिये गये ₹ 5,553 करोड़ की राशि का ऋण सम्मिलित है।

⁹ यदि उदय बॉण्ड के उधारों से बिजली कंपनियों को दिये गये ऋण को राजकोषीय घाटे की गणना हेतु विचार न किया जाये, जैसा कि त्रिपक्षीय समझौते के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया तो राजकोषीय घाटे की राशि कम हो जायेगी।

28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत में)	37594	43569	56530	66827	77095
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	शून्य	शून्य	157	157	157
30. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत में)	शून्य	शून्य	157	157	157
31. अपूर्ण योजनाओं की संख्या (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक)	328	402	195	280	113
32. अपूर्ण योजनाओं में अवरूढ़ पूँजी	760	1824	2089	4778	1403
भाग - ड. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	4.97	4.74	5.56	5.65	4.84
स्वयं के कर राजस्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	5.66	5.55	6.56	6.84	6.07
स्वयं के कर-भिन्न राजस्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	2.00	2.00	2.80	2.30	3.10
स्वयं के कर-भिन्न राजस्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	2.26	2.32	3.35	2.75	3.86
केंद्रीय अंतरण/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	4.74	4.34	7.73	8.17	8.28
केंद्रीय अंतरण/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	2.45	3.96	4.20	4.76	5.61
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	15.07	17.46	25.26	24.32	25.37
कुल व्यय/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	17.14	20.46	29.84	29.46	31.84
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	108.70	120.90	128.40	121.70	122.70
राजस्व व्यय/कुल व्यय	82.60	83.30	70.00	78.70	78.70
सामाजिक सेवाओं पर व्यय (ऋ.व अ. सहित)/कुल व्यय	32.20	33.70	30.50	35.20	32.60
आर्थिक सेवाओं पर व्यय (ऋ.व अ. सहित)/कुल व्यय	32.10	37.60	45.30	41.00	40.50
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	16.60	14.50	15.60	19.00	18.50
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	16.00	13.70	14.50	17.90	17.20
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	1.41	-0.11	1.98	0.83	0.71
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	1.61	-0.12	2.34	1.01	0.89
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-1.20	-3.00	-5.58	-4.33	-4.67
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-1.36	-3.52	-6.59	-5.24	-5.87
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	0.19	-1.66	-3.97	-2.56	-2.85

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	0.22	-1.95	-4.69	-3.10	-3.58
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	118.10	-3.50	-35.50	-19.30	-15.10
प्राथमिक राजस्व संतुलन/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	0.19	-1.66	-3.97	-2.56	-2.85
प्राथमिक राजस्व संतुलन/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	0.22	-1.95	-4.69	-3.10	-3.58
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	19.94	19.94	27.36	28.37	30.20
राजकोषीय दायित्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	22.67	23.36	32.32	34.36	37.91
राजकोषीय दायित्व/रा.प्रा.	143.8	138.03	139.10	142.00	146.10
प्रमात्रा विस्तार के संदर्भ में प्राथमिक घाटा	605	-376	-13468	-1924	-6009
ऋण निर्मोचन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
निवेश पर आय	18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	6208	6593	14226	16773	उपलब्ध नहीं
वित्तीय परिसम्पत्ति/दायित्व	100	103	109	111	111
सामान्य सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सामाजिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	20	20	43	47	31.7
आर्थिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	189	787	7388	1236	1764.4
परिसंपत्तियाँ			57153	67419	77635
दायित्व			62291	74522	86542

टिप्पणी: दूसरे अवयवों से तुलना के दौरान घाटा को (-) एवं आधिक्य को (+) के रूप में दिखाया गया है।

@ आँकड़े सी.एस.ओ. से प्राप्त किये गये ।

(http://mospi.nic.in/Mospi_New/site/inner.asp?statis=3&menu_id=82).

परिशिष्ट 1.4 भाग क
74^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार स्थानीय नगर निकायों के कार्यों का विवरण
(संदर्भ: कडिका 1.6.5.1; पृष्ठ 25)

क्र.सं.	कार्यों का विवरण
1	नगर योजना सहित शहरी नियोजन
2	भू-प्रयोग एवं आवासों के निर्माण का विनियमन
3	आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना निर्माण
4	सड़कें व पुल
5	घरेलू, औद्योगिक एवं व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु जल आपूर्ति
6	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण एवं ठोस कचरा प्रबंधन
7	अग्निशमन सेवा
8	नगर वानिकी, वातावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकीय पहलुओं का संवर्धन
9	शारीरिक एवं मानसिक विकलांगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण
10	मलिन बस्ती सुधार एवं उन्नयन
11	शहरी निर्धनता उन्मूलन
12	शहरी सुख सुविधाओं एवं सहूलियतों यथा पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों का प्रावधान
13	सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं कलात्मक पहलुओं का संवर्धन
14	कब्र एवं कब्रगाह; दाह संस्कार, श्मशान घाट तथा विद्युत शवदाह गृह
15	मवेशी तालाब, पशुओं पर क्रूरता का रोकथाम
16	जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण सांख्यिकी
17	स्ट्रीट लाइट, पार्किंग स्थल, बस पड़ाव व जन सुविधाओं सहित लोक सुविधाएँ
18	बूचड़खानों एवं चमड़ा-घरों का विनियमन

परिशिष्ट 1.4 भाग ख

73^{वाँ} संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार पंचायती राज संस्थानों के कार्यकलापों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 1.6.5.2; पृष्ठ 26)

क्र.सं.	कार्यकलाप का विवरण	हस्तांतरण की स्थिति
1	कृषि विस्तारण सहित कृषि	आंशिक
2	भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भू-समेकन एवं मृदा संरक्षण	नहीं
3	लघु-सिंचाई, जल प्रबंधन एवं आच्छादन विकास	हाँ
4	पशुपालन, डेयरी एवं मुर्गीपालन	आंशिक
5	मत्स्य पालन	हाँ
6	सामाजिक वानिकी एवं फार्म वानिकी	नहीं
7	लघु वन उत्पाद	नहीं
8	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित लघु उद्योग	आंशिक
9	खादी ग्राम व कुटीर उद्योग	हाँ
10	ग्रामीण आवास	नहीं
11	पेयजल	हाँ
12	ईंधन एवं चारा	नहीं
13	सड़क, पुलिया, पुल, नौका जलमार्ग एवं यातायात के अन्य साधन	नहीं
14	बिजली वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण	नहीं
15	गैर-परंपरागत उर्जा स्रोत	नहीं
16	निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम	आंशिक
17	प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय समेत शिक्षा	हाँ
18	तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा	नहीं
19	वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा	हाँ
20	पुस्तकालय	नहीं
21	सांस्कृतिक क्रियाकलाप	नहीं
22	बाजार एवं मेले	नहीं
23	अस्पतालों, औषधालयों वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ
24	परिवार कल्याण	हाँ
25	महिला एवं बाल कल्याण	हाँ
26	विकलांगों एवं मंदबुद्धि कल्याण सहित सामाजिक कल्याण	हाँ
27	कमजोर वर्ग विशेषकर अ.जा. एवं अ.ज.जा. का कल्याण	नहीं
28	जन वितरण प्रणाली	हाँ
29	सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव	आंशिक

परिशिष्ट 1.5

31 मार्च 2018 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति
(संदर्भ: कंडिका 1.9.1; पृष्ठ 33)

(₹ करोड़ में)

31.03.2017 को	दायित्व	31.03.2018 को
48682.31	आंतरिक ऋण	53799.09
28280.21	ब्याज वाले बाजार ऋण	33087.68
0.07	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.07
6.30	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	6.30
10566.90	अन्य संस्थाओं से ऋण	11622.17
0.00	अर्थोपाय अग्रिम	0.00
9828.83	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	9082.87
0.00	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	0.00
2162.28	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2232.86
0.00	1984-85 के पूर्व के ऋण	0.00
19.37	गैर योजना ऋण	17.57
2142.91	राज्य योजनागत योजना हेतु ऋण	2215.29
500	आकस्मिकता निधि	500
1075.67	लघु बचत भविष्य निधि आदि	1142.18
13647.49	जमा	18369.87
1259.21	रक्षित निधि	1551.04
0.00	अंतरण शेष	39.68
92.07	उचंत एवं विविध शेष	0.00
7103.25	व्यय से अधिक संचित आधिक्य की प्राप्ति	8907.21
74522.28	कुल	86541.93
	परिसम्पत्तियाँ	
55033.98	अचल संपत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	66961.60
183.11	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयर में निवेश	275.15
54850.87	अन्य पूँजीगत परिव्यय	66686.45
0.00	अन्तर्राज्यीय समायोजन	0.00
17482.71	ऋण एवं अग्रिम	19291.97
16683.53	ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण	18444.20
789.48	अन्य विकास ऋण	823.36
9.7	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अन्य ऋण	24.41
4.94	अग्रिम	5.78
0.00	उचंत एवं विविध शेष	132.14
1947.85	नकद	150.44
0.00	कोषागार में नकद एवं स्थानीय प्रेषण	0.00
502.26	रिजर्व बैंक में जमा	-242.16
0.00	जमा निधि का निवेश	0.00
6.5	विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित	38.04
1439.09	नकद शेष निवेश	354.56
52.80	प्रेषण शेष	0.00
0.00	सरकारी लेखे में घाटा	0.00

	(i) वर्तमान वर्ष का राजस्व घाटा/आधिक्य		
	(ii) विविध घाटा		
	वर्ष के आरंभ में संचित घाटा/आधिक्य		
74522.28	कुल		86541.93

परिशिष्ट 1.2, 1.3 एवं 1.5 से संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पणी

उक्त विवरणियों में दिये गये संक्षिप्त लेखे वित्त लेखे की टिप्पणियों व व्याख्याओं के साथ पठित हैं। सरकारी लेखे जो मुख्यतः नकद आधारित हैं, सरकारी लेखा में घाटा, जैसा कि **परिशिष्ट 1.5** में दर्शाया गया है, स्थिति को वाणिज्यिक लेखांकन के उपार्जन आधार के विपरीत नकद आधार पर इंगित करता है। अतएव, भुगतये या प्राप्य मद अथवा हास या भंडार आँकड़ों में विचलन आदि, जैसे मद लेखाओं में अंकित नहीं किये जाते हैं। उचंत व विविध शेषों में निर्गत मगर भुगतान नहीं हुए चेक, राज्य की ओर से किये गये भुगतान और अन्य लंबित समायोजन इत्यादि सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट 1.6

राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत कार्यप्रणाली
(संदर्भ: कडिका 1.10.2; पृष्ठ 36)

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा विहित वित्तीय परिवर्तनीय मानदंडों/सीमाओं एवं इसके साथ चयनित राजकोषीय समुच्चय और राज्य सरकारों द्वारा निर्मित राजकोषीय जवाबदेही अधिनियम एवं आवश्यक विवरण जिसे अधिनियम के अधीन विधान मंडल में प्रस्तुत किया जाना है, को मुख्य राजकोषीय योगों की प्रवृत्ति एवं नमूना के गुणात्मक निर्धारण हेतु उपयोग में लाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य अर्थव्यवस्था के अच्छे संकेतक मानते हुए, वर्तमान बाजार मूल्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मुख्य राजकोषीय योगों जैसे कर और कर-भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूँजीकृत व्यय, आन्तरिक ऋण और राजस्व और राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। सुसंगत राजकोषीय चरों का उत्प्लावकता गुणक को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिससे साधनों का जुटान, व्यय का पैटर्न आदि की गणना की जा सके साथ ही आधार एवं राजकोषीय योगों, सकल राज्य घरेलू उत्पाद को छोड़कर, में अन्य कारणों से परिवर्तन के साथ चला जा सके।

शब्दावली	गणना का आधार
वृद्धि की दर (वृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि}) - 1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ + आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान} / [(\text{पिछले वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि} + \text{वर्तमान वर्ष के राजकोषीय दायित्व})] * 100$
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण स्टॉक * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों का प्राप्त ब्याज प्रतिशत के रूप में	$\text{प्राप्त ब्याज} [(\text{ऋण एवं अग्रिम का आरंभिक शेष} + \text{अंत शेष})] * 100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्ति - विविध पूँजीगत प्राप्ति
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्ति - घाटा सभी योजना अनुदान और गैर-योजना राजस्व व्यय, मुख्य शीर्ष '2048-ऋण के वर्जना या कमी हेतु विनियोजन' के अधीन अंकित व्यय को छोड़कर
संसाधन अंतराल	वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्ति - घाटा वृद्धिशील प्राथमिक राजस्व व्यय + वृद्धिशील ब्याज प्राप्ति

परिशिष्ट 2.1

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहाँ प्रत्येक मामले में बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत या उससे अधिक रहा
(संदर्भ: कडिका 2.4.1; पृष्ठ 45)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	बचत	
				राशि	कुल प्रवधान से बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
राजस्व दत्तमत					
1	1	कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	1,550.39	711.47	45.89
2	2	कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	375.42	159.93	42.60
3	3	भवन निर्माण विभाग	147.89	47.12	31.86
4	9	कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	216.04	61.70	28.56
5	12	योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	83.77	40.70	48.58
6	18	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1,346.34	428.72	31.84
7	20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	3,519.16	981.45	27.89
8	23	उद्योग विभाग	466.96	233.69	50.04
9	26	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	241.70	108.09	44.72
10	27	विधि विभाग	415.05	119.29	28.74
11	29	खान एवं भूतत्व विभाग	115.73	79.35	68.56
12	39	गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	792.92	269.69	34.01
13	41	सड़क निर्माण विभाग	551.66	260.47	47.22
14	42	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	5,575.70	2,233.57	40.06
15	43	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रभाग)	421.43	109.39	25.96
16	45	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	192.41	119.61	62.17
17	51	कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	1,869.73	780.02	41.72
18	52	पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	90.71	20.89	23.03
19	53	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	75.54	18.32	24.26
20	54	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	308.98	133.51	43.21
21	58	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	1,747.35	590.63	33.80
22	59	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	7,032.03	1,704.08	24.23
23	60	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	3,342.46	819.30	24.81
राजस्व भारित					
24	14	ऋणों का पुनर्भुगतान	230.00	230.00	100.00
पूँजीगत					
25	2	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	26.00	16.90	64.98
26	8	परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	111.11	22.84	20.56
27	12	योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	117.93	62.34	52.86
28	18	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	80.00	53.46	66.83
29	20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	525.00	215.51	41.05
30	26	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	79.43	44.81	56.42
31	30	कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	116.01	49.64	42.79
32	36	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	456.35	124.09	27.19
33	43	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रभाग)	440.78	111.81	25.37

34	45	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	22.00	20.54	93.37
35	47	परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	31.13	14.56	46.76
36	49	जल संसाधन विभाग	1,911.06	681.00	35.63
37	50	जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	667.48	208.39	31.22
38	51	कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	366.44	167.53	45.71
39	53	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	64.00	20.19	31.54
40	57	नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग)	42.00	40.00	95.24
41	58	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	23.00	22.57	98.13
42	59	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ शिक्षा प्रभाग)	25.00	25.00	100.00
43	60	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	64.00	47.47	74.17
कुल (राजस्व + पूँजीगत)			35,878.09	12,209.64	34.03

परिशिष्ट 2.2

उपशीर्षवार विवरण जहाँ वर्ष 2017-18 के दौरान ठोस बचत (₹ 20 करोड़ व अधिक) हुआ
(संदर्भ: कंडिका: 2.4.1; पृष्ठ 45)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत की राशि	विनियोग लेखाओं के अनुसार विभागों द्वारा प्रस्तुत कारण
1		2401-00-796-AF	86.40	86.18	कारण नहीं बताये गये हैं।
2	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-796-AF	57.60	50.98	कारण नहीं बताये गये हैं।
3		2401-00-800-AF	43.20	41.80	कारण नहीं बताये गये हैं।
4		2401-00-800-AF	28.80	28.54	कारण नहीं बताये गये हैं।
5		2401-00-796-B3	24.00	24.00	निधि के उपयोग की असंभाव्यता
6		2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	2403-00-103-88	28.28	28.28
7	10-ऊर्जा विभाग	2801-06-800-01	50.00	50.00	संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया जाना
8	13-ब्याज भुगतान	2049-01-200-02	400.00	80.69	कारण नहीं बताये गये हैं।
9		2049-01-200-11	70.00	24.40	कारण नहीं बताये गये हैं।
10	14- ऋणों की वापसी	6003-00-109-01	110.00	30.28	कारण नहीं बताये गये हैं।
11	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-796-39	276.36	47.75	कारण नहीं बताये गये हैं।
12		3456-00-796-39	59.81	38.34	
13	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-03-103-03	133.79	42.57	कारण नहीं बताये गये हैं।
14		2210-01-102-54	89.00	89.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
15		2210-01-103-45	30.68	30.68	कारण नहीं बताये गये हैं।
16		2210-01-103-56	37.00	37.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
17		2210-01-109-40	29.95	29.95	कारण नहीं बताये गये हैं।
18		2210-01-110-57	30.00	30.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
19		2210-01-789-54	85.00	85.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
20		2210-01-796-54	80.00	80.00	योजना कार्यान्वित नहीं हुआ।
21		4210-01-796-35	20.00	20.00	निधि की माँग नहीं की गयी।
22	21- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	2202-03-102-62	40.00	22.24	निधि की माँग नहीं की गयी।
23	22- गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-110-01	251.57	47.00	सूचित नहीं किया गया।
24		4055-00-207-45	32.88	25.25	सूचित नहीं किया गया।
25		4055-00-207-77	100.00	20.00	सूचित नहीं किया गया।
26	23-उद्योग विभाग	2852-80-102-81	30.00	27.00	निधि का कम आहरण।
27	26- श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	4250-00-796-01	30.00	22.62	माँग नहीं किया गया।
28	39- गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2245-02-113-02	35.00	30.20	आवंटित निधि व्यय नहीं किया गया।
29		2245-80-102-01	30.00	21.38	आवंटित निधि व्यय नहीं किया गया।
30		2245- 80-102-02	40.93	39.82	आवंटित निधि व्यय नहीं किया गया।
31		2245-01-101-02	30.00	30.00	आवंटित निधि व्यय नहीं किया गया।

32		2245-01-101-06	20.00	20.00	आवंटित निधि व्यय नहीं किया गया।
33		2245-01-282-01	20.00	20.00	आवंटित निधि व्यय नहीं किया गया।
34	41- सड़क निर्माण विभाग	5054-03-337-02	106.00	45.69	कारण नहीं बताये गये हैं।
35		2501-06-101-05	146.40	37.18	कारण नहीं बताये गये हैं।
36		2501-06-796-05	107.56	43.04	कारण नहीं बताये गये हैं।
37	42-ग्रामीण विकास विभाग	2501-06-796-05	71.71	27.23	कारण नहीं बताये गये हैं।
38	(ग्रामीण विकास प्रभाग)	2505-01-702-02	628.28	149.24	कारण नहीं बताये गये हैं।
39		2505-02-101-04	979.21	811.69	कारण नहीं बताये गये हैं।
40		2505-02-101-04	102.00	50.87	कारण नहीं बताये गये हैं।
41	42-ग्रामीण विकास विभाग	2505-02-789-04	299.76	248.48	कारण नहीं बताये गये हैं।
42	(ग्रामीण विकास प्रभाग)	2505-02-796-04	719.42	596.34	कारण नहीं बताये गये हैं।
43		2505-02-101-04	25.42	25.42	कारण नहीं बताये गये हैं।
44	43-उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रभाग)	4202-02-105-75	99.16	99.09	कारण नहीं बताये गये हैं।
45		4202-02-796-75	34.84	34.84	कारण नहीं बताये गये हैं।
46	45- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	2203-00-001-A8	50.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
47		2203-00-796-A8	65.00	22.53	कारण नहीं बताये गये हैं।
48		2217-80-191-76	65.00	22.25	कारण नहीं बताये गये हैं।
49	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2217-80-191-76	65.00	33.52	कारण नहीं बताये गये हैं।
50		2217-80-191-81	136.09	40.18	कारण नहीं बताये गये हैं।
51		2217-80-191-83	57.60	57.60	कारण नहीं बताये गये हैं।
52		2217-80-192-84	20.24	20.24	कारण नहीं बताये गये हैं।
53	49-जल संसाधन विभाग	4700-80-796-13	204.00	40.05	कारण नहीं बताये गये हैं।
54		4701-80-796-54	143.05	31.81	कारण नहीं बताये गये हैं।
55	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	4702-00-101-20	89.00	31.65	कारण नहीं बताये गये हैं।
56		4702-00-796-18	227.83	31.17	कारण नहीं बताये गये हैं।
57		4702-00-796-20	110.00	60.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
58	51- कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2225-01-789-59	53.00	37.29	कारण नहीं बताये गये हैं।
59		2225-02-796-59	106.00	37.72	कारण नहीं बताये गये हैं।
60		2225-02-796-61	40.00	23.09	कारण नहीं बताये गये हैं।
61		2225-03-796-23	124.00	58.39	कारण नहीं बताये गये हैं।
62	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	2404-00-102-05	43.00	32.82	कारण नहीं बताये गये हैं।
63	55-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2515-00-001-28	200.00	78.05	कारण नहीं बताये गये हैं।
64		4515-00-789-04	112.50	70.82	कारण नहीं बताये गये हैं।
65	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2515-00-001-03	160.46	20.95	कारण नहीं बताये गये हैं।
66		2515-00-001-54	38.00	22.79	कारण नहीं बताये गये हैं।
67		2515-00-198-45	252.75	146.04	कारण नहीं बताये गये हैं।
68	58-स्कूली शिक्षा एवं	2202-02-109-01	587.54	266.78	कारण नहीं बताये गये हैं।

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

69	साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2202-05-200-04	49.82	45.99	कारण नहीं बताये गये हैं।
70		2202-01-102-02	181.09	25.81	कारण नहीं बताये गये हैं।
71		2202-01-111-25	508.80	171.73	कारण नहीं बताये गये हैं।
72		2202-01-789-25	115.20	28.36	कारण नहीं बताये गये हैं।
73	59-स्कूली शिक्षा एवं	2202-01-796-25	336.00	169.96	कारण नहीं बताये गये हैं।
74	साक्षरता विभाग (प्राथमिक	2202-01-101-59	42.00	42.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
75	एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	2202-01-101-57	220.74	220.74	कारण नहीं बताये गये हैं।
76		2202-01-789-57	93.50	93.50	कारण नहीं बताये गये हैं।
77		2202-01-796-57	236.50	236.50	कारण नहीं बताये गये हैं।
78		2202-01-796-59	45.15	45.15	कारण नहीं बताये गये हैं।
79		2235-02-102-97	70.00	21.92	कारण नहीं बताये गये हैं।
80	60- महिला, बाल विकास	2235-02-796-97	70.00	21.36	कारण नहीं बताये गये हैं।
81	एवं सामाजिक सुरक्षा	2236-02-101-02	147.60	24.69	कारण नहीं बताये गये हैं।
82	विभाग	2236-02-796-02	172.80	69.69	कारण नहीं बताये गये हैं।
83		2236-02-796-02	172.80	90.62	कारण नहीं बताये गये हैं।
			11,162.07	5,983.83	

परिशिष्ट 2.3

₹ 1.00 करोड़ व अधिक की बचत जो प्रत्यर्पित नहीं किये गये का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 2.4.2; पृष्ठ 45)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या व नाम	बचत	प्रत्यर्पण	अभ्यर्पित नहीं की गई बचत राशि
1	2	3	4	5
राजस्व				
1	1-कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	711.47	678.83	32.64
2	2-कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	159.93	137.04	22.90
3	3-भवन निर्माण विभाग	47.12	40.19	6.92
4	4-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	10.72	8.77	1.95
5	8-परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	4.60	2.42	2.18
6	9-कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	61.70	4.57	57.13
7	12-योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	40.70	14.33	26.37
8	14-ऋणों की वापसी	230.00	0.00	230.00
9	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	428.72	203.74	224.98
10	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	117.47	61.84	55.64
11	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	981.45	666.65	314.80
12	21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	206.48	134.98	71.50
13	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	159.71	129.80	29.91
14	23-उद्योग विभाग	233.69	158.26	75.43
15	26-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	108.09	79.83	28.26
16	28-झारखण्ड उच्च न्यायालय	7.05	1.31	5.73
17	29-खान एवं भूतत्व विभाग	79.35	41.14	38.21
18	35-योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	25.73	20.52	5.21
19	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	164.01	40.08	123.93
20	39-गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	269.69	266.87	2.82
21	41-सड़क निर्माण विभाग	260.47	41.72	218.76
22	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2,233.57	1,280.36	953.21
23	43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रभाग)	109.39	90.29	19.10
24	45-सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	119.61	90.02	29.60
25	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	430.42	277.53	152.89
26	49- जल संसाधन विभाग	70.89	42.83	28.05
27	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	780.02	384.99	395.03
28	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	133.51	132.24	1.26
29	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	226.92	225.32	1.60
30	57- नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग)	4.60	0.05	4.53
31	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	590.63	247.69	342.90
32	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	1,704.08	706.19	997.89
33	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	819.30	571.31	258.00
पूँजीगत				
34	3-भवन निर्माण विभाग	116.22	31.71	84.51
35	8-परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	22.84	17.34	5.50
36	12-योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	62.34	58.05	4.29
37	14-ऋणों की वापसी	107.67	48.67	59.00
38	17- वाणिज्य कर विभाग	6.86	0.00	6.86

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या व नाम	बचत	प्रत्यर्पण	अभ्यर्पित नहीं की गई बचत राशि
1	2	3	4	5
पूँजीगत				
39	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग	53.46	8.46	45.00
40	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	215.51	107.79	107.72
41	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	85.90	84.90	1.00
42	29-खान एवं भूतत्व विभाग	2.00	1.00	1.00
43	30-कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	49.64	30.11	19.52
44	36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	124.09	41.71	82.38
45	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	4.40	2.98	1.41
46	45-सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	20.54	18.54	2.00
47	47-पारिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	14.56	10.70	3.85
48	49-जल संसाधन विभाग	681.00	136.67	544.33
49	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	208.39	114.64	93.75
50	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	167.53	23.85	143.67
51	53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	20.19	8.19	12.00
52	55-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	73.16	39.58	33.58
53	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2.49	0.74	1.75
54	57-नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग)	40.00	0.00	40.00
55	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	22.57	18.08	4.49
56	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	25.00	0.00	25.00
57	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	47.47	0.00	47.47
कुल		13,704.92	7,585.42	6,119.50

परिशिष्ट 2.4
मार्च 2018 में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के प्रत्यर्पण के मामले
(संदर्भ: कंडिका 2.4.2; पृष्ठ 46)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	प्रत्यर्पण की राशि
1	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-102-AU	19.71
2		2401-00-789-AF	14.01
3		2401-00-796-28	12.25
4		2401-00-796-AF	86.18
5		2401-00-796-AF	50.98
6		2401-00-796-AG	17.43
7		2401-00-796-AG	11.00
8		2401-00-796-AJ	13.58
9		2401-00-796-AL	11.87
10		2401-00-796-AU	36.97
11		2401-00-800-AF	41.80
12		2401-00-800-AF	22.95
13		2401-00-102-04	14.07
14		2401-00-195-B3	12.00
15		2401-00-796-96	18.00
16		2401-00-796-B3	24.00
17		2401-00-796-AW	18.90
18		2401-00-796-B1	11.59
19	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	2403-00-103-88	28.28
20		2403-00-796-84	12.00
21		2403-00-796-88	11.86
22	3- भवन निर्माण विभाग	2059-80-053-13	11.83
23		2216-05-053-04	13.27
24	10-ऊर्जा विभाग	2801-06-800-01	50.00
25		2801-06-800-02	16.00
26	12-योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	7610-00-201-03	19.44
27		4070-00-003-78	13.45
28	13-ब्याज भुगतान	2049-01-200-02	80.69
29		2049-01-200-08	17.59
30		2049-01-200-11	24.40
31	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-102-02	11.10
32		3456-00-796-39	47.75
33		3456-00-796-48	10.39
34		3456-00-796-51	38.34
35	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-02-200-27	14.96
36		2210-03-103-03	42.57
37		2210-05-105-12	14.28
38		2211-00-101-01	12.92
39		2210-01-102-54	89.00

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	प्रत्यर्पण की राशि
40	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-103-45	30.68
41		2210-01-103-56	37.00
42		2210-01-109-40	29.95
43		2210-01-110-25	12.20
44		2210-01-110-57	30.00
45		2210-01-789-54	85.00
46		2210-01-796-54	80.00
47		2210-01-796-56	16.00
48		4210-02-796-01	11.23
49		4210-01-796-35	20.00
50		21-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	2202-03-102-62
51	2202-03-102-79		13.92
52	2202-03-796-AD		10.50
53	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-001-01	11.70
54		2056-00-101-02	13.26
55		2055-00-110-01	47.28
56		4055-00-207-45	25.25
57		4055-00-207-77	20.00
58	23-उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग (उद्योग प्रभाग)	2852-80-102-81	27.00
59		2852-80-796-77	10.78
60		2851-00-796-43	12.00
61	26-श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	2235-60-200-07	11.93
62		4250-00-796-01	22.62
63	29- उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग (खान एवं भूतत्व प्रभाग)	2853-02-001-07	19.97
64		2853-02-102-20	10.80
65	36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-102-14	11.15
66	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2245-02-113-02	30.20
67		2245-80-101-16	17.81
68		2245-80-102-01	21.38
69		2245-80-102-02	39.82
70		2245-01-101-01	13.00
71		2245-01-101-02	30.00
72		2245-01-101-06	20.00
73		2245-01-101-07	22.00
74		2245-01-102-01	11.00

75		2245-01-102-02	11.00
76		2245-01-282--01	20.00
77	40-राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2053-00-093-01	12.97
78	41-सड़क निर्माण विभाग	5054-03-337-02	37.69
79		5054-03-796-02	12.02
80	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2501-02-796-04	18.68
81		2501-06-101-05	37.18
82		2501-06-101-05	17.84
83		2501-06-796-05	43.04
84	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2501-06-796-05	27.23
85		2505-02-101-04	386.07
86		2505-02-101-04	21.47
87		2505-02-789-04	118.19
88		2505-02-796-04	283.64
89		2505-02-796-04	15.77
90		2501-02-101-04	25.42
91		2501-02-101-04	16.95
92		2501-02-796-04	12.45
93	43-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	2203-00-003-AB	60.00
94		2203-00-004-A5	10.80
95		4202-02-105-75	99.09
96		4202-02-796-75	34.84
97		4202-02-105-76	10.20
98	45-सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	2203-00-001-A8	20.00
99		2203-00-796-A8	22.52
100		2203-00-001-A9	11.15
101		2203-00-001-A9	11.15
102		4202-02-105-70	16.04
103	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2215-01-191-01	10.86
104		2217-80-191-76	22.25
105		2217-80-191-76	33.52
106		2217-80-191-81	40.18
107		2217-80-192-82	13.15
108		2217-80-796-60	13.71
109		2217-80-796-60	12.23
110		2217-80-796-76	14.00

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

111		2217-80-191-83	57.60
112		2217-80-192-84	20.24
113	49-जल संसाधन विभाग	2700-01-001-02	19.12
114		2701-03-001-06	11.89
115		4700-80-789-13	23.98
116		4700-80-796-13	23.05
117		4701-80-796-54	31.81
118		4701-80-796-62	10.53
119		4700-80-796-11	16.00
120	50- जल संसाधन विभाग	2702-02-005-01	12.74
121		4702-00-101-18	17.51
122		4702-00-101-20	31.65
123		4702-00-796-18	31.17
124		4702-00-796-20	22.13
125	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2225-01-789-59	35.34
126		2225-01-789-61	16.51
127		2225-02-277-59	15.36
128		2225-02-796-59	31.94
129		2225-02-796-61	21.34
130	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2225-03-277-12	22.91
131		2225-03-796-23	55.63
132	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	2404-00-001-05	32.82
133		2404-00-796-05	15.30
134	55-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2515-00-001-28	78.05
135		4515-00-789-04	43.83
136	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2515-00-001-03	20.96
137		2515-00-001-54	21.09
138		2515-00-101-04	14.30
139		2515-00-198-45	146.03
140	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2202-02-109-01	30.77
141		2202-02-109-35	14.30
142		2202-02-110-03	10.77
143		2202-05-200-04	45.45
144		2202-02-109-23	42.50
145		2202-02-789-23	14.50
146		2202-02-796-23	28.00
147		4202-01-789-46	11.77

148		2202-01-102-02	25.81	
149		2202-01-111-25	97.15	
150		2202-01-112-03	12.44	
151		2202-01-112-03	12.67	
152		2202-01-789-25	28.36	
153		2202-01-796-03	18.20	
154	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	2202-01-796-25	78.03	
155		2202-01-101-57	100.00	
156		2202-01-101-59	42.00	
157		2202-01-789-57	34.00	
158		2202-01-796-57	86.00	
159		2202-01-796-59	45.15	
160		4202-00-796-01	10.75	
161		60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2235-02-102-51	10.25
162			2235-02-102-97	21.92
163			2235-02-796-51	10.94
164	2235-02-796-97		21.36	
165	2236-02-101-02		24.66	
166	2236-02-789-02		11.07	
167	2236-02-796-02		69.69	
168	2236-02-796-02		90.62	
सकल योग			5,388.34	

परिशिष्ट 2.5
पूर्व के वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित
(संदर्भ: कंडिका 2.4.5; पृष्ठ 50)

वर्ष	अनुदान/विनियोजन की संख्या	अनुदान/विनियोजन/विभाग का नाम	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)
2001-02	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	*
2001-02	32	विधानमंडल	0.04
2002-03	32	विधानमंडल	0.08
2003-04	46	पर्यटन विभाग	0.29
2004-05	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	@
2006-07	38	निबंधन विभाग	\$
2010-11	32	विधानमंडल	0.10
2011-12	14	ऋणों की वापसी	219.56
2011-12	15	पेंशन	200.60
2011-12	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	^
2012-13	7	निगरानी	0.07
2012-13	14	ऋणों की वापसी	556.01
2012-13	15	पेंशन	703.44
2012-13	42	ग्रामीण विकास विभाग	3.66
2013-14	13	ब्याज भुगतान	139.42
2013-14	14	ऋणों की वापसी	181.58
2013-14	15	पेंशन	373.05
2014-15	13	ब्याज भुगतान	191.68
2014-15	42	ग्रामीण विकास विभाग	169.53
2016-17	14	ऋणों की वापसी	10.42
2016-17	32	विधान सभा	0.33
कुल			2,749.87

स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

*आधिक्य राशि मात्र ₹ 8,807 था।

@ आधिक्य राशि मात्र ₹ 1,072 था।

\$ आधिक्य राशि मात्र ₹ 81,665 था।

^ आधिक्य राशि मात्र ₹ 11,160 था।

परिशिष्ट 2.6

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए
(संदर्भ: कंडिका 2.4.6; पृष्ठ 51)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
1	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	1,476.37	838.92	637.45	74.03
2	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	351.91	215.49	136.42	23.51
3	3-भवन निर्माण विभाग	143.56	100.77	42.79	4.33
4	8-परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	24.36	22.04	2.32	2.29
5	9-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	210.87	154.34	56.53	5.17
6	12-योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	80.68	43.07	37.61	3.10
7	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग	1,311.19	917.62	393.57	35.15
8	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	656.17	591.21	64.96	52.51
9	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2,652.62	2,537.70	114.92	866.54
10	21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	1,167.10	1,032.05	135.05	71.43
11	23-उद्योग विभाग	425.71	233.28	192.43	41.25
12	26-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	229.41	133.60	95.81	12.28
13	27-विधि विभाग	349.19	295.76	53.43	65.86
14	29-खान एवं भूतत्व विभाग	112.98	36.38	76.60	2.75
15	35-योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	368.38	346.53	21.85	3.88
16	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	662.96	523.24	139.72	129.96
17	40-राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	509.42	461.61	47.81	26.38
18	41-सड़क निर्माण विभाग	464.66	291.19	173.47	87.00
19	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	5,522.58	3,342.12	2,180.46	53.12
20	43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	378.52	312.04	66.48	42.92
21	45-सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	187.99	72.80	115.19	4.42
22	49-जल संसाधन विभाग	392.06	322.63	69.43	1.45
23	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	1,639.06	1,089.71	549.35	230.67
24	52-पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	88.56	69.82	18.74	2.15
25	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	307.74	175.47	132.27	1.24

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

26	55-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	1,226.85	1,139.53	87.32	76.96
27	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	1,647.22	1,574.95	72.27	154.65
28	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	1,731.01	1,156.72	574.29	16.33
29	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	6,812.30	5,327.95	1,484.35	219.73
30	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	3,310.33	2,523.16	787.17	32.13
पूँजीगत (दत्तमत)					
31	8-परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	105.20	88.27	16.93	5.90
32	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	453.35	309.49	143.86	71.65
33	26-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	70.22	34.62	35.60	9.21
34	36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	386.00	332.26	53.74	70.35
35	43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	374.00	328.97	45.03	66.78
36	47-पारिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	24.51	16.58	7.93	6.62
37	49-जल संसाधन विभाग	1,494.21	1,230.06	264.15	416.85
38	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	569.65	459.09	110.56	97.83
39	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	239.44	198.91	40.53	127.00
40	53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	59.20	43.81	15.39	4.80
पूँजीगत (भारित)					
41	14-ऋणों की वापसी	3,052.17	2,949.50	102.67	5.00
कुल योग (राजस्व + पूँजीगत)		41,269.71	31,873.26	9,396.45	3,225.18

परिशिष्ट 2.7
निधि का आधिक्य/अपर्याप्त पुनर्विनियोग
(संदर्भ: कंडिका 2.4.7; पृष्ठ 51)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखाशीर्ष	वृद्धि पुनर्विनियोग	कमी पुनर्विनियोग	बचत (-)/ आधिक्य(+)
1	7-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)	2070-00-104-02	1.00	-	(-)4.37
2	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-001-04	50.00	-	(-)3.11
3		2055-00-101-01	38.00	-	(-)2.55
4		2055-00-104-05	180.00	-	(-)202.12
5		2056-00-001-01	6.08	-	(-)2,421.20
6	36- पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-101-09	52.96	-	(-) 1.75
7		2215-01-102-10	2,897.57	-	(-)700.00
8	51- कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2225-01-789-05	22.00	-	(-)20.61
9		2225-02-796-44	231.00	-	(-)56.61
10	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2202-03-103-01	380.00	-	(-)30.41
कुल			3,858.61	-	3,442.73
11	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	2403-00-101-03	85.00	-	(+)6.34
12	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-03-103-01	222.00	-	(+)4.64
13	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-110-01	940.00	-	(+)28.00
कुल			1247.00	-	38.98
14	36- पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-102-02	-	8.79	(+)2.56
15	40- राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2053-00-093-01	-	750.00	(+)10.76
कुल			-	758.79	13.32
16	7-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)	2070-00-104-3	1.22	2.22	(-)26.60
17	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-104-04	56.00	94	(-)15.21
18	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-03-103-03	0.16	1,100.16	(+)0.76
19	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-109-01	180.00	1,030.00	(+)272.65
कुल			237.38	2,226.38	231.60

परिशिष्ट 2.8

वर्ष के दौरान किये गये 100 प्रतिशत ठोस प्रत्यर्पण की समीक्षा के परिणाम
(संदर्भ: कंडिका 2.4.8; पृष्ठ 51)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	प्रत्यर्पण की राशि
1	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-102-96	विभिन्न कृषि उपकरणों में सौर ऊर्जा का उपयोग सिंचाई पंप सेट सहित	900.00	900.00
2		2401-00-115-B6	लघु सीमांत कृषकों एवं कृषि श्रमिकों की योजना	500.00	500.00
3		2401-00-195-B3	ब्याज अनुदान	1,200.00	1,200.00
4		2401-00-796-96	विभिन्न कृषि उपकरणों में सौर ऊर्जा का उपयोग सिंचाई पंप सेट सहित	1,800.00	1,800.00
5		2401-00-796-B3	ब्याज अनुदान	2,400.00	2,400.00
6	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	2403-00-101-98	पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत (एल.एच.एण्ड डी.सी.) खुर व मुँह के रोग का नियंत्रण (के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश)	571.00	571.00
7		2403-00-103-88	400 पॉल्ट्री फेडरेशन द्वारा लेयर पॉल्ट्री फार्मिंग योजना	2,828.00	2,828.00
8		2403-00-106-08	गो सेवा आयोग को अनुदान	500.00	500.00
9		2403-00-789-88	400 पॉल्ट्री फेडरेशन द्वारा लेयर पॉल्ट्री फार्मिंग योजना	547.00	547.00
10		2403-00-796-84	समेकित पॉल्ट्री विकास	1,200.00	1,200.00
11		2403-00-796-88	400 पॉल्ट्री फेडरेशन द्वारा लेयर पॉल्ट्री फार्मिंग योजना	1,186.00	1,186.00
12	10-ऊर्जा विभाग	2801-06-800-01	अटल ग्रामीण ज्योति योजना	5,000.00	5,000.00
13		2801-06-800-02	तिलका माँझी कृषि पंप योजना	1,600.00	1,600.00
14		2801-80-800-09	परामर्शी एवं अन्य कार्य (नई तकनीक सहित) स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर हेतु अनुदान	500.00	500.00
15		6801-00-202-01	कोल ब्लॉक एवं पावर प्लांट - नयी योजना	700.00	700.00
16	12-योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	4070-00-003-78	कोषागार कम्प्यूटरीकरण	1,345.00	1,345.00
17	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग	4408-02-796-02	झारखण्ड राज्य खाद्य एवं सिविल आपूर्ति निगम हेतु भवन का निर्माण	500.00	500.00

18	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-102-54	यूनिवर्सल स्वास्थ्य बीमा कवरेज योजना	8,900.00	8,900.00
19		2210-01-103-45	राष्ट्रीय एड्स एवं एस.टी.डी.नियंत्रण कार्यक्रम	3,067.90	3,067.90
20		2210-01-103-56	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	3,700.00	3,700.00
21		2210-01-104-44	लॉग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट (एल.एल.आइ.टी.एन.)	600.00	600.00
22		2210-01-109-40	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (ए.एन.एम/जी.एन.एम. विद्यालय) (के.प्रा.स्कीम- केंद्रांश)	2,995.00	2,995.00
23		2210-01-110-25	आपात चिकित्सा अनुक्रिया सेवा	1,220.00	1,220.00
24	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-110-57	पी.एम.एस.एस.आई. (केंद्र प्रायोजित स्कीम-केंद्रांश) के अंतर्गत पी.एम.सी.एच. धनबाद में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक	3,000.00	3,000.00
25		2210-01-789-54	यूनिवर्सल स्वास्थ्य बीमा कवरेज योजना	8,500.00	8,500.00
26		2210-01-789-56	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	700.00	700.00
27		2210-01-796-54	यूनिवर्सल स्वास्थ्य बीमा कवरेज योजना	8,000.00	8,000.00
28		2210-01-796-56	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश)	1,600.00	1,600.00
29		2210-02-200-27	राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान (के.प्रा.स्कीम- राज्यांश)	920.29	920.29
30		2210-05-105-16	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (चिकित्सा महाविद्यालयों में पी.जी.कोर्स) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	686.65	686.65
31		4210-01-109-38	न्यू फार्मसी इंस्टीट्यूट	500.00	500.00
32		4210-01-110-36	कर्मा, कोडरमा में नया मेडिकल कॉलेज	500.00	500.00
33		4210-01-796-35	एम.जी.एम.एम.सी. कैम्पस में नया अस्पताल भवन	2,000.00	2,000.00
34		4210-01-796-38	न्यू फार्मसी इंस्टीट्यूट	500.00	500.00
35		4210-03-105-04	ए.एन.एम स्कूल भवन निर्माण	800.00	800.00
36		4210-03-200-02	सरकारी यूनानी महाविद्यालय अस्पताल, गिरिडीह और सरकारी होम्योपैथी महाविद्यालय अस्पताल, गोड्डा के भवन का निर्माण	600.00	600.00

37		4210-03-796-07	पी.एम.सी.एच., धनबाद एवं एम.जी.एम.सी.एच., जमशेदपुर में पारा चिकित्सा संस्थान की स्थापना	500.00	500.00
38	21-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	2202-03-796-AD	राँची विश्वविद्यालय, राँची हेतु पुस्तकालय का आधुनिकीकरण, प्रयोगशाला का उन्नयन, कम्प्यूटर की खरीद के लिए सहायता अनुदान	1,050.00	1,050.00
39	22-गृह, कारा एवं	4055-00-207-43	पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण	800.00	800.00
40	आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	4055-00-207-43	पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण	600.00	600.00
41		4055-00-207-45	पुलिस आधुनिकीकरण हेतु उपकरणों की खरीद	683.00	683.00
42	23-उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग (उद्योग प्रभाग)	2851-00-796-43	एन.आइ.डी. अहमदाबाद की सहायता से हैंडलूम विकास संस्थान हस्तशिल्प स्थापना का विकास	1,200.00	1,200.00
43		2852-80-102-83	मुख्यमंत्री संकुल विकास योजना	1,000.00	1,000.00
44		4851-00-796-02	निफ्ट केंद्र की स्थापना	500.00	500.00
45	24-सूचना एवं जन संपर्क विभाग	2220-60-796-24	सरकारी कार्यक्रमों हेतु ओ.बी. वाहनों की आउटसोर्सिंग	500.00	500.00
46		2245-01-101-01	निःसहाय व विकलांगों को नकद भुगतान (स्थापना व्यय)	1,300.00	1,300.00
47		2245-01-101-02	खाद्यान्नों की आपूर्ति	3,000.00	3,000.00
48		2245-01-101-06	अन्य कार्य (स्थापना व्यय)	2,000.00	2,000.00
49	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2245-01-101-07	कृषि सहयोग अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलें, 50% से अधिक) स्थापना व्यय)	2,200.00	2,200.00
50		2245-01-101-08	खाद्यान्नों की आपूर्ति हेतु राज्य सहायता (स्थापना व्यय)	800.00	800.00
51		2245-01-102-01	ट्रक और टैंकों द्वारा पेयजल की दुलाई (स्थापना व्यय)	1,100.00	1,100.00
52		2245-01-102-02	पेय जल की आपूर्ति	1,100.00	1,100.00
53		2245-01-282-01	औषधियों की आपूर्ति	2,000.00	2,000.00
54	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2501-02-101-04	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश)	2,542.26	2,542.26
55		2501-02-101-04	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	1,695.00	1,695.00
56		2501-02-789-04	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश)	778.25	778.25

57		2501-02-789-04	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	518.88	518.88
58		2501-02-796-04	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	1,245.00	1,245.00
59	45-सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	2203-00-001-A9 (CASC)	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान (के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश)	1,115.00	1,115.00
60		2203-00-001-A9(के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	1,115.00	1,115.00
61		2203-00-796-92	डाटासेंटर, लैन और पोर्टल	500.00	500.00
62	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2217-80-191-83	सामान्य निष्पादन अनुदान के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगर निगमों को अनुदान	5,759.65	5,759.65
63		2217-80-192-84	सामान्य निष्पादन अनुदान के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगर निगमों/नगरपालिकाओं को अनुदान	2,023.53	2,023.53
64		2217-80-193-85	सामान्य निष्पादन अनुदान के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायतों को अनुदान	714.73	714.73
65	49-जल संसाधन विभाग	4700-80-796-11	स्वर्णरेखा परियोजना (ओडिशा/पश्चिम बंगाल शेयर)	1,600.00	1,600.00
66	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2225-01-789-91	शिक्षा ऋण गारंटी योजना	1,000.00	1,000.00
67		2225-02-277-97	शिक्षा ऋण गारंटी योजना	1,000.00	1,000.00
68		2225-02-796-24	अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु व्यावसायिक	600.00	600.00
69		2225-02-796-57	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति	650.00	650.00
70		2225-02-796-97	शिक्षा ऋण गारंटी योजना	1,500.00	1,500.00
71		2225-03-277-86	शिक्षा ऋण गारंटी योजना	1,000.00	1,000.00
72		2225-03-796-86	शिक्षा ऋण गारंटी योजना	500.00	500.00
73		4225-02-796-39	नक्सल प्रभावित क्षेत्र हेतु आश्रम विद्यालय	605.00	605.00
74	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	2404-00-102-70	बछिया पालन कार्यक्रम	590.00	590.00
75		2404-00-102-73	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश)	756.00	756.00
76		2404-00-102-73	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	504.00	504.00
77		2404-00-102-76 (के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश)	डेयरी विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश)	500.00	500.00
78		2404-00-102-76 (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	डेयरी विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश)	500.00	500.00

79	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2515-00-101-06	पंचायत भवनों का रखरखाव (स्थापना व्यय)	500.00	500.00
80	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2202-02-109-23	झारखण्ड क्षेत्र हेतु विशेष समेकित योजना के अधीन गैर वित्तीय विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान (इंटर विद्यालयों सहित)	4,250.00	4,250.00
81		2202-02-109-60	झारखण्ड क्षेत्र हेतु आर.एम.एस.ए. योजना के अधीन कम्प्यूटर साक्षरता (आई.सी.टी.) (के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश)	558.00	558.00
82		2202-02-789-23	झारखण्ड क्षेत्र हेतु विशेष समेकित योजना के अधीन गैर वित्तीय विद्यालयों के लिये सहायता अनुदान (इंटर विद्यालय सहित)	1,450.00	1,450.00
83		2202-02-796-23	झारखण्ड क्षेत्र हेतु विशेष समेकित योजना के अधीन गैर वित्तीय विद्यालयों के लिये सहायता अनुदान (इंटर विद्यालय सहित)	2,800.00	2,800.00
84	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	2202-01-101-59	ज्ञानोदय योजना (प्राथमिक शिक्षा)	4,200.00	4,200.00
85		2202-01-789-59	ज्ञानोदय योजना (प्राथमिक शिक्षा)	1,785.00	1,785.00
86		2202-01-796-59	ज्ञानोदय योजना (प्राथमिक शिक्षा)	4,515.00	4,515.00
87		4202-00-201-01	प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का सुदृढीकरण	1,000.00	1,000.00
88		4202-00-796-01	प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का सुदृढीकरण	1,075.00	1,075.00
कुल				1,43,845.10	1,43,845.10

परिशिष्ट 2.9
वर्ष के अंत में व्यय का वेग
(संदर्भ: कंडिका 2.5; पृष्ठ 52)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	जनवरी से मार्च 2018 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2018 में किया गया व्यय	कुल व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत		मार्च 2018 में आहरित ए.सी. विपत्र	मार्च 2018 में व्यक्तिगत निक्षेप (पी.डी.) खाते में अंतरित राशि
					जनवरी-मार्च 2018 के दौरान	मार्च 2018 में		
1	9-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	239.76	224.10	335.66	71.47	66.80	0.00	0.00
2	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	821.49	634.11	1174.63	70.08	54.10	0.94	0.00
3	46- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	63.07	58.41	117.84	53.52	49.57	0.50	0.00
4	52-पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	65.19	46.60	99.24	65.71	46.97	7.40	0.56
5	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	128.03	81.84	186.51	68.64	43.88	0.00	0.00
6	23-उद्योग विभाग	130.87	109.15	248.78	52.61	43.88	0.00	0.00
7	55-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2268.60	1067.70	2737.81	87.78	41.31	0.00	0.00
8	47-पारिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	130.01	105.98	267.99	48.51	39.55	0.00	0.00
9	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	316.87	213.24	591.21	54.18	36.46	0.00	0.00
10	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	1338.94	960.97	3021.73	44.75	32.12	0.46	0.00
11	4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	20.88	14.49	45.19	46.24	32.09	0.00	0.00
12	21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	327.18	326.47	1032.05	31.70	31.63	0.00	0.00
13	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	105.91	69.94	224.59	47.16	31.14	0.00	0.00
कुल		5956.80	3913.00	10083.23	59.08	38.81	9.30	0.56

परिशिष्ट 2.10

नियंत्रक अधिकारियों की सूची जहाँ वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय असमाशोधित रह गया
(प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि)
(संदर्भ: कंडिका 2.6; पृष्ठ 52)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	नियंत्रक अधिकारी/विभाग	समाशोधित नहीं की गयी राशि
1	सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची	369.76
2	आयुक्त सह सचिव 104-राजस्व विभाग, झारखण्ड, राँची	259.02
3	वाणिज्य कर आयुक्त, झारखण्ड, राँची	45.80
4	उत्पाद आयुक्त, झारखण्ड, राँची	11.88
5	सचिव, कार्मिक व प्रशासनिक सुधार पर्सद, झारखण्ड	411.03
6	अपर सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, सेक्शन IV ग्रामीण पुलिस झारखण्ड आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, झारखण्ड, राँची	3,923.37
7	उप सचिव, प्राथमिक व प्रौढ़ शिक्षा, झारखण्ड, राँची उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची	7,510.00 360.27
8	उप सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, झारखण्ड, राँची	49.49
9	उप सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	380.33
10	पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशक, मानव संसाधन विकास विभाग	19.16
11	निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची	2,256.46 295.28
12	अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची	90.47
13	सचिव, पी.एच.ई.डी, झारखण्ड, राँची	1,746.10
14	सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची	1,874.42
15	सचिव, शहरी विकास, झारखण्ड, राँची	1,181.52 40.00
16	सचिव, कल्याण विभाग, राँची सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची.	941.00 237.14
17	श्रम आयुक्त, राँची. निदेशक, श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची	57.28
18	संयुक्त सचिव, प्राकृतिक आपदा विभाग, झारखण्ड, राँची	501.51
19	सचिव, खाद्य आपूर्ति विभाग, झारखण्ड, राँची	748.19
20	निदेशक, परिवीक्षा सेवा, झारखण्ड, राँची	16.52
21	उप सचिव, लघु सिंचाई विभाग, झारखण्ड, राँची	459.09
22	सचिव, कृषि विभाग, झारखण्ड, राँची	48.08
23	मत्स्य विभाग निदेशालय	49.68
24	सचिव सह आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची	328.40
25	सचिव, पशुपालन व मत्स्य झारखण्ड, राँची	18.39
26	उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची	174.95
27	निदेशक, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची	2,895.05 2,081.74
28	निदेशक, योजना व मूल्यांकन विभाग	277.49
29	महानिरीक्षक (कारा) गृह विभाग, झारखण्ड, राँची	96.62
30	चुनाव आयुक्त, चुनाव विभाग, राँची	53.51
31	संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग झारखण्ड, राँची	135.53
32	निदेशक, डेयरी विकास, झारखण्ड, राँची	175.46
33	आयुक्त सह सचिव, जल संसाधन (सिंचाई) विभाग झारखण्ड, राँची	54.76
34	सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची	4,291.22
35	निदेशक, ऊर्जा, झारखण्ड, राँची	238.89
36	निदेशक, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची	19.42
37	सचिव, परिवहन व नागर विमानन सह राज्य आयुक्त, झारखण्ड, राँची	100.00
कुल		34,824.28

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) झारखण्ड का कार्यालय

परिशिष्ट 2.11
व्यय का वेग
(संदर्भ: कंडिका 2.7.7; पृष्ठ 56)

(₹ करोड़ में)				
राज्य/कार्यालय	शीर्ष	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय का प्रतिशत
सचिवालय	2501-02-101-06	46.37	46.37	100
	2501-02-101-08	1.73	1.73	100
	2501-02-101-08	1.16	1.16	100
	2501-02-789-06	14.20	14.20	100
	2501-02-789-08	0.53	0.53	100
	2501-02-789-08	0.35	0.35	100
	2501-02-796-06	34.07	34.07	100
	2501-02-796-08	1.27	1.27	100
	2501-02-796-08	0.85	0.85	100
	2501-06-101-14	12.09	12.09	100
	2501-06-101-14	13.87	13.87	100
	2515-00-102-34	0.04	0.04	100
	4515-00-101-43	4.90	4.90	100
	4515-00-102-38	0.18	0.18	100
	4515-00-789-43	1.50	1.50	100
	4515-00-796-43	3.60	3.60	100
		कुल	136.71	136.71
डी.आर.डी.ए., बोकारो	2505 (पी.एम.ए.वाई.-जी.)	4.86	2.98	61
	आई.डब्ल्यू.एम.पी. (डी.ओ.एल.आर.)	1.13	0.27	25
डी.आर.डी.ए., पलामू	2505 (पी.एम.ए.वाई.-जी.)	145.47	36.45	25
	नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.-03/16-17	0.85	0.24	28
	2501 (ब्लॉक प्रशासन)	0.65	0.30	46
	2501 (डी.आर.डी.ए. प्रशासन)	1.42	0.77	54
डी.आर.डी.ए., गढ़वा	2505 (पी.एम.ए.वाई.-जी.)	32.20	10.17	32
	आई.डब्ल्यू.एम.पी. (डी.ओ.एल.आर.)	2.03	0.82	40
	2501 (ब्लॉक प्रशासन)	0.25	0.11	44
	2501 (डी.आर.डी.ए. प्रशासन)	1.02	0.37	36
डी.आर.डी.ए., गिरीडीह	2505 (पी.एम.ए.वाई.-जी.)	60.48	24.43	40
डी.आर.डी.ए., दुमका	2505 (पी.एम.ए.वाई.-जी.)	46.75	16.37	35
	2501 (डी.आर.डी.ए. प्रशासन)	0.67	0.26	39
डी.आर.डी.ए., साहेबगंज	2505 (पी.एम.ए.वाई.-जी.)	57.57	21.24	37
	आई.डब्ल्यू.एम.पी. (डी.ओ.एल.आर.)	0.17	0.09	53
	2501 (ब्लॉक प्रशासन)	0.29	0.08	28
	2501 (डी.आर.डी.ए. प्रशासन)	0.97	0.46	47
डी.आर.डी.ए., पूर्वी सिंहभूम	2501 (डी.आर.डी.ए. प्रशासन)	0.81	0.31	39
	(पी.एम.ए.वाई.-जी.)	36.70	12.15	33
	कुल	394.29	127.87	32
	कुल योग	531.00	264.58	50

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

परिशिष्ट 3.1

31 मार्च 2018 को बकाये उपयोगिता प्रमाण पत्र
(संदर्भ: कंडिका 3.1; पृष्ठ 61)

(₹ करोड़ में)

विभाग	2016-17 तक (2015-16 तक संस्वीकृत सहायता अनुदान)		2017-18 के दौरान (2016-17 के दौरान संस्वीकृत सहायता अनुदान)		प्रतीक्षारत कुल उपयोगिता प्रमाण पत्र	
	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि
उद्योग	498	385.76	341	100.28	839	486.04
पशुपालन	662	3,742.69	1,650	4,593.81	2,312	8,336.50
सहकारिता	74	52.58	22	66.89	96	119.47
चिकित्सा	40	24.36	168	140.53	208	164.89
कल्याण	16	816.03	73	806.11	89	1,622.14
कृषि	7,198	1,641.86	546	200.81	7,744	1,842.67
भू राजस्व	134	249.50	211	115.80	345	365.30
शिक्षा	1	0.21	0	0	1	0.21
नगर विकास	5,069	4,444.34	1,168	3,874.39	6,237	8,318.73
अन्य	2,680	10,072.90	840	7,582.74	3,520	17,655.64
कुल	16,372	21,430.23	5,019	17,481.36	21,391	38,911.59

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा संधारित अभिलेखों के अनुसार

परिशिष्ट 3.2

नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित
लेखापरीक्षा योग्य
इकाइयों की सूची
(संदर्भ: कंडिका 3.2.1; पृष्ठ 63)

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
1	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	बोकारो	2013-14
2	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	चतरा	2012-13
3	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	देवघर	2012-13
4	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	धनबाद	2013-14
5	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	दुमका	2011-12
6	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)	2014-15
7	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गढ़वा	2014-15
8	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गिरिडीह	2013-14
9	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गोड्डा	2015-16
10	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गुमला	2011-12
11	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	हजारीबाग	2014-15
12	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	जामताड़ा	2012-13
13	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	खूँटी	2015-16
14	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	कोडरमा	2015-16
15	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लातेहार	12/2012
16	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लोहरदगा	2013-14
17	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पाकुड़	2015-16
18	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पलामू	2013-14
19	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	राँची	2011-12
20	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	रामगढ़	2015-16
21	स्वास्थ्य	झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी, नामकुम	राँची	2011-12
22	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सरायकेला खरसावाँ	2013-14
23	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सिमडेगा	2013-14
24	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)	2007-08
25	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	साहेबगंज	2013-14
26	शिक्षा	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, राँची	राँची	2014-15
27	स्वास्थ्य	झारखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाइटी, राँची	राँची	Nil
28	शिक्षा	नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट	नेतरहाट	2015-16
29	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	देवघर	2015-16
30	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लातेहार	2014-15
31	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	हजारीबाग	2015-16
32	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गिरिडीह	2015-16

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

33	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गढ़वा	2016-17
34	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	राँची	2016-17
35	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जमशेदपुर	2016-17
36	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	रामगढ़	2015-16
37	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चाईबासा	2015-16
38	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सिमडेगा	2015-16
39	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	कोडरमा	2015-16
40	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	दुमका	फरवरी-17
41	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गोड्डा	2016-17
42	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पाकुड़	2015-16
43	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सरायकेला	फरवरी-17
44	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लोहरदगा	2015-16
45	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	बोकारो	2011-12
46	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चतरा	दिसम्बर-15
47	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	धनबाद	2012-13
48	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गुमला	2016-17
49	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	मेदिनीनगर	सितम्बर-15
50	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	साहेबगंज	2016-17
51	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जामताड़ा	2010-11
52	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	खूँटी	2016-17
53	शिक्षा (S&T)	बिड़ला तकनीकी संस्थान, मेसरा, राँची	राँची	2016-17
54	विमानन	नागर विमानन प्राधिकार, राँची	राँची	2016-17
55	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी (जैप-आई.टी.)	राँची	07/2014
56	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, धुर्वा, राँची	राँची	2007-08
57	समाज कल्याण	झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राँची	राँची	2006-07
58	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, राँची	राँची	2015-16
59	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बोकारो	बोकारो	2015-16
60	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, जमशेदपुर	जमशेदपुर	2016-17
61	वन	लाह प्रशोधन संयंत्र, लातेहार	लातेहार	2008-09
62	विज्ञान व प्रौद्योगिकी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, झारखण्ड सरकार	राँची	2015-16
63	बायोटेक्नोलॉजी	वन में लाह की खेती, डोरण्डा	राँची	2008-09
64	वन	वन राज्य व्यापार प्रभाग	1.लातेहार 2.गुमला 3.चाईबासा 4.हजारीबाग	1. 2012-13 2. 2012-13 3. 2012-13 4. 2008-09
65	पशुपालन	बेकन फैक्टरी, काँके, राँची	राँची	2009-10
66	पशुपालन	क्षेत्रीय मुर्गीपालन केंद्र, राँची	राँची	2009-10
67	विधि	उच्च न्यायालय विधिक सेवाएँ समिति, राँची	राँची	2008-09

68	सूचना एवं जन संपर्क	राजकीय प्रेस, राँची	राँची	2010-11
69	शिक्षा व अनुसंधान	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	राँची	2006-07
70	वन	झारखण्ड जैविक विविधता परिषद, डोरण्डा, राँची	राँची	2016-17
71	उद्योग	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राँची	राँची	2016-17
72	स्वास्थ्य	निदेशक, आर.के. मिशन, टी.बी. सैनेटोरियम, तुपुदाना	राँची	2004-05
73	शिक्षा	निदेशक, आर.के. मिशन आश्रम, मोराबादी, राँची	राँची	2007-08
74	शिक्षा	झारखण्ड महिला समाख्या सोसाइटी, कडरू, राँची	राँची	2005-06
75	कला, संस्कृति व खेलकूद	राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति, मोराबादी, राँची	राँची	2008-09

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा संधारित स्थायी लेखापरीक्षा कार्यक्रम पंजी

परिशिष्ट 3.3

बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 3.4; पृष्ठ 67)

	शीर्ष	विवरण	2000-15	2015-16	2016-17	2017-18	कुल योग
बकाया	आर.डी.डी.	डी.सी.विपत्रों की संख्या	2311	226	153	164	2854
		राशि	629.12	156.59	200.06	307.57	1293.34
	आई.टी.	डी.सी.विपत्रों की संख्या	10	23	8	0	41
		राशि	21.51	48.23	20.54	0.00	90.28
	कुल (आर.डी.डी. + आई.टी.)	डी.सी.विपत्रों की संख्या	2321	249	161	164	2895
		राशि	650.63	204.82	220.60	307.57	1383.62
बकाया राशि का प्रतिशत (आर.डी.डी.+आई.टी.)			16	51	63	93	27

परिशिष्ट 3.4

लघु-शीर्ष '800-अन्य व्यय' (10 प्रतिशत व अधिक) का परिचालन
(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 72)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत व्यय	कॉलम 4 से कॉलम 5 का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2053	जिला प्रशासन	470.56	129.08	27.43
2	2801	ऊर्जा	4,291.22	846.05	19.72
3	4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	56.01	32.32	57.70
4	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	0.72	0.20	27.78
5	4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	642.69	258.89	40.28
6	6801	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु ऋण	1,760.67	700.00	39.76
कुल			7,221.87	1,966.54	27.23

परिशिष्ट 3.5

लघु-शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' (40 प्रतिशत व अधिक) का परिचालन
(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 72)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष - 800 के अंतर्गत प्राप्तियाँ	कॉलम 4 से कॉलम 5 का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	0701	मध्यम सिंचाई	142.69	142.69	100.00
2	4000	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	25.09	25.09	100.00
3	0801	ऊर्जा	5.61	5.61	100.00
4	0058	स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग	4.31	4.31	100.00
5	0404	डेयरी विकास	3.32	3.32	100.00
6	0220	सूचना एवं प्रचार	0.63	0.63	100.00
7	0047	अन्य राजकोषीय सेवाएँ	0.11	0.11	100.00
8	0023	होटल प्राप्तियाँ कर	0.01	0.01	100.00
9	0211	परिवार कल्याण	0.01	0.01	100.00
10	0575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.01	0.01	100.00
11	1055	सड़क परिवहन	0.01	0.01	100.00
12	0059	लोक निर्माण	14.30	14.18	99.16
13	0852	उद्योग	1.14	1.13	99.12
14	1456	सिविल आपूर्ति	14.67	14.54	99.11
15	0406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	4.44	4.12	92.79
16	1452	पर्यटन	1.07	0.93	86.92
17	1054	सड़कें एवं पुल	73.37	62.24	84.83
18	0210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	14.22	11.58	81.43
19	0425	सहकारिता	2.37	1.81	76.37
20	0702	लघु सिंचाई	4.63	3.24	69.98
21	0071	पेंशन के संबंध में अंशदान और वसूली	4.77	2.58	54.09
22	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	168.86	86.83	51.42
23	0403	पशुपालन	10.57	5.17	48.91
24	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	1.06	0.46	43.40
25	0250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	191.83	77.93	40.62
26	0041	वाहनों पर कर	778.37	312.89	40.20
कुल			1,467.47	781.43	53.25

परिशिष्ट 4.1

प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची, गणनाओं का आधार और परिवर्णी शब्द

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
वृद्धि की दर (वृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि}+\text{वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व}/2]*100$
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर
क्वांटम विस्तार	ऋण स्टॉक * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज प्रतिशत के रूप में	$\text{प्राप्त ब्याज } [(\text{आरंभिक शेष} + \text{ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष})/2]*100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्रप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाव सभी योजना अनुदान और गैर-योजना राजस्व व्यय, मुख्य शीर्ष '2048-ऋण के वर्जना या कमी हेतु विनियोजन' के अधीन अंकित व्यय को छोड़कर
ऋण धारणीयता	ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को एक समयावधि तक स्थिर रखने की राज्य की क्षमता को ऋण धारणीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसमें अपने ऋण निष्पादन की क्षमता विषयक मामला सन्निहित होता है। अतः चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन हेतु तरल परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त देनदारियों की लागत तथा उन देनदारियों के प्रतिफल के मध्य संतुलन बनाये रखने की क्षमता भी ऋण की धारणीयता को संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण निष्पादन की क्षमता में वृद्धि से के अनुरूप होना चाहिए।
ऋण स्थिरीकरण	ऋण स्थिरता का अनिवार्य शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था के वृद्धि की दर ब्याज दर या लोक उधार की लागत से अधिक हो, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात के स्थिर रहने की संभावना है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक हो या मामूली ऋणात्मक हो। दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण गुणा दर विस्तार) उल्लिखित रहने पर, ऋण स्थिरीकरण की स्थिति बताती है कि यदि मात्रा विस्तार प्राथमिक विस्तार सहित शून्य हो तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः दृढ़ हो जायेगा। दूसरी ओर, यदि प्राथमिक विस्तार मात्रा विस्तार सहित ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ता रहेगा और यदि धनात्मक हो, तो ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात अंततः गिरेगा।
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता	वृद्धिशील ब्याज दायित्वों और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूर्ण करने के लिए राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की प्रचुरता। यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों से वृद्धिशील ब्याज के भार और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके तो ऋण धारणीयता और भी सुगम हो सकेगा।

परिशिष्ट - 4.1 जारी..

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
उधार निधियों की सकल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और उधार निधियों की सकल उपलब्धता को दर्शाते हुए ऋण मोचन में ऋण प्राप्तियों के उपयोग की गयी सीमा को इंगित करता है।
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत अनुदानों और भारत विनियोग के अधीन निधियों की कुल राशि (मूल व अनुपूरक) के सापेक्ष प्रत्येक के विरुद्ध वहन किया गया वास्तविक व्यय और प्रत्येक अनुदान या विनियोजन के अधीन खर्च न किए गए प्रावधान या आधिक्य प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक किसी भी व्यय का विधानमंडल द्वारा विनियमन आवश्यक है।
स्वायत्त निकाय	स्वायत्त निकाय (सामान्यतः निबंधित सोसायटियाँ या वैधानिक निगम) तब स्थापित किये जाते हैं जब यह अनुभव किया जाता है कि नियत कार्यों का निर्वहन शासकीय स्थापना के बाहर कुछ मात्रा में स्वतंत्रता और लचीलेपन सहित सरकारी मशीनरी के दिन-प्रतिदिन हस्तक्षेप के बिना करने की आवश्यकता है।
प्रतिबद्ध व्यय	राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी जिन पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है सम्मिलित होते हैं।
राज्य कार्यान्वयन योजना	राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों यथा सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन सोसायटी और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार से निधि प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत है सहित कोई संगठन/संस्थान सम्मिलित होते हैं।
आकस्मिकता निधि	विधानमंडल ने विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिकता निधि स्थापित किया है जिसमें समय समय पर ऐसी राशि, जैसा विधि द्वारा तय किया जाये, डाली जाती है और उक्त निधि को अनपेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु निधि से अग्रिम देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है, ऐसा व्यय संविधान के अनुच्छेद 115 या 116 के अंतर्गत विधि द्वारा विधानमंडल से स्वीकृति के लिए लंबित होता है।
राज्य की समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत गठित किया गया है जिसमें सभी प्राप्तियाँ राजस्व एवं ऋण प्रवाह सभी समेकित निधि से सभी दत्तमत एवं भारत सभी व्यय विनियोग द्वारा होता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं जिनके नाम राजस्व लेखे (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूंजीगत लेखा (लोक ऋण एवं उधार इत्यादि), शामिल है।
आकस्मिक देयता	आकस्मिक देयता को अलग एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यय किया या नहीं भी किया जा सकता है यह भविष्य के घटना के परिणाम पर निर्भर करता है जैसे कोर्ट केस।
शोधन निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय से ऊपर तक अपने ऋण से मुक्ति के लिए अलग रख दिया जाता है।

परिशिष्ट - 4.1 जारी..

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
गारंटी विमोचन निधि	गारंटियाँ ऋण लेनेवालों, जिन्हें गारंटी दी गयी है, के द्वारा चूकों की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व होती हैं। गारंटी विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष के दौरान बकाया अवलंबित गारंटियों के कम से कम 1/5वें भाग के बराबर की राशि तथा वृद्धिशील गारंटियों के कारण संभाव्य अवलंबित राशि का योगदान करना होता है।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण में भारत के लोगों से लिया गया नियमित ऋण सम्मिलित होता है जिसे 'भारत में उदग्रहित ऋण' भी कहा जाता है। यह समेकित निधि में जमा ऋण तक ही सीमित है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ है ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय।
पुनर्विनियोग	अर्थात् विनियोग के एक प्राथमिक इकाई से इसी प्रकार की अन्य इकाई में निधियों का अंतरण।
अव्ययित प्रावधानों का प्रत्यर्पण	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व राज्य सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों एवं विनियोगों में अवलोकित सभी पूर्वानुमानित अव्ययित प्रावधानों को वित्त मंत्रालय को प्रत्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय को वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व ऐसे प्रत्यर्पणों की स्वीकृति को लेखापरीक्षा अधिकारी और/या लेखा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को सूचित करना है।
पूरक अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार बनायी गयी किसी विधि द्वारा प्राधिकृत राशि जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी विशेष सेवा के लिए व्यय किया जाना है यदि उस वर्ष के उद्देश्य हेतु अपर्याप्त पाया जाता है या जब वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान किसी 'नयी सेवा', जो उस वर्ष के मूल बजट में नहीं रखा गया हो, पर पूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो सरकार को संविधान के अनुच्छेद 115(1) के प्रावधानों के अनुसार पूरक अनुदान या विनियोग प्राप्त करना है।
उचंत एवं विविध	प्राप्तियाँ एवं भुगतान की मदें जिन्हें उनकी प्रकृति संबंधी सूचना के अभाव या किन्हीं अन्य कारणों से प्राप्ति या प्रभार के अंतिम शीर्ष में तुरंत नहीं लिया जा सकता है, अस्थायी रूप से लेखाओं के "एल. उचंत एवं विविध" क्षेत्र में मुख्य शीर्ष "8658-उचंत लेखा" के अधीन रखा जा सकता है (अतिरिक्त मार्गदर्शन के लिए लेखाओं के मुख्य/लघु शीर्ष की सूची में मुख्य शीर्ष के अधीन फुटनोट देखा जा सकता है)। सेवा प्राप्ति जिसका पूर्ण विवरण नहीं दिया गया हो को "उचंत लेखा" शीर्ष में नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि राजस्व मुख्य शीर्ष के अधीन उस लघु शीर्ष "अन्य प्राप्तियाँ" जिससे यह संबंधित प्रतीत होता हो में क्रेडिट किया जाना चाहिए जो विस्तृत विवरण की प्राप्ति पर अंततः उचित शीर्ष में जमा करने तक लंबित रहेगा।
लोक लेखा समिति	राज्य के विनियोग लेखे, राज्य की वार्षिक वित्तीय विवरणियाँ या इसी प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन या समिति स्वयं जिनकी जाँच आवश्यक समझे के परीक्षण के लिए विधान सभा द्वारा गठित एक समिति।

परिवर्णी शब्द	पूरा नाम
ए.सी. विपत्र	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र
ए.ई.	समस्त व्यय
बी.ई.	बजट प्राक्कलन
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पूँजीगत व्यय
डी.सी. विपत्र	विस्तृत आकस्मिक विपत्र
डी.ई.	विकासात्मक व्यय
एफ.सी.पी.	राजकोषीय सुधार पथ
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
स.रा.घ.उ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ.आर.बी.एम.	बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005
आई.पी.	ब्याज भुगतान
ओ. एण्ड एम.	प्रचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
आर.ई.	राजस्व व्यय
आर.आर.	राजस्व प्राप्तियाँ
टी.आर.	कुल प्राप्तियाँ
एस. एण्ड डब्ल्यू	वेतन और मजदूरी
एस.ए.आर.	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्रगत व्यय
टी.ई.	कुल व्यय
टी.एफ.सी.	तेरहवें वित्त आयोग
चौ.वि.आ.	चौदहवाँ वित्त आयोग
एम.टी.एफ.पी.	मध्यावधि राजकोषीय नीति
एन.एस.एस.एफ.	राष्ट्रीय लघु बचत निधि
यू.सी.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
वी.ए.टी.	मूल्य वृद्धि कर
सी.टी.टी.	केंद्रीय कर अंतरण
जी.आई.ए.	सहायता अनुदान
ओ.टी.आर.	स्वयं का कर राजस्व
एन.टी.आर.	कर भिन्न राजस्व

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in



www.agjh.cag.gov.in